भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India

संपदा विभाग / Estate Department

पटना / Patna

पटना में मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (SITC)

के लिए ई-निविदा

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

बोलीदाता का नाम: ____

पताः ____

मोबाइल नंबर एवं ईमेल :______

निविदा आईडी	**2026_RBI_285276_1 [SITC of X-Ray Baggage]**
ई-निविदा को डाउनलोड करने के लिए निर्धारित तिथि एवं समय	**28 जुलाई, 2026 दोपहर 16:00 बजे से**
बोली पूर्व बैठक की तिथि एवं समय	**3 अगस्त, 2026, दोपहर 15:00 बजे (ऑफलाइन)** स्थान: संपदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना।
बोली जमा करने के लिए निविदा की उपलब्धता (भाग I एवं भाग II)	**28 जुलाई, 2026 दोपहर 16:00 बजे से 16:00 बजे से**
ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**27 अगस्त, 2026 दोपहर 14.00 बजे**
ई-निविदा (भाग I) खोलने की तिथि एवं समय	**28 अगस्त, 2026 दोपहर 14:00 बजे से**
भाग II खोलने की तिथि एवं समय	**बाद में सूचित किया जाएगा**

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पटना ने इस दस्तावेज़ को परियोजना से संबंधित पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हितधारकों के लिए तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहाँ निहित जानकारी की तैयारी में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी अथवा इसके साथ प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त अथवा निहित व्यपदेशन करते हैं।

यह जानकारी विस्तृत होने के उद्देश्य से नहीं है। हितबद्ध पक्षों को अपना स्वयं का जाँच-पड़ताल करना आवश्यक है और उत्तरदाताओं को यह लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे न बढ़ाने अथवा परियोजना के विन्यास (कॉन्फ़िगरेशन) को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय-सारिणी में संशोधन करने अथवा लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा की अनुसूची (SOT)	4-5
2.	ई-निविदा के लिए आमंत्रण सूचना	6 – 9
3.	ई-खरीदारी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	10
4.	खंड I - ई-निविदा का फॉर्म	13
5.	खंड II – करार की शर्तों का मसौदा	15
6.	खंड III - निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश एवं विशेष शर्तें	35
7.	सुरक्षा कोड एवं अग्नि सुरक्षा कोड	55
8.	खंड IV - करार की शर्तें – वाणिज्यिक	57
9.	परिशिष्ट	73
10.	खंड V – तकनीकी विनिर्देश	74
11.	खंड VI– तकनीकी विवरणों का विवरण	80
12.	खंड VII– जाँच सूची (चेक लिस्ट) एवं वाणिज्यिक/तकनीकी विचलनों की अनुसूची	86
13.	अनुलग्नक – I ग्राहक प्रमाणपत्र का प्रारूप	90
14.	अनुलग्नक – II – बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप	92
15.	अनुलग्नक – III- अधिकार पत्र का प्रारूप	93
16.	अनुलग्नक – IV – बयाना जमा राशि के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप	94
17.	अनुलग्नक – V- सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	96
18.	अनुलग्नक – VI- ग्राहक का विवरण	100
19.	अनुलग्नक – VII- सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता	101
20.	अनुलग्नक – VIII – भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रारूप	102
21.	अनुलग्नक – IX – ई-भुगतान करने के लिए एनईएफटी विवरण	104
22.	भाग-II (कीमत बोली)	105

निविदा की अनुसूची (SOT)

1. निविदा आईडी	2026_RBI_285276_1 [SITC of X-Ray Baggage]
2. कार्य का नाम:	आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए X-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (SITC)
निविदा का माध्यम: (खुली निविदा)	ई-प्रक्रिया प्रणाली, वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑनलाइन (भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
4. तिथि एवं समय जिसके बाद NIT (पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ) वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app पर पक्षों द्वारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा	28 जुलाई, 2026 से 16:00 बजे से
बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन) की तिथि एवं स्थान	3 अगस्त, 2026 को 15:00 बजे स्थान: - संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना
6. कार्य की अनुमानित लागत:	₹14.58 लाख मात्र। (चौदह लाख पचास आठ हजार रुपए मात्र)
बयाना जमाराशि (EMD) (अनुमानित लागत का 2%): (जैसे ही संविदा आवंटित किया जाता है, असफल बोलीदाताओं का EMD वापस कर दिया जाएगा और सफल बोलीदाता का EMD PBG प्राप्त करने के बाद वापस किया जाएगा)	₹29,160/- मात्र, NEFT / डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के रूप में, टेंडर के पैरा 3.12.1 के अनुसार, पटना के संपदा विभाग में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। NEFT लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नलिखित हैं: लाभार्थी का नाम: RBI, Patna लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0PTPA01 (IFSC में पांचवां और दसवां अक्षर शून्य हैं) कृपया NEFT लेनदेन के टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम अंकित करें। इच्छुक बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे बयाना जमा राशि के भुगतान के साक्ष्य (स्कैन की गई प्रति) निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर अपलोड / भेजें: (a) estatepatna@rbi.org.in (b) abhisekhsaha@rbi.org.in (c) sanjaykumar15@rbi.org.in
8. बयाना जमाराशि (EMD) के लिए DD/ बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि	27 अगस्त, 2026 को 14:00 बजे से पहले।
कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) (वास्तविक समाप्ति तिथि से DLP अवधि के 01 वर्ष तक वैध)	संविदा राशि का 10% (बाय-बैक को छोड़कर।)
10. कार्य पूरा करने के लिए दी गई समय सीमा, कार्य शुरू करने के लिखित आदेश की तारीख के 14वें दिन से	45 दिन।

11. https://etenders.gov.in/eprocure/app पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली के लिए बोली शुरू करने की तिथि	28 जुलाई, 2026 से 16:00 बजे से।
12. ऑनलाइन ई-निविदा के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि	27 अगस्त, 2026 तक 14:00 बजे तक।
13. भाग-I (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	28 अगस्त, 2026 को 14:00 बजे।
14. भाग-II (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय	योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
15. लेनदेन शुल्क	ई-प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शुल्क M/s CPP Portal. को MSTC गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड (MSTC Limited) के पक्ष में या M/s एमएसटीसी लिमिटेड. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
16. पोर्टल से डाउनलोड के लिए निविदा शुल्क	शून्य

निविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING e-TENDER

विषय: पटना में मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC)

1. "**पटना में मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC)" कार्य** के लिए ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत **₹14.58 लाख** है और इसे **कार्य आदेश की तारीख के 14वें दिन से 45 दिनों के भीतर** पूर्ण किया जाना है।

2. **सभी अर्हता-पूर्व दस्तावेज़ों को एमएसटीसी (MSTC) पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जो बोलीदाता अर्हता-पूर्व दस्तावेज़ अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया के लिए विचारा नहीं जाएगा।**

   इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए पात्र ठहरने हेतु, बैंक द्वारा मांग किए जाने पर उक्त दस्तावेज़ों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3. **केवल वे मूल उपकरण निर्माता (OEM) या OEM द्वारा प्राधिकृत डीलर, जिनके पास वैध डीलरशिप प्रमाण पत्र हो, जो पंजीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) डीलर हों और जिन्होंने बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक परिसरों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए समान प्रकृति के कार्य (अर्थात 'एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC)') के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो (ऐसा समान कार्य 27 जुलाई, 2021 को या उससे पूर्व/पहले पूर्ण किया गया हो), तथा जिन्होंने पिछले 5 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करते हुए समान कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए हों:** अनुमानित लागत का कम से कम 40% मूल्य वाले **तीन कार्य**, **अथवा** अनुमानित लागत का कम से कम 50% मूल्य वाले **दो कार्य**, **अथवा** अनुमानित लागत का कम से कम 80% मूल्य वाला **एक कार्य**।

   (कार्य के अनुभव को प्रमाणित करने वाले संबंधित कार्य आदेश 30 जून, 2021 को या उसके बाद/बाद की तारीख के होने चाहिए।)

   तथा जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों (31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष 2025-26, 2024-25, और 2023-24) के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक कारोबार प्राप्त किया हो, यदि 2025-26 का टर्नओवर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो 2022-23 का टर्नओवर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए

   तथा जिनकी बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए पटना या निकटवर्ती महानगर/शहर में सेवा स्थापना (Service Setup) हो,

   ऐसी फर्मों को ही पात्र माना जाएगा। यदि इच्छुक फर्म स्वयं OEM नहीं है, तो उसे OEM से वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

4. केवल उन ठेकेदारों को पात्र माना जाएगा जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, ताकि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बैंक को उनकी पात्रता के बारे में संतुष्ट किया जा सके।

4.(a)	**फर्म की संरचना**	ठेकेदार फर्म की संरचना का पूर्ण विवरण (चाहे ठेकेदार कोई व्यक्ति हो, साझेदारी फर्म हो, या कंपनी आदि हो), साझेदारों के नाम और पते के साथ-साथ, संघ के लेख (Articles of Association) / मुख्तारनामा (Power of Attorney) / या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

4.(b)	निर्दिष्ट अवधि के दौरान समान कार्यों का अनुभव एवं निर्दिष्ट मूल्य के कार्यों का पूर्ण होना।	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों के पूर्ण होने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए **(अर्थात्, बोलीदाता को 27 जुलाई, 2021 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए)** * अर्थात् योग्य कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश/आदेशों की प्रतियां जिनमें कार्य प्रदान किए जाने की तारीख,संविदा की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र जिनमें वास्तविक पूर्णता की तारीख और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी किया गया हो तथा निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ-साथ ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी कर कटौती (TDS) प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र। बोलीदाता को पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
4.(c)	**ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका टर्नओवर।**	**उनकी ऋण पात्रताऔर पिछले तीन वर्षो के लिए टर्नओवर के सबूत के रूप में आयकर स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र / आयकर आकलन आदेशों की प्रतियां तथा ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम लेखा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हों, अपलोड की जानी चाहिए।**
4.(d)	सेवा सेटअप	पटना या आसपास के मेट्रो/शहर में एक पूर्ण सेवा सेटअप होने के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाणपत्र / कोई अन्य वैध दस्तावेज **अपलोड** किया जाना चाहिए।
4.(e)	**बैंकरों के नाम एवं पते तथा उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी**	**उनके बैंकरों के नाम एवं पतों के बारे में लिखित जानकारी, जैसे नाम, डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन एवं मुख्य कार्यालय परिसर) नंबर, फैक्स नंबर आदि, संपर्क कार्यकारी (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक की ओर से आवश्यकता पड़ने पर उनके बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के विवरण को अपलोड किया जाना चाहिए।**
4.(f)	बैंक खातों के विवरण	उनके बैंक खातों के पूर्ण विवरण, जैसे खाता नंबर, प्रकार, खोलने की तिथि आदि, दिए जाने चाहिए।
4.(g)	**ग्राहकों के नाम एवं पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी**	**उनके ग्राहकों के नाम एवं पतों के बारे में जानकारी, जैसे नाम, डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन एवं मुख्य कार्यालय परिसर) नंबर, फैक्स नंबर आदि, जिन संपर्क अधिकारियों (अर्थात् ऐसे व्यक्तियों) के साथ बैंक उनके बैंकर के कार्यालय में संपर्क कर सकता है यदि आवश्यकता हो, को प्रदान किया जाना चाहिए।**
4.(h)	पूर्ण कार्यों का विवरण	ग्राहक-वार कार्यों के नाम, कार्यों के कार्यान्वयन के वर्ष, आवंटित एवं वास्तविक लागत, अनुबंध में निर्धारित पूर्णता का समय तथा कार्य पूरा करने में लगा वास्तविक समय, जिन अधिकारी/प्राधिकरण/विभागों के अधीन कार्य किया गया था, उनके नाम एवं पूर्ण संपर्क विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।

4.(i)	**ग्राहक प्रमाणपत्र**	**निविदा दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा आमंत्र नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार क से कम दो ऐसे ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र अपलोड करें, जि लिए उन्होंने योग्य कार्य किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आ / निविदा आमंत्रित प्राधिकरण द्वारा ग्राहक प्रमाणपत्र निम्नलिखित मामलों में स्वीकार किए जाएंगे:** **i) सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठन/पीएसयू के संबंध में, अ केवल तभी जब वे निविदाकार द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान के पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थित हों।** **और** **ii) यदि निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक प्रमाणपत्र के साथ स पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र भी संलग्न हो। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के बिना प्राप्त आवेदन / निविद अस्वीकार कर दी जाएंगी।**
4.(j)	**बैंकर का प्रमाणपत्र**	**प्रतिभागियों को अपने बैंकर / बैंकरों से (अनुलग्नक-II) के अनुसार बैंकर का प्रमाणपत्र अपलोड करने की सलाह दी जाती है। ऐसा प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन / निविदा आमंत्रित प्राधिकरण को संबोधित होना चाहिए और उनके आवेदन / निविदा के साथ जमा किया जाना चाहिए।**

नोट: **भाग लेने वाले बोलीदाताओं को भारत सरकार के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), पीपीपी – एमआईआई आदेश – 2017 संशोधित के तहत खरीद प्राथमिकता के लिए विचार किया जाएगा, यदि वे उपरोक्त "पीपीपी – एमआईआई आदेश – 2017 संशोधित" के अनुसार स्व-प्रमाणन और सभी अन्य दस्तावेजों एवं शर्तों का पालन करते हैं।**

5. रुचि रखने वाले निविदादाताओं को उपरोक्त सभी बिंदुओं को संतुष्ट करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों को f के तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ अपलोड करना होगा। उन्हीं पात्रता दस्तावेजों और ईएम स्कैन की गई प्रति को MSTC पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किया चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि निविदा प्रक्रिया MSTC पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा के माध्यम से संपन्न की जाएगी।

6. यदि निविदादाताओं के द्वारा बैंक को संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो बैंक को उनकी भागीदारी को **अस्वीकार करने का अधिकार है।**

निविदा फॉर्म **28 जुलाई, 2026 से 16:00 बजे** से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। बोली पूर्व (प्री-बिड) बैठक **03 अगस्त, 2026 को 15:00 बजे** आरबीआई, पटना, संपदा विभाग में आयोजित की जाएगी।

निविदा फॉर्म आरबीआई वेबसाइट www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से देखने के लिए डाउनलोड किए जा सकते हैं। **अर्हता पूर्व मानदंड पूरे करने वाले प्रपत्र और ईएमडी भुगतान के प्रमाण की स्कैन कॉपी एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। ईएमडी के लिए मांग ड्राफ्ट या बैंक गारंटी मूल रूप में एक सीलबंद लिफाफे में 27 अगस्त, 2026 तक 14:00 बजे तक क्षेत्रीय निदेशक संपदा विभाग आरबीआई, पटना को पहुंचनी चाहिए। यदि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया गया है, तो एनईएफटी रसीद को** योग्यता **पूर्व दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।**

7. रुचि रखने वाले विक्रेता/फर्म वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर पंजीकरण करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – कीमत बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म द्वारा लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में जमा किया जाना चाहिए। निविदा का भाग-I प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकर्ता का कवरिंग पत्र, **₹29,160/- की ईएमडी एनईएफटी द्वारा खाता संख्या-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड-RBIS0PTPA01 , पटना** या **किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 'भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना' के पक्ष में** या **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में जो बैंक के मानक प्रारूप में उपलब्ध है जो निविदा फॉर्म में उपलब्ध है** के साथ योग्यता पूर्व दस्तावेजों के साथ जमा की जानी चाहिए। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके योग्यता पूर्व दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

निविदा का भाग-II में कोई शर्त नहीं होगी, बल्कि केवल निविदाकर्ता की कीमत बोली, बैंक की मात्रा की अनुसूची, निविदा ड्राइंग्स यदि कोई हो तो, होंगे।

9. **निविदाओं का भाग- I निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी पोर्टल में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे RBI द्वारा अगस्त 28, 2026 को 1500 बजे खोला जाएगा. वे निविदाकर्ता जो अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।**

10. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट और असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

11. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

दिनांक: ---------, 2026.

क्षेत्रीय निदेशक, पटना

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश)

1. **Migration of e-Tendering Portal / ई-निविदा पोर्टल का स्थानांतरण:**

   - You are informed that the Reserve Bank of India is migrating its e-tendering process/activities from the MSTC portal to the Central Public Procurement Portal (CPPP) etenders.gov.in. As a result, all future tender notifications, bid submissions, corrigenda, and contract management processes will be conducted solely through CPPP. Please note that no new tenders will be issued through the MSTC portal from now on.
   - आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ई-निविदा प्रक्रिया/गतिविधियों को MSTC पोर्टल से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) etenders.gov.in पर स्थानांतरित कर रहा है। परिणामस्वरूप, भविष्य में सभी निविदा अधिसूचनाएं, बोलियां प्रस्तुत करना, शुद्धिपत्र और अनुबंध प्रबंधन प्रक्रियाएं CPPP के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। कृपया ध्यान दें कि अब से MSTC पोर्टल के माध्यम से नई निविदा जारी नहीं की जाएगी।

2. **Mandatory Enrollment / अनिवार्य नामांकन:**

   - Since your firm is currently empanelled with this office, it is mandatory to complete your registration and enrollment on the CPPP portal to remain eligible for participating in upcoming tenders.
   - चूंकि आपकी firm वर्तमान में इस कार्यालय के साथ सूचीबद्ध है, इसलिए आगामी निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र बने रहने हेतु CPPP पोर्टल पर अपना पंजीकरण और नामांकन पूरा करना अनिवार्य है।

3. **Prerequisites / अनिवार्य आवश्यकताएँ:**

   - (i) **Digital Signature Certificate (DSC):** It is mandatory to have a valid Class-III Digital Signature Certificate. Without this, logging into the portal or e-bidding is not possible.
   - (ii) **Internet Browser:** Use the latest version of Java and a compatible browser (such as Internet Explorer/Edge or Firefox) for smooth operation of the portal.
   - (iii) **Required Documents:** Vendor registration on the https://etenders.gov.in portal requires Class-III Digital Signature Certificate (DSC), Java 8, and mandatory documents like PAN and GSTIN.
   - (iv) **डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC):** आपके पास क्लास-3 (Class-III) का वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना पोर्टल पर लॉगिन या ई-बिडिंग संभव नहीं है।
   - (v) **इंटरनेट ब्राउज़र:** पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए जावा (Java) का नवीनतम संस्करण और कंपैटिबल ब्राउज़र (जैसे Internet Explorer/Edge या Firefox) का उपयोग करें।

- (vi) **आवश्यक दस्तावेज:** https://etenders.gov.in पोर्टल पर वेंडर पंजीकरण के लिए Class-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC), Java 8, और अनिवार्य दस्तावेजों (PAN, GSTIN) की आवश्यकता होती है।

4. **Action Required for Registration / कार्रवाई आवश्यक है: पंजीकरण:**

   - Bidders are required to register on the e-procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: https://etenders.gov.in). For this, they need to click on the "Online Bidder Enrollment" link on the CPP portal, which is free of cost. Bidders are advised to register their valid email address and mobile number during the registration process. These will be used for any communication from the CPP portal.
   - बोलीदाताओं को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: https://etenders.gov.in) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें CPPP पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करना होगा, जो नि:शुल्क है। बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग CPPP पोर्टल से किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जाएगा।

5. **Credentials & DSC Mapping / यूनिक यूजरनेम और डीएससी पंजीकरण:**

   - As part of the enrollment process, bidders must choose a unique username name and set a password for their accounts. After enrollment, bidders must register their valid Class III Certificates with signing key usage issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (such as Sify / nCode / eMudhra etc.) with their profile.
   - नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बोलीदाताओं को एक यूनिक यूजरनेम unique username नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्धारित करना होगा। नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को CCA India द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (जैसे सिफी / एनकोड / ईमुद्रा आदि) द्वारा जारी किए गए अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र क्लॉस-3 सर्टीफिकेट्स साइनिंग की यूज़ेस के साथ (Class III Certificates with signing key usage) को अपनी प्रोफ़ाइल के साथ पंजीकृत करना होगा।

6. **DSC Security & Secure Login / डीएससी की सुरक्षा और सुरक्षित लॉगिन:**

   - Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that it is the responsibility of the bidders not to lend their DSC to others, which could lead to misuse. Thereafter, the bidder can log into the site through secure login by entering their User ID/Password and the password of the DSC/e-Token.
   - बोली लगाने वाले द्वारा केवल एक वैध DSC पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली लगाने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने DSC को दूसरों को उधार न

दें, जिससे दुरुपयोग हो सकता है। इसके बाद बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड और DSC/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकता है।

7. **Confirmation Deadline / पुष्टि की अंतिम तिथि:**

   - After completing registration and enrolment, please inform the department via email/letter with your CPPP vendor ID and a screenshot of the successful enrolment status by **July 30, 2026**.

   - पंजीकरण और नामांकन पूरा होने के बाद, कृपया **30 जुलाई, 2026** तक अपने CPPP वेंडर आईडी और सफल नामांकन स्थिति की स्क्रीनशॉट के साथ विभाग को ईमेल/पत्र के माध्यम से सूचित करें।

8. **Consequence of Non-Compliance / समय सीमा पर कार्रवाई न करने का परिणाम:**

   - Failure to complete this migration by the stipulated date may result in the inability to participate in future tender processes issued by this office, for which you will be solely responsible.

   - निर्धारित तिथि तक इस स्थानांतरण को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस कार्यालय द्वारा जारी भविष्य की निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने में असमर्थता हो सकती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

9. **Helpdesk & Support / सहायता और संपर्क सूत्र:**

   - Detailed user manuals and guidelines for registration on the CPPP portal are available on the portal's homepage. If you require any assistance or clarification regarding this transition, you may contact or call the person mentioned below or the IT/Procurement Cell.

     - **Technical Support (Email):** support-eproc@nic.in
     - **Telephone:** 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-4493395

   - CPPP पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल और दिशानिर्देश पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध हैं। यदि आपको इस परिवर्तन के संबंध में किसी सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कृपया नीचे दिए गए व्यक्ति या आईटी/प्रोक्योरमेंट सेल से संपर्क अथवा कॉल कर सकते है।

     - **Technical Support (ईमेल):** support-eproc@nic.in
     - **दूरभाष:** 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-4493395

खंड-I

ई निविदा का फॉर्म

स्थान__________
दिनांक __________

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग,
दक्षिण गांधी मैदान,
पटना - 800001,

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और जांच की है और ई-निविदा को प्रभावित करने वाली संबंधित अपेक्षित जानकारियाँ प्राप्त की है। हम एतद द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर और करार की शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों और निर्देशों के साथ सभी मामलों के अनुसार, निविदाकारओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, यहां पहले संदर्भित शर्तें, विनिर्देश, डेटा शीट और मात्रा की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

<u>ज्ञापन</u>

(a)	कार्यों का विवरण	मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)
(b)	अनुमानित लागत	**रु. 14.58 लाख**
(c)	भुगतान का तरीका	ठेकेदारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के खंड 3.13 के अनुसार।
(d)	बयाना राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	भाग **I** के साथ सभी बोलीदाताओं के द्वारा रु.**29,160/-**
(e)	ई-निविदा स्वीकार करने की सलाह देने वाले पत्र की तारीख के 14 वें दिन से कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय	**45 दिन**

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा **ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी** और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया

जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक - J) के अनुसार ई-निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना धन के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. . यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम ई निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जो संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ ई निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं । हमने **भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में ₹29**,**160/-** की राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5. ई-निविदा दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर, पूर्ति और प्रस्तुत/अपलोड ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग दो भागों में किया जाता है। भाग । में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग ॥ में बैंक के प्रोफार्मा में केवल कीमत बोली शामिल है।

दिनांक _____ 2026 को

मैसर्स ________________________________ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम ____________________________________

पदनाम ____________________________________

स्थान ____________________________________

तारीख ____________________________________

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

____

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

____

खंड-II

करार की शर्तें /Articles of Agreement

यह करार वर्ष 2026 को ______________________तारीख को पटना में, प्रथम पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक जिसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में है (जिसे आगे बैंक/नियोक्ता कहा जाएगा) तथा द्वितीय पक्षकार मेसर्स --------------- -------------------------------------- जिसका पंजीकृत कार्यालय ---------------------- ------------------ --------------------------- में स्थित है (जिसे आगे ठेकेदार कहा जाएगा) के बीच किया जाता है।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____day of ________month of Year 2025 between the Reserve Bank of India, Patna having its Central Office at Mumbai (hereinafter called "The Bank / Employer") on the other part and M/s ________________, having its office at __________ (hereinafter referred to as the "Contractor") which expression shall unless it is repugnant to the context or meaning thereof deemed to include his heirs, representatives, administrators and assigns of the OTHER part

जबकि बैंक/नियोक्ता**, पटना स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के लिए X-Ray बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC)** कार्य करवाने का इच्छुक है और उसने निर्धारित कार्य की ड्राइंग, विशिष्टताओं और परिमाणों की सूची आमंत्रित की है। तथा उक्त ड्राइंग, विशिष्टताओं, और परिमाणों की सूची के संबंध में पार्टियों या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS the Bank/Employer is desirous of **Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of X-Ray Baggage scanner system for Main Office Premises at Patna** (hereinafter called "the said work") and has caused drawings, specifications and schedule of quantities describing the work to be done. AND WHEREAS the said drawings, the specifications, and the schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि ठेकेदार निर्धारित शर्तों और विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और संविदा की परिमाणों की सूची और संशोधित शर्तों के अधीन काम करने के लिए सहमत है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है (जिसे आगे संयुक्त रूप से उक्त शर्तें कहा जाएगा) उक्त ड्राइंग में दर्शाए गए और या उक्त /विशिष्टताओं में वर्णित कार्यों और इसमें निर्धारित दरों पर परिमाणों की सूची में शामिल, राशि के बराबर या इसके समान राशियों (जिसे आगे उक्त संविदा राशि कहा जाएगा) के लिए देय होगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said Contract Amount").

<u>अब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से इस पर निम्नानुसार सहमत हैं :</u>

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

उक्त संविदा के संबंध में भुगतान समय पर और संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार किया जाना है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन ड्राइंग में दर्शाए गए और उक्त विशिष्टताओं तथा परिमाणों की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित करेगा और पूरा करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions, execute and complete the work shown upon the said drawings and described in the said specifications and the schedule of quantities.

2.1. बैंक/नियोक्ता, ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार करेगा।

The Bank/Employer shall pay the Contractor the said Contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

2.2 उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना से है और किसी भी कारण से इस संविदा के प्रयोजन हेतु उनको आर्किटेक्ट नहीं होने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को बैंक/नियोक्ता द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार किसी कारण से आपत्ति उठाए और बैंक/नियोक्ता उसे उपर्युक्त माने, बशर्ते कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे बाद में आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, को लिखित में दिए गए किसी भी पिछले निर्णयों या अनुमोदन या निर्देश को अनदेखा या खारिज करने का अधिकार नहीं होगा।

The term "Architect" in the said conditions shall mean Regional Director, Reserve Bank of India, Patna and on his ceasing to be the architect for the purpose of this Contract for whatever reason, such other person or persons as shall be nominated for that purposes by the Bank/Employer, not being a person to whom the Contractor shall object for reasons considered to be sufficient by the Bank/Employer PROVIDED ALWAYS that no person or perhaps persons subsequently appointed to be architect under this Contract shall be entitled to disregard or overrule any previous decisions or approval or direction given or expressed in writing by the architect for the time being.

2.3. उक्त शर्तें और परिशिष्ट और उक्त कार्य के संबंध में निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हुये किसी भी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षकारों द्वारा इनका क्रमशः पालन किया जाएगा, स्वयं उक्त शर्तों के अधीन होंगे और उसके अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

The said conditions and Appendix thereto and any correspondence exchanged between the Bank/Employer and the contractor in connection with the said work till the date of letter of acceptance of their tender shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

2.4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा और इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों के अनुसार इस करार को निष्पादित करेंगे।

The said Conditions, Annexures and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

2.5. मूल निविदा दस्तावेज के खंड I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX के साथ यहां उल्लिखित करार और दस्तावेज और बैंक द्वारा उक्त प्रणाली के रखरखाव हेतु ठेकेदार को भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा कार्य आदेश इस संविदा के आधार होंगे, जो निविदा दस्तावेज में किए गए उल्लेख के अनुसार मान्य रहेंगे।

The agreement and documents mentioned herein along with the Sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX of the original tender document, Appendix and Annexures, work orders that would be issued by the Bank to the Contractor for the said work shall form the basis of this Contract which will be valid as mentioned in the tender document.

2.6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही कार्य का एक हिस्सा है, बल्कि यह पटना स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के लिए X-Ray बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC) कार्य करने हेतु एक संविदा है, जिसके लिए दर अनुसूची में निहित दरों, राशि और संभाव्य मात्रा अथवा उक्त शर्तों में प्रदत मात्रा के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

This Contract is neither a fixed lump sum contract nor a piece work but is a contract to carry out the work in respect of provision of Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of X-Ray Baggage scanner system for Main Office Premises at Patna to be paid for at the rates/amount contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the Said Conditions.

2.7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा को वहन करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये किसी भी नुकसान को ठीक करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works relating to electrical works and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions, and shall make good any damages done to walls, floors, etc., after the completion of such works.

2.8. बैंक/नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के स्वरूप और ड्राइंग में कुछ जोड़कर अथवा कुछ हटाकर अथवा उसके कुछ भाग को रखकर परिवर्तन करने का स्वयं अधिकार सुरक्षित रखता है जो इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The Bank/Employer reserves to itself the right of altering the drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out at any time during the currency of Contract, without prejudice to this Contract.

2.9 समय अवधि इस करार का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा और ठेकेदार यहाँ सहमति व्यक्त करता है कि उक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के 14 दिनों के भीतर काम शुरू करेगा और काम शुरू होने की तारीख से **(45) दिनों** के भीतर काम को पूरा करेगा [फिर भी इस तरह के फॉर्म द्वारा लिखित रूप में समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन (यानी करार के एक विलेख के माध्यम से या पत्रों / ईमेल के आदान-प्रदान के माध्यम से) जैसा कि पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है], ऐसा न करने पर बैंक/नियोक्ता उक्त शर्तों के अनुसार परिसमापन हर्जाना वसूल करने का हकदार होगा।

Time shall be considered as the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work within 14 days from the date of issue of work order/ letter of acceptance as provided for in the said conditions and shall complete the entire work within **(45) days** from the

date of commencement of the work subject nevertheless to the provisions for extensions of time in writing by such form (i.e., by way of a deed of agreement or by exchange of letters/email) as may be mutually decided by the parties] , failing which the Bank/Employer shall be entitled to recover liquidated damages as per the said conditions.

2.10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में किए जाएंगे।

All payments by the Bank/Employer under this Contract will be made only at Reserve Bank of India, Patna.

2.11. इस करार या इससे संबंधित सभी विवाद पटना में उत्पन्न माने जाएंगे और इनके निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिर्फ पटना में स्थित न्यायालयों को होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Patna and only Courts in Patna shall have jurisdiction to determine the same.

2.12. यह कि इस संविदा के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

2.13 भुगतान की शर्तें :इस संविदा पर भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

- उद्धृत दर का 60%, आनुपातिक आधार पर, सभी सामग्री के वितरण के खिलाफ, साइट पर जांच करने के बाद और निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा ।
    i. निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र
    ii. ठेकेदार का प्रमाणपत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों कि सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सही घटक, भाग, उपप्रणालियाँ, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर अछि स्थिति में प्राप्त हुई हैं और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षणा के दौरान कोई कमी पायी जाती है तो उन्हे बैंक को निःशुल्क आपूर्ति कि जाएगी।
    iii. ई-टेंडर शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियाँ।
- उद्धृत दर का शेष 40%, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और बैंक को संपूर्ण प्रणाली को सौंपने तथा खंड 3.11.3 के अनुसार बैंक गारंटी (Bank Guarantee) (BG) प्रस्तुत करने तथा निष्पादित कार्य के वास्तविक माप के आधार पर दिया जाएगा ।

इसके अलावा, सरकार के नियमों के अनुसार IT, अधिभार, TDS और कोई अन्य वैधानिक कर सभी बिलों से काट लिया जाएगा।

Payment Terms: The following terms of payment shall be applicable to this contract

- 60% of the quoted rate on pro-rata basis against delivery of materials at site after checking the same and on submission of the following documents:
    i. Manufacturer's Inspection and Test Certificates
    ii. Contractor's Certificate that all components, parts, sub systems, consumables etc. for successful installation, commissioning and testing of the systems including

maintenance have been received at site in good condition and if any shortfall is noticed during installation, commissioning and testing they will be supplied free to the Bank.

iii. Policies of insurance covering all the risk during transit, storage, installation, commissioning & handing over including third party liabilities as per e-Tender conditions.

- Balance 40% of the quoted rates against installation, testing and commissioning and handing over of the entire system and on submission of BG as per clause 3.11.3 and up on actual measurement of work executed.
- In addition, I.T. surcharge, TDS and any other statutory tax as per the Government rules shall be deducted from all the bills.

2.14 परिनिर्धारित हर्जाना :"समय" को इस ठेके का मूल आधार समझा जाएगा। संपूर्ण कार्य आदेश जारी किये जाने के बाद से (60) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर निर्धारित अवधि के पश्चात किए गए कार्य की राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा स्वीकृत निविदा राशि की 10% होगी। किसी भी खंडित अवधि के विलंब को एक सप्ताह के विलंब के रूप में माना जाएगा और तदनुसार परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा।

Liquidated Damages: Time is the essence of the contract. The entire work shall be completed within **(60) days** from the date of commencement of the work, failing which liquidated damages at a rate of 0.25% of value of work done per week of delay beyond the stipulated period with an upper ceiling of 10% of the accepted tender amount, will be levied. Any broken period delay will be considered as delay of one week and accordingly liquidated damages Shall be levied.

2.15 वारंटी / दोष दायित्व अवधि: उपकरण की आपूर्ति और स्थापना अर्थात संपूर्ण कार्य, उपकरण को बैंक को सौंपे जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटीकृत किया जाएगा। गारंटी अवधि के दौरान सिस्टम/उप-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा निःशुल्क सुधारा/प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, निर्माता द्वारा निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत तिमाही अंतराल या उससे पहले सर्विसिंग निःशुल्क की जाएगी।

Warranty / Defects Liability Period: The equipment's supplied & installed i.e., the entire work, shall be guaranteed against all types of defects for a period of one year from the date of handing over of the equipment to the Bank. Any defects found in the system/sub-assemblies within the guarantee period shall be rectified / replaced by the tenderer free of cost. During this period, servicing at quarterly interval or earlier, as prescribed by the manufacturer and as mutually agreed to, shall be carried out free-of-cost.

2.16 व्यापक वार्षिक रखरखाव (सीएएमसी): सर्व-समावेशी व्यापक रखरखाव सेवा एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद लागू होती है। व्यापक वार्षिक दर रखरखाव शुल्क (सीएएमसी) में सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत/प्रतिस्थापन, सभी प्रकार की सामग्री, केबल, तार, लाइट और उसके कवर, उपभोग्य वस्तुएं, स्नेहक, पाइप, सभी प्रकार के औजारों और उपकरणों की आपूर्ति, सभी प्रकार के श्रमिकों की आपूर्ति आदि की लागत शामिल है, ताकि सीएएमसी कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो सके, एक्सरे सिस्टम स्कैनर, पावर सप्लाई, आदि पूरी हो सके। संविदा के दायरे में एक वर्ष में त्रैमासिक अंतराल पर कम से कम चार सर्विसिंग/निवारक रखरखाव और

चौबीसों घंटे किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल शामिल होंगे। निवारक रखरखाव में सॉफ्टवेयर के उन्नयन, उपकरणों की सफाई आदि सहित ओईएम द्वारा अनुशंसित सभी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। निविदाकर्ताओं द्वारा यह नोट किया जा सकता है कि बैंक मानव/सामग्री/परिवहन आदि के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा।

उद्धृत सीएएमसी (CAMC) दरें, दोष देयता अवधि (DLP) की समाप्ति से एक वर्ष तक बिना किसी वृद्धि के निश्चित और वैध रहेंगी। भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर, बैंक के सुरक्षा अधिकारी या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित संतोषजनक सेवा रिपोर्ट और बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। यह सेवा अनुबंध 1 वर्ष की प्रारंभिक सीएएमसी अवधि (डीएलपी के ठीक बाद) तथा इसके बाद आगामी 9 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। संक्षेप में, प्रणाली (System) के चालू होने और सौंपे जाने की तिथि से कुल 10 वर्ष की अवधि के लिए निरंतर सेवा सहायता सुनिश्चित की जाएगी। दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि (DLP + CAMC का पहला वर्ष) समाप्त होने के बाद, प्रत्येक आगामी वर्ष के संविदा नवीनीकरण हेतु नई राशि का निर्धारण निर्धारित मूल्य भिन्नता सूत्र (Price Variation Formula) के आधार पर किया जाएगा।

$$Ac = Ap \{15+60 \times (EPIc/EPIp) + 25 \times (CPIc/CPIp)\} \times 1/100$$

Ac = चालू वर्ष के लिए संविदा राशि

Ap = पिछले वर्ष की संविदा राशि

EPIc =चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईसी थोक मूल्य सूचकांक।

EPIp = पिछले वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईपी थोक मूल्य सूचकांक

CPIc = चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) ।

CPIp = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले।

कोई अन्य उपकरण/सामाग्री /सेवा/उपभोग्य वस्तुएं/स्पेयर्स, जिनका स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सभी प्रकार से पूर्ण प्रणाली के सफल संचालन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, विक्रेता के दायरे में होंगी।

Comprehensive Annual Maintenance (CAMC): The all-inclusive comprehensive maintenance service is applicable after the expiry of the one-year guarantee period. Comprehensive Annual Rate Maintenance Charges (CAMC) includes cost of repairs/ replacement of all types of spare parts, supply of all kinds of materials, cables, wires, consumables, Xray System scanner, supply of all kinds of tools and implements, supply of labour of all descriptions, etc. for satisfactory completion of CAMC work, complete. The scope of the contract will include at least FOUR servicing / preventive maintenance at quarterly intervals in a year and ANY NUMBER of breakdowns calls round the clock. Preventive maintenance should include all the activities as recommended by the OEM including upgradation of software, cleaning of equipment's, etc. It may be noted by the tenderers that the Bank will not provide any kind of assistance in the form of man/material/transport etc., and the tenderers will have to make their own arrangements for

deputing the required skilled manpower including all necessary spares for setting right the reported/observed defects.

CAMC Terms: The quoted CAMC rates shall remain firm and valid without any escalation for one year from the date of expiry of the Defect Liability Period (DLP). Payment shall be made on a half-yearly basis upon submission of bills along with satisfactory service reports, duly signed by the Bank's Security Officer or Engineer. The contract shall be renewed for an initial CAMC period of 1 year (post-DLP) and subsequently for an additional period of at least 9 years. In other words, a guaranteed life and service support shall be ensured for a total period of 10 years from the date of commissioning and handover. After the expiry of the initial two-year validity period (i.e., DLP and 1st year of CAMC), the contract value for all subsequent renewals shall be calculated based on the prescribed price variation formula.

$$AC = AP \{15+60 \times (EPIc/EPIp) + 25 \times (CPIc/CPIp)\} \times 1/100$$

AC: The contract amount for the current year

AP: The contract amount for the previous year

EPIc: Wholesale Price Index for Electrical Products 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.

EPIp: Wholesale Price Index for Electrical Products 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year

CPIc: Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.

CPIp: Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.

Any other instrument/ equipment/ service / consumables/ spares, which are not explicitly mentioned above but deemed necessary for the successful operation of the system complete in all respects, shall be in vendor's scope.

2.17 डीएलपी और सीएएमसी के दौरान जुर्माना: संविदा की अवधि के दौरान सिस्टम को डीएलपी और सीएएमएससी के लिए संविदा करार में वर्णित आवृत्ति के अनुसार सर्विस और रखरखाव किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम उपकरण सामान्य और संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। नियमित रखरखाव में सभी उपकरणों की सफाई भी शामिल होगी। यदि फर्म के पास ई-मेल या टेलीफोन द्वारा शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, **तो कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है यदि सूचना के 72 घंटे के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है तो ₹500/- प्रति दिन के दर से, अधिकतम AMC राशि के 10% प्रति घटना जुर्माना लगाया जाएगा और सिस्टम की पूर्ण विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी खराबी को यदि सूचना के 24 घंटे के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है तो ₹2,500/- प्रति दिन के दर से जुर्माना लगाया जाएगा AMC राशि अधिकतम 10% प्रति घटना के अधीन लगाया जाएगा ।**

Penalty during DLP and CAMC: During the period of contract the system shall be serviced and maintained as per frequency described in the contract agreement for DLP and CAMC to ensure that all the system equipment's are functioning normally and satisfactorily. The routine maintenance shall also include cleaning of all equipment's. If the fault is not rectified within 24

hours of lodging a complaint with the firm either by an e-mail or over telephone, a penalty – **Any defects in independent devices, components, cables which may not result in total failure of the system is not rectified within 72 hours of lodging a complaint with the firm either by an e-mail or over telephone, a penalty at the rate of Rs. 500/- per day will be levied subject to a maximum of 10% of the AMC amount and any defects resulting in total failure of the system is not rectified within 24 hours of lodging a complaint with the firm, a penalty at the rate of Rs.2,500/- per day will be levied subject to a maximum of 10% of the AMC amount**

		Rectification time	**Penalty**
(a)	Any defects resulting in total failure of the system	24 hours	Rs.500/- per day

2.18 जी एफ आर 2017 के नियम 144 (xi) का प्रावधान: सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी के तहत शामिल किए गए 2017 के नियम 144 (xi) के अनुपालन स्वरूप जारी सार्वजनिक खरीद आदेश, और उसके बाद के संशोधन अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

इस संबंध में, बोलीदाता अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष-पर मुहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता / घोषणा प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा जमा किये गए वचनबद्धता प्रमाण पत्र / घोषणा गलत पाया जाता है, तो उनका कार्यादेश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और बयाना राशि/ कार्य निष्पादन बैंक गारंटी / प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने सहित विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को वंचित किया जा सकता है।

Provision of Rule 144 (xi) of the GFR 2017:

Compliance with the Rule 144 (xi) of GFR 2017 inserted vide Office Memorandum (OM) F.No.6/18/2019-PPD dated July 23, 2020, issued by Public Procurement Division, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, the Public Procurement Orders issued in furtherance thereto, and their subsequent revisions shall be mandatory.

In this regard, Bidder shall submit a copy of Undertaking / Declaration / Certificate on their letter head duly sealed and signed by the authorized signatory in the format given at **Annexure-VIII**. If the Undertaking / Declaration / Certificate submitted by the bidder is found to be false, his/her/its tender / work order will be immediately terminated, and legal action in accordance with law including forfeiting of Earnest Money Deposit / Performance Bank Guarantee / Security Deposit may be initiated and the Bank may also debar the bidder from participating in the tenders invited by the Bank in future.

2.19. अप्रकटीकरण खंड

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक को हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

Non-disclosure clause:

The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and of the Bank's infrastructure/ system/equipment's etc. which may come to the profession or knowledge of the contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with the agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be publish, or disclose ant particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank/Employer. The contractor shall indemnify the Bank/Employer for any loss suffered by the Bank/Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the contractor and the Bank/Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

2.20. यौन उत्पीड़न निवारण खंड:

क) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी संविदाकार/एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में संविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति में प्रदान की जाने वाली किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए संविदाकार उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जानेवाली मौद्रिक राहत यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोक थाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

ङ) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची रखेगा, जिसे बैंक द्वारा मंगवाए जाने पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

Prevention of Sexual harassment Clause:

a) The contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor/Agency or Local Complaints committee as the case may be and the contractor/ agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the Complaint.

b) Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the service provider against any employee of the Bank or any employee of any other firm working in the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

c) The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee or other firm's employee, if sexual harassment by the employee of the contractor is proved.

d) The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

e) The Contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

2.21. अप्रत्याशित घटनाएँ

इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, यदि चूक किसी पार्टी के नियंत्रण से परे कार्यों जैसे (जैसे दैवीय संकट, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, मजदूर हड़ताल, किसी सरकारी कार्य, भूकंप, तूफान, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदा आदि) के परिणामस्वरूप हुई हो। प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत निष्पादन किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने के सभी संभव प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य निष्पादन में बाधा की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पार्टी जिसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है, लिखित सूचना देते हुए इस करार को निरस्त कर सकती है।

Force Majeure:

If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts of God, war like situations, riots, labour strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement.

2.22 ठेका श्रम (सीएलआरए) अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन),1970

मैं_________________________________ कि __________________________ संबंधी कार्य मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं वचन देता/देती हूं कि मुझे प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को सभी प्रकार की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उस दर पर किया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होगा तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसे वेतन का भुगतान करने में विफलता के साथ-साथ तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल बैंक/नियोक्ता के विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रिंसिपल बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूरित रखने का वचन देता/देती हूँ। मैं समय-समय पर सरकारी अधिकारियों/बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकॉर्ड रखूंगा/रखूंगी और उनका रख-रखाव करूंगा/करूंगी।

Contract Labor (Regulation & Abolition) Act (CLRA) ,1970

I _______________ that the work of _____________ awarded to me. I undertake to actually pay wages to all laborers of all description to be engaged by me for completion of _________________ work awarded to me at the rate which is not less than the one prescribed under Minimum Wages Act 1948 and to ensure compliance to the provisions of CLRA Act 1970 and also keep the Principle Employer indemnified against all the actions that may be initiated against the Principle Employer by the Statutory Authorities for his failure to pay such wages and for failure to comply with the provisions of CLRA Act 1970. I shall keep and maintain all necessary documents/records for inspection of Government authorities/Bank's officials from time to time.

2.23 व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार, व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली सभी हानि या क्षति के लिए और ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक से उत्पन्न होने वाली संपत्ति के सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। इस खंड के तहत आने वाले दायित्व में, अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को किसी भी तरह की हुई क्षति भी शामिल होगा, चाहे वह कार्यस्थल के निकट हो या अन्यथा; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुई क्षति जो इस करार से संबंधित हो। बारिश, हवा, पाला या मौसम की अन्य खराबियों के कारण इस अनुबंध के तहत आने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा और उसे सभी और किसी भी तरह की क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और किसी भी चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ उसे क्षतिपूरित रखेगा, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी अवार्ड या मुआवजे या क्षति से संबंधित हो।

ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस करार के तहत वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, IRDAI द्वारा प्राधिकृत एक बीमा कंपनी के साथ, भूकंप जोखिम सहित संविदा की पूरी राशि के लिए बीमा हेतु **सर्व जोखिम नीति** को प्रभावी और बनाए रखेगा जो सभी जोखिम नीति को कवर करने के लिए बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे एक बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले पक्षकार का नाम पहले होगा) रखेगा तथा इसे कार्य प्रारम्भ करने से पहले जमा करना होगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की पूर्ति करेगा ताकि पूरे कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और सही हो और संपत्ति या तीसरे पक्ष के नुकसान के सभी दावों को पूरा करे या अन्यथा पूर्ति करे।

ठेकेदार किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक/नियोक्ता के खिलाफ अनुबंधित कार्यों या उसके परिणामी सभी दावों के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित भी रखेगा, और अपने स्वयं के खर्च पर संविदा के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा, साथ ही ऐसे जोखिम को कवर करने के लिए IRDAI द्वारा प्राधिकृत बीमा कंपनी के

साथ बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे एक बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले पक्षकार का नाम पहले होगा) रखेगा तथा इसे कार्य प्रारम्भ करने से पहले जमा करना होगा। "ठेकेदार सर्व जोखिम नीति" में तीसरे पक्ष की देयता किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम **₹5.00** लाख (**पांच लाख** रुपये मात्र) और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹**10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र)** होगी। ठेकेदार इस करार की अवधि के दौरान बैंक/नियोक्ता पर किए गए सभी दावों के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य क़ानून के तहत हो या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में या सामान्य कानून के तहत हो और इसे अपने स्वयं के खर्च पर करार के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा या करार अवधि के दौरान बैंक/नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों को कवर करने हेतु बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस पॉलिसी को समय-समय पर बैंक/नियोक्ता के पास जमा करेगा।

ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा करने वाले ठेकेदार द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, बैंक/नियोक्ता इस प्रकार की बीमा पॉलिसी खरीद सकता और इसके प्रीमियम की कटौती ठेकेदार को देय भुगतान में से कर सकता है।

ठेकेदार ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों में नहीं शामिल किसी भी देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा और साथ ही, किसी भी व्यक्ति, जानवर को हुई क्षति या इस अनुबंध को गलत तरीके से पूरा करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति, जिसका कारण कुछ भी रहा हो, से संबंधित देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार किसी भी दावे या कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा।

इस तरह की चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक/नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक/नियोक्ता ठेकेदार को इस खंड के तहत देय किसी भी राशि में से किसी भी नुकसान की राशि, मुआवजे की लागत, शुल्क और बैंक/नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अन्य खर्चों की कटौती करने का हकदार होगा।

ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुरूप बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए समुचित सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए खर्च के संबंध में किसी भी अन्य भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, बैंक/नियोक्ता द्वारा निर्धारित उचित समय विस्तार के लिए हकदार होगा, लेकिन बैंक/नियोक्ता यहां निर्धारित किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार, कार्यों के अपने-अपने हिस्से के लिए, बीमा की समान नीतियों को लागू करेगा और इस प्रकार की बीमा पॉलिसी बैंक/नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार, नामित उप-ठेकेदार को तब तक कार्य स्थल पर-काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की जाती है। कार्य स्थल पर-काम शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा बीमा की ऐसी पॉलिसी लेने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार, उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

कोविड-19 या किसी अन्य प्रकार के व्यवधान, यदि कोई हो, के कारण विस्तारित अवधि के लिए भी बीमा की लागत ठेकेदार को वहन करनी होगी।

Insurance in respect to damages to persons and property

The Contractor shall be responsible for all injury or damage to persons, animals or things and for all damage to property which may arise from any factor omission on the part of the

Contractor or any Sub-Contractor or any nominated Sub-Contractor or any of their employees. The liability under this clause shall cover also, interalia any damages to structures, whether immediately adjacent to the works or otherwise; any damage to roads, streets, footpaths, bridges as well as damage caused to the buildings and other structures and works forming the subject matter of this contract. The contractor shall also be responsible for any damage caused to the building and other structures and works forming the subject, matter of this contract due to rain, wind, frost or other inclemency of weather. The contractor shall, indemnify and keep indemnified the Employer and hold him harmless in respect of all and any loss and expenses arising from any such injury or damage to persons or property as aforesaid and also against any claim made in respect of injury or damage, whether under any statute or otherwise and also in respect of any award or compensation or damage consequent upon such claims.

The contractor shall reinstate all damage of every sort mentioned in this Clause so as to do delivery of the whole of the works complete and perfect in every respect and so as to make good or otherwise satisfy all claims for damage to property or third parties.

The Contractor shall also indemnify and keep indemnified the Employer against all claims which may be made against the Employer by any person in respect of anything which any arise in respect of the works or in consequence thereof and shall at his own expense, effect and maintain until the virtual completion of the contract, with an Insurance Company authorized by the IRDAI a policy of Insurance in the joint names of the Employer and the Contractor (name of the former being placed first in the policy) against such risk and deposit such policy or policies before commencement of the works. Third party liability in "Contractors All Risk Policy" shall be minimum ₹**5.00 lakh** (**Rupees Five lakh only**) per person for any one accident or occurrence and ₹**10.00 lakh (Rupees Ten lakh only)** in respect of damage to property for any one accident or occurrence. The contractor shall also indemnify the employer against all claim which may be made upon the Employer, whether under the Workmen's Compensation Act or any other statute in force, during the currency of this contract or at Common Law in respect of any employee of the contractor or of Sub-Contractor and shall at his own expense effect and maintain until the virtual completion of the contract or with an Insurance Company, approved by the Employer, a policy of insurance against such risks and deposit such policy or policies with the Employer from time to time during the currency of this contract.

In default of the contractor insuring as providing above, the employer may so insure and may deduct the premiums paid from any moneys due or which may become due to the contractor.

The contractor shall be responsible for any liability which may not be covered by the Insurance Policies referred to above and also for all other damages to any person, animal or defective carrying out of this contract, whatever, may be the reasons due to which the damage shall have been caused.

The contractor shall also indemnify and keep Indemnified the Employer against all and any costs, charges or expenses arising out of any claim or proceedings relating to the works and also in respect of any of damage or compensation arising there from.

Without prejudice to the other rights of the employer against contractor in respect of such default, the employer shall be entitled to deduct from any sums payable to the contractor the amount of any damages, compensation costs, charges and other expenses paid by the employer, and which are payable the contractor under this clause.

The Contractor shall upon settlement by the insurer pursuant to a policy taken under this clause, proceed with due diligence to rebuild or repair the works destroyed of damaged. In this event all the monies received from the Insurer in respect of such damage shall be paid to the Contractor and the contractor shall not be entitled to any further payment in respect of the expenditure incurred for rebuilding or repairing of the materials or goods destroyed or damaged.

The contractor, in case of re-building or reinstatement after damage shall be entitled to such extension of time for completion as the Employer may deem fit, but shall, however, not be entitled to reimbursement by the employer of any shortfall or deficiency in the amount finally paid by the insurer in settlement of any claim arising as set out herein.

Without prejudice to his liability under this clause, the contractor shall also cause all nominated sub-contractors to effect, for their respective portions of the works, similar policies of insurance in accordance with the provisions of this clause and shall produce or cause to produce to the employer such policies. The contractor shall not permit a nominated sub-contractor to commence work at the site unless the said insurance policies are submitted. In the event of failure of the sub-contractor to take out such a policy of insurance before commencing the works at the site, the contractor shall be responsible for any claim or damage attributable to the said sub-contractor.

The cost of insurance has to be borne by the Contractor even for the extended period if any due to COVID or any other kind of disruption.

2.24 एक बोलीदाता निम्नलिखित आधारों पर डिबारमेंट/बोली से अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:

1. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:

a. मैं एक खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, याचना या रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की स्वीकृति।

b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।

c. किसी भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है।

d. खरीद प्रक्रिया में या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से खरीदकर्ता इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

e. निविदा या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हिस्से या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जबरदस्ती या कोई खतरा।

g. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा।

h. किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी प्रदान करना।

i. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल

j. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / संस्था के साथ उपखंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान / संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया गया।

2. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूर्ति, कार्यों का परित्याग, - कार्यों की मानक गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि।

3. यदि बोलीदाता को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है - (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता या किसी भी समय लागू कोई अन्य कानून।

A bidder is liable for debarment / disqualification from bidding on the following grounds:

1. If it is determined that the bidder has committed the following acts or omissions in contravention of the code of integrity:

a. making offer, solicitation or acceptance of bribe, reward or gift or any material benefit, either directly or indirectly, in exchange for an unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process.

b. any omission or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained, or an obligation avoided.

c. any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior that may impair the transparency, fairness and the progress of the procurement process.

d. improper use of information provided by the procuring entity to the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process or for personal gain.

e. any financial or business transactions between the bidder and any official of the procuring entity related to the tender or execution process of contract, which can affect the decision of the procuring entity directly or indirectly.

f. any coercion or any threat to impair or harm directly or indirectly, any part or its property to influence the procurement process.

g. obstruction of any investigation or auditing of a procurement process.

h. making false declaration or providing false information for participation in a tender process or to secure a contract.

i. failed to disclose conflict of interest.

j. failed to disclose any previous transgressions made in respect of the provisions of sub clause with any public institution / entity in India or any other country during the last three years or of being debarred by any public procuring institution / entity.

2. For any actions or omissions by the bidder other than violation of code of integrity, which in the opinion of the Bank warrants debarment, for the reasons like supply of sub-standard material, non-supply of material, abandonment of works, sub-standard quality of works, failure to abide terms of the tender etc.,

3. If the bidder has been convicted of an offence – (a) under the Prevention of Corruption Act, 1988; or (b) the Indian Penal Code or any other law for the time being in force, for causing any loss of life or property or causing a threat to the public health as part of execution of a public procurement contract.

2.25 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो संविदा के संबंध में या कार्य के निष्पादन के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र या अन्यथा के रूप में हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अपील के बिना जैसा कि उसमें कहा गया है। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि विवादित मामलों में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिसके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, अपवादित मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और निर्धारित करने के लिए विवाद के सभी मामले जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से पूर्वोक्त के रूप में नोटिस दिया जाएगा।

"मध्यस्थ या यथास्थिति मामलों के अनुसार मध्यस्थगण, पक्षकारों की सहमति से स्वयं द्वारा या स्वयं द्वारा तय किए गए किसी और बढ़ाए गए समय (एक वर्ष के भीतर या ऐसे किसी और बढ़ाए गए समय के भीतर) के भीतर, निर्देश दिए जाने की तारीख से अपना पंचाट प्रदान करेंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा ऐसे निपटारे या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल किए जाने पर, मध्यस्थ या यथास्थिति मामलों के अनुसार मध्यस्थगण, ऐसे निपटारे या समझौते की शर्तों के अनुसार पंचाट प्रदान करेंगे।"

"किसी भी ऐसे निर्देश पर, निर्देश और पंचाट से संबंधित लागत पर क्रमशः निर्णय लेना मध्यस्थ या यथास्थिति मामलों के अनुसार मध्यस्थगण के विवेकाधिकार में होगा, जो इसके लिए राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षकार-दर-पक्षकार निर्धारित (taxed) किए जाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि इसे किसके द्वारा, किसको और किस प्रकार वहन किया जाएगा और अदा किया जाएगा। यह प्रस्तुतीकरण भारतीय मध्यस्थता और सुलह

अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी सांविधिक संशोधन के अर्थ के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतीकरण माना जाएगा।"

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक करेगा , जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, बैंक के निर्णय का पालन करें। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी। मध्यस्थता का स्थान **पटना बिहार, भारत** होगा।

Settlement of dispute by Arbitration

All disputes and differences of any kind whatever arising out of or in connection with the contract or the carrying out of the works (whether during the progress of the works or after their completion and whether before or after the determination abandonment or breach of the contract) shall be referred to and settled by the Bank who shall state its decision in writing. Such decision may be in the form of a final certificate or otherwise. The decision of the Bank with respect to any of the expected matters shall be final and without appeal as stated in thereof. But if the Contractor be dissatisfied on any matter on which a decision is taken by the Bank as above, except any of the expected matter the Contractor may within 28 days after receiving notice of such decision give a written notice to the other party requiring that the matters in dispute be arbitrated upon. Such written notice shall specify the matters, which are in dispute or difference of which such written notice has been given. If both the parties agree, a single arbitrator would be appointed for the purpose. In case no agreement could be reached on the appointment of single arbitrator, both the parties will nominate one person each as an arbitrator on their behalf. The two arbitrators nominated by the parties shall nominate one more person to act as third arbitrator.

The Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall have power to open up, review and revise any certificate, opinion, decision, requisition or notice, save in regard to the excepted matters, referred to in the preceding clause, and to determine all matters to dispute which shall be submitted to arbitration and of which notice shall have been given as aforesaid.

The Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall make his or their award within one year (or such further extended time as may be decided by him or them as the case may be with the consent of the parties) from the date of entering on the reference. In case during the arbitration proceedings the parties mutually settle or compromise their dispute or difference, on the parties filing their joint memorandum of the settlement or compromise, the Arbitrator or the Arbitrators as the case may be, shall make an award in terms of such settlement or compromise.

Upon any such reference, the decision on the cost incidental to the reference and Award respectively shall be in the discretion of the Arbitrator or Arbitrators as the case may be, who may determine the amount thereof or direct the same to be taxed as between the party and

party, and shall direct by whom and to whom and in what manner the same shall be borne and paid. This submission shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification thereof.

The award of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall be final and binding on the parties. It is agreed that the Contractor shall not delay the carrying out of the works by reason of any such matter, question or dispute being referred to arbitration, but shall proceed with the works with all due diligence and shall until the decision of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, is given, abide by the decision of the Bank. No award of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall relieve the Contractor of his obligations to adhere strictly to the Bank's instructions with regard to the actual carrying out of the works. The Employer and the Contractor hereby also agree that arbitration under this Clause shall be a condition precedent to any right of action under the Contract. The venue of arbitration shall be Patna, Bihar, INDIA.

यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म अथवा व्यक्ति हो If the Contractor is a partnership firm or an individual	गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने इस करार को निष्पादित करने हेतु हस्ताक्षर किया है और इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है। IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first herein above written.
यदि ठेकेदार एक कंपनी हो If the Contractor is a company	गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार को निष्पादित करने हेतु बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मुहर सहित हस्ताक्षर किया है तथा इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है। IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates / has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड

Signature Clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर और सुपुर्द किया गया।

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

श्री /Shri ……………………………………………………

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

....

....

की उपस्थिति में/in the presence of

(1)

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

संपदा विभाग/ Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

Reserve Bank of India, Patna **(गवाह/witness)**

(2)

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

संपदा विभाग / Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

Reserve Bank of India, Patna **(गवाह/Witness)**

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द SIGNED AND DELIVERED BY

यदि पार्टी साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति है तो सभी साझेदारों द्वारा या उन सभी की ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए

If the party is a partnership firm or an Individual should be signed by all or on behalf of all the Partners

निम्न की उपस्थिती में In the presence of:

(1)

पता/Address: --------------------------

--- **(गवाह/Witness)**

(2)

पता/Address: -------------------------

--- **(गवाह/Witness)**

नोट Note:

बैंक, ठेकेदार के साथ करार करने से पहले करार की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Bank reserves the right to modify the contents of the Articles of the Agreement before the agreement is entered with the contractor.

खंड III

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश एवं विशेष शर्तें

3.1 **वाणिज्यिक शर्तें :**

3.1.1 **भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने** हेतु पात्र फर्मों से **रु. 14.58 लाख** की अनुमानित लागत की मुहरबंद ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

3.1.2. **पात्रता मानदंड :**

केवल उन्हीं फर्मों की निविदाओं पर विचार किया जाएगा जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हों:

• सिर्फ़ वही कंपनियाँ पात्र हैं जो मूल उपकरण निर्माता (OEM) हों या जिनके पास वैध प्राधिकार प्रमाणपत्र के साथ उनके अधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर होने का प्रमाण हो। साथ ही, उन्हें बड़े कार्यालय भवन, व्यावसायिक जगहों, वित्तीय संस्थानों, या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों आदि के लिए **एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग** का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और उन्होंने सफलतापूर्वक ऐसे ही काम किए हों (**अर्थात, बोलीदाता वाले ने 30 जून 2021 से पूर्व ऐसे कार्य किए हों।**)

• **एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने** के पूर्ण कार्यों (30 जून 2021 या उसके बाद पूर्ण कार्य) के विवरण निम्नवत हैं:

(क) तीन कार्य, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर या उससे ज़्यादा हो

अथवा

(ख) दो कार्य, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे ज़्यादा हो

अथवा

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 80% के बराबर या उससे अधिक लागत वाला एक कार्य

• पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार 2025-26/ 2024-25, 2023-24 ओर 2022-23) के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक टर्नओवर, जिसके समर्थन में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हों।

• बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के लिए पटना या नजदीकी मेट्रो / शहर में सेवा सेट-अप होना चाहिए और यदि इच्छुक फर्म स्वयं मूल उपकरण निर्माता नहीं है तो मूल उपकरण निर्माता द्वारा जारी वैध प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

निविदाकर्ता अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करेंगे :

- कार्य का दायरा और मूल्य दर्शाने वाले विस्तृत कार्यादेश की प्रतियाँ
- अर्ह कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र

- पूर्ण कार्यों की सम्पूर्ण विवरण सहित सूची
- पिछले तीन वर्षों के कारोबार के वित्तीय विवरण

ऐसी फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करती हो।

नोट: भाग लेने वाले बोलीदाताओं को भारत सरकार के सरकारी खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 (संशोधित) के तहत खरीद प्राथमिकता के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते वे स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करें और उपर्युक्त "PPP – MII आदेश – 2017 (संशोधित)" के तहत निर्धारित सभी अन्य दस्तावेजों और शर्तों का पालन करें।

3.1.3 ई-निविदा की प्रस्तुति:

ई-निविदा को ऑनलाइन दो भागों में तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् भाग I और भाग II, जिनके आवरण पर क्रमशः "भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II – मूल्य" अंकित होंगे। टेलीग्राफ, फैक्स और ईमेल ई-निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। सन्निवेश, पोस्ट स्क्रिप्ट, जोड़ और संशोधन ई-निविदाकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि किए जाने तक मान्य नहीं होंगे। ई-निविदा की सभी प्रतियां सभी अनुलग्नक/संलग्नक/परिशिष्टों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए।

3.2 निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ई-निविदा एमएसटीसी की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर प्रस्तुत करें। यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, तो वे अपने पत्र-शीर्ष/कागज पर MSTC वेबसाइट पर स्वयं अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.3 a) ई-निविदा निर्धारित समय/ तारीख के भीतर, अर्थात् 22 जून 2026, अपराह्न 2:00 बजे तक ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए।

b) बैंक से अपनी ई-निविदा के स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के बाद, सफल निविदाकर्ता उसके चौदह दिनों के भीतर संविदा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता करार के मसौदे और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा; हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और ऐसे निविदाकर्ता व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा के रूप में मानी जाएगी, चाहे बाद में ऐसा औपचारिक करार निष्पादित किया जाए या नहीं।

c) इस संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजा या अन्य धनराशि, यदि ऐसी राशि अनुमति देती है, तो उसके बयाना धन और सुरक्षा जमा से काटी जा सकती है, और ठेकेदार को, जब तक ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर नकद में ऐसी कटौती की गई राशि को पूरा करना होगा।

3.4 भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक

i) 3.4.1 भाग I में निर्दिष्ट कार्यों के दायरे और दस्तावेजों तथा वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रावधानों वाली कीमतरहित ई-निविदा शामिल होगी। भारत में स्थित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी NEFT / DD या बयाना राशि

के बदले बैंक गारंटी के रूप में राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, **पटना** के सम्पदा विभाग को **22 जून, 2026** को 02:00 बजे या उससे पहले पहुंचानी होगी।

3.4.2 ई-निविदा के पूर्व-अर्हता दस्तावेजों में बयाना धनराशि के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:

a) ई-निविदा दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर मुख्तारनामा/ प्राधिकार पत्र, कम्पनी/ फर्म की मुहर के साथ।

b) वाणिज्यिक / तकनीकी विनिर्देशों में यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूची

c) प्रस्तावित प्रणाली का विस्तृत आरेख और उपकरणों के पूर्ण विवरण

d) ओईएम से एक पत्र, जिसमें बोलीदाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, और भारत में समान परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनकी बिक्री के बाद की सेवाओं से संबंधित ओईएम के साथ करार की प्रति

e) **प्रत्येक प्रस्तावित वस्तु जैसे एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणालियों, डिस्प्ले मॉनिटर, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, केबल आदि की विस्तृत विनिर्देशों के साथ तकनीकी पुस्तिका** इस संविदा में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए, साथ ही निर्माता की कैटलॉग / उत्पाद पुस्तिका भी संलग्न करनी चाहिए। यदि निर्माता की कैटलॉग / उत्पाद पुस्तिकाओं में उपकरणों / उत्पादों के विनिर्देशों और आयामों में इस ई-निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट विनिर्देशों और आयामों से कुछ भिन्नताएँ हैं, तो इस ई-निविदा दस्तावेज में दिए गए विनिर्देशों और आयामों को वरीयता दी जाएगी।

f) **पूर्ण तकनीकी विवरण** और शामिल करने के लिए प्रस्तावित कोई भी विशेष सुविधाएं तकनीकी मूल्यांकन के लिए दी जानी चाहिए। दावा की गई सुविधाओं/विशेषताओं के लिए समर्थक दस्तावेज तकनीकी बोली जमा करते समय संलग्न किए जाने चाहिए।

g) **10 वर्षों के लिए उत्पाद समर्थन दिया जाएगा। ओईएम से एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह घोषणा की जाए कि ओईएम द्वारा कार्य के वास्तविक समापन के वर्ष से 10 वर्षों तक उत्पाद समर्थन प्रदान किया जाएगा।** निविदाकर्ता को इस ई-निविदा के लिए प्रस्तावित उत्पाद समर्थन विशेष रूप से दर्शाना चाहिए और इस संबंध में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। **वचनपत्र ओईएम का ही होना चाहिए।**

h) ई-निविदाकर्ता के पास पटना में या जज़दीकी मेट्रो/ शहर में रखरखाव का सेट-अप होना चाहिए, रखरखाव सेट-अप का पता और टेलीफोन निर्दिष्ट किया जाएगा और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।

i) **अनुबंध-A** के तहत दी गई तकनीकी डेटा शीट को पूरी जानकारी देते हुए भरा जाएगा।

j) संलग्न अनुबंधों के अनुसार अन्य प्रमाणपत्र / घोषणाएँ प्रस्तुत की जानी हैं।

k) ग्राहकों की रिपोर्टों की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रतियाँ (संलग्न प्रारूप में उन दो ग्राहकों से जिनके लिए समान प्रकार का कार्य किया गया है) और बैंकर का प्रमाणपत्र अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में।

3.5.3 **निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने / दरें उद्धृत करने से पहले साइट का दौरा कर लें और साइट की परिस्थितियों से परिचित हो लें।**

3.5.4 निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ई-निविदा दस्तावेज़ में दी गई संविदा की सामान्य शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर ही ई-निविदा प्रस्तुत करें, और कोई विचलन न रखें। यदि ई-निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों को स्वीकार करने से कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उस पर विचार किया

जाना चाहिए और उसे उद्धृत दर में शामिल किया जाना चाहिए। **नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएंगी।**

3.5.5 ई-निविदाकर्ता प्रणाली के डिज़ाइन या प्रणाली के किसी भाग के संबंध में स्वयं द्वारा या किसी तृतीय पक्ष द्वारा धारित या उपयोग किए जा रहे पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिज़ाइन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, कॉपीराइट, औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3.5.6 समस्त सूचनाएँ, पत्राचार आदि **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना** को संबोधित होंगे।

3.6 भाग II - कीमत

भाग II – "कीमत बोली", ई-निविदा के साथ दी गई है

(a) इस भाग में कीमतें प्रारूप (भाग II) के अनुसार ब्रेक-अप सहित केवल भारतीय रुपये में होंगी। भाग II में किसी अन्य अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। ई-निविदा के भाग II में पाए गए नियमों और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें शून्य माना जाएगा।

(b) दरें भरने के लिए निविदाकर्ता केवल बैंक द्वारा जारी फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। ई-निविदा फॉर्म **अंग्रेजी में** भरा जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता तो बैंक के विवेकाधिकार पर ई-निविदा को अवैध माना जा सकता है।

(c) निविदा दस्तावेज भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तन निविदाकर्ता के आद्यक्षर के माध्यप से सत्यापित किए जाने चाहिए। अंकों में उपरिलेखन की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं करने पर बैंक के विकल्प पर ई-निविदा शून्य हो सकती है।

(d) ई-निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(e) उद्धृत दरों को परिपूर्ण कार्य के लिए माना जाएगा और जब तक प्रणाली बैंक को सौंप नहीं दी जाती, तब तक वे बिना किसी वृद्धि के अपरिवर्तनीय और बाध्यकारी होंगी।

(f) किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के हिसाब से मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि ही स्वीकार्य होगी और आंकड़ों और शब्दों में दरों में भिन्नता के मामले में, शब्दों में उद्धृत दर को ही उस वस्तु के लिए कुल राशि निकालने के लिए विचार किया जाएगा।

(g) उद्धृत दरें अपरिवर्तनीय होंगी और विनिमय दर, करों की दर, शुल्क, लेवी या मजदूरी की दरों में भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा, अर्थात् आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उपकरण की कमीशनिंग और सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोज्य वस्तु, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ श्रमिकों का मुआवजा और तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी का कोई रियायती रूप जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उपकरण, यदि आयात करने की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार के स्वयं के आयात लाइसेंस पर

आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में होंगे। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उद्धृत राशि में सेवा कर या किसी अन्य लागू करों को शामिल करें।

(h) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे दृढ़ता से मात्रा अनुसूची के अनुसार ही उद्धरण दें। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से मद दर के आधार पर ही हो और उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वत: स्पष्ट होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग कार्य की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, जिससे संविदा का कुल मूल्य बदल सकता है। इस आधार पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) बैंक को स्वीकार्य उपकरण के मेक के संबंध में निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि "खंड V – तकनीकी विनिर्देश और अनुमोदन" और सामग्री/ उपकरणों के अनुमोदित मेक की सूची देखें। निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अनुमोदित सूची से ही दरें उद्धृत करें जो विनिर्देशों के अनुसार हो और जो सबसे किफ़ायती हो। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वैकल्पिक उपकरणों से दरें उद्धृत न करें। **निविदा के साथ प्रस्तावित उपकरण से संबंधित सम्पूर्ण तकनीकी और निर्माणगत विवरण सहित प्रस्तावित उपकरण के अवयवों के मेक की सूची देते हुए तकनीकी लीफलेट/ साहित्य/ ब्रोशर संलग्न किए जाएंगे।**

(j) निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने संविदा करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और उसे आरेखों की जांच करनी चाहिए और कार्य की साइट का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में सभी स्थानीय परिस्थितियों से खुद को परिचित करना चाहिए।

3.8 ई-निविदा को खोला जाना

ई-निविदाओं का भाग 1 ई-निविदाकारों की मौजूदगी में 22 जुलाई 2026 को 15:00 बजे से खोला जाएगा। केवल उन्हीं ई-निविदाकारों की कीमत बोली (भाग 2) खोली जाएगी जो ई-निविदाओं के भाग 1 की छानबीन के बाद पात्र पाए गए हों, यह बाद के किसी कार्यदिवस पर खोला जाएगा जिसकी जानकारी पात्र निविदाकारों को दी जाएगी। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि ई-निविदाओं के भाग 1 और भाग 2 के खोले जाने के समय उपस्थित रहें।

3.9 संक्षेप में कार्य का दायरा

3.9.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी।

- विषयांकित कार्य के लिए बैंक की साइट (अर्थात दक्षिण गाँधी मैदान, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना– 800001 – बिहार) पर बीमा, पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन / लदाई/ उतराई इत्यादि सहित सभी उपकरणों, सामग्रियों का डिज़ाइन और डिलीवरी।
- **एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग** और प्रणाली बैंक को सौंपना।
- आवधिक सर्विस इत्यादि सहित प्रणाली का नियमित निरीक्षण और रखरखाव।
- **एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली** की स्थापना के लिए स्थानीय सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन, यदि कोई हो।

3.9.2 निविदाकर्ता को तकनीकी विनिर्देशों में मांगी गई बातों के अलावा सभी प्रासंगिक ब्रोशर/साहित्य आदि के साथ सिस्टम/उप प्रणालियों के कामकाज और उनकी विद्‌युत आवश्यकताओं का पूरा विवरण इंगित करना चाहिए।

3.9.3 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि ऑफर किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.9.4 निविदाकर्ता प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, संयंत्रों, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

3.10 ई-निविदा की वैधता

ई-निविदा**,** कीमतों सहित**,** ई-निविदा के भाग-**I** के खोले जाने की तारीख से प्रारंभ में **90** दिनों की अवधि के लिए मान्य रहेगी**,** जिस अवधि को निविदादाता और निविदा आमंत्रणकर्ता के बीच लिखित करार द्वारा और बढ़ाया जा सकता है**,** और निविदादाता इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द नहीं करेगा या वापस नहीं लेगा।

3.11 **यह आवश्यक नहीं है कि सबसे कम दर वाली ई-निविदा को स्वीकार ही किया जाए।**

3.11.1 बैंक न्यूनतम या किसी भी ई-निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए भी बाध्य नहीं है।

3.11.2 निविदादाता ई-निविदा प्रस्तुत के संबंध में या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, प्रभार, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक ई-निविदा में संशोधन करने या उसे वापस लेने का निर्णय ले।

3.12 **दोष दायित्व अवधि के दौरान बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और सुरक्षा**

3.12.1 सभी निविदादाताओं को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में, पटना में देय, डिमांड ड्राफ्ट/NEFT द्वारा **29,160/- रुपये की बयाना राशि** जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा अनुमोदित प्रारूप में बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ई-निविदादाता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ में 90 दिनों के लिए धारित किया जाएगा और निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट की गई अवधि तक यह अप्रदत्त (un-discharged) रहेगी। सफल निविदादाता को

छोड़कर अन्य सभी निविदादताओं की बयाना राशि बोली वैधता की समाप्ति (विस्तारित वैधता सहित) या सफल निविदादाता को कार्य सौंपे जाने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बयाना राशि जमा सावधि जमा रसीदों, बीमा गारंटी, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

सफल निविदादाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को या तो सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा या संविदा के सम्यक् निर्वहन के लिए सुरक्षा जमा हेतु बैंक द्वारा अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से **"कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG)"** प्राप्त करने पर वापस कर दी जाएगी। यदि वेंडर/ठेकेदार वाणिज्यिक निविदा खोले जाने के बाद अपनी बोली वापस लेता/लेती है या यदि उसे सौंपे गए कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू करने में विफल रहता/रहती है, तो बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।

बैंक से अपनी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदादाता करार को लागू करने के लिए बाध्य होगा और ऐसा चौदह दिनों के भीतर करेगा। सफल निविदादाता को मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे, किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, भारतीय रिज़र्व बैंक और इस प्रकार निविदा दाखिल करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे बाद में ऐसा औपचारिक करार निष्पादित किया जाए या न किया जाए।

3.12.2 इस संविदा के नियमों और शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशियों को सुरक्षा जमा में से काटा जा सकता है**,** यदि जमा राशि इतनी हो**,** जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी किए जाने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशियों को नकद में जमा नहीं कर देता है।

3.12.3 (a) **पूर्णता अवधि के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी :** कार्य आवंटित होने पर, सफल निविदाकर्ता को संविदा के उचित निर्वहन के लिए प्रतिभूति जमा हेतु, बैंक द्वारा अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (BG) के रूप में **संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत)** के बराबर की राशि प्रस्तुत करनी होगी। यह कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG) प्रारंभ में संविदा अवधि + तीन (3) माह की अवधि के लिए मान्य होगी और संविदा अवधि में वृद्धि की स्थिति में, कार्य के अंतिम पूर्ण होने + तीन (3) माह तक इसे उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात, निविदा जमा करते समय बयाना राशि (EMD) हेतु प्रस्तुत बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी। ऐसी कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG) कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुति में विलंब की स्थिति में, कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विलंब का शुल्क ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर वसूला जाएगा।

यदि निविदादाता निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी निविदा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी और जमा की गई बयाना राशि को बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूल किया जाएगा, ताकि आगे होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई की जा सके। ई.एम.डी. हेतु प्रदान की गई बैंक गारंटी को, यदि आवश्यक हो, तो सफल निविदादाता द्वारा संविदा के उचित अनुपालन हेतु सुरक्षा जमा राशि के रूप में पी.बी.जी. प्रस्तुत करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक बढ़ाया जाएगा।

(b) **दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के प्रति बैंक गारंटी और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि:**

कार्य के पूर्ण होने के पश्चात, पी.बी.जी. की वैधता को वास्तविक की तिथि से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा सफल निविदादाता को डी.एल.पी. और सी.ए.एम.सी. संविदा के नियम और शर्तें तथा दायित्वों के उचित अनुपालन हेतु सुरक्षा जमा-राशि के रूप में बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, अनुलग्नक के अनुसार, किसी अनुसूचित बैंक से संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि की नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यह 10% बी.जी. प्रारंभ में आभासी पूर्णता की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इसके पश्चात, सी.ए.एम.सी. संविदा की शर्तों के उचित अनुपालन हेतु अगले 9 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रूप से 10% की कमी की गई राशि के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा। बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह 10 वर्षों की प्रतिबद्ध अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि डी.एल.पी. और सी.ए.एम.सी. के नियम और शर्तें, जो निविदा में निर्धारित हैं, का संतोषजनक निष्पादन नहीं होता है, तो बैंक गारंटी को लागू कर सकता है।

नोट : कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति उसी प्रकार सुनिश्चित की जाएगी जैसा निविदा में बताया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलम्ब के मामले में, कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति में विलम्ब पर प्रभार की वसूली ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर की जाएगी।

यदि ठेकेदार निविदा की शर्तों के अनुसार संविदागत दायित्वों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उसकी कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी, बयाना जमाराशि, और / अथवा प्रतिधारण राशि बिना पूर्व-नोटिस दिए जब्त कर ले।

3.13 भुगतान की शर्तें

इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा, जोकि सांविधिक कटौतियों के अधीन होगा। भुगतान के तरीके में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

1) साइट पर जांच, साइट पर सामग्री की प्राप्ति के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने के बाद सामग्री की डिलीवरी के लिए आनुपातिक आधार पर उद्धृत आपूर्ति दर का 60% :
    a) निर्माता के निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र

b) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटकों, पुर्जों, उप-प्रणालियों, उपभोग्य सामग्रियों आदि को अच्छी स्थिति में साइट पर प्राप्त किया गया है और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है तो बैंक को उसकी नि:शुल्क आपूर्ति की जाएगी।

c) पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और ई-निविदा शर्तों के अनुसार तृतीय पक्ष दायित्वों सहित सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियां।

2) खंड 3.12 (बी) के अनुसार पूरे सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के बाद और दोष दायित्व अवधि के एक वर्ष के लिए बैंक गारंटी जमा करने या कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के विस्तार(कार्य के वास्तविक समापन से एक वर्ष तक) के बाद उद्धृत दरों का शेष 40%

सर्व समावेशी देखरेख और रखरखाव संविदा के लिए आनुपातिक भुगतान अपेक्षित परीक्षणों/ रिपोर्टों के साथ संतोषजनक सेवाओं के पूरा होने के बाद बिल प्रस्तुत करने पर छमाही किया जाएगा।

3.14 **कर**

3.14.1 उद्धृत कीमतों में जीएसटी कर शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल नहीं करता है तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर आयकर काटा जाएगा और ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.15 **बीमा**

ठेकेदार, कार्य शुरू होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा सुनिश्चित करेगा और नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (**पॉलिसी में भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम पहले रहेगा**) आग से होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध सम्पूर्ण संविदा राशि के लिए कार्यों के वास्तविक समापन तक उन्हें बीमित रखेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार काम शुरू होने से इक्कीस दिनों के भीतर नियोक्ता के पास पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें जमा करेगा। ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त तरीके से बीमा कराने में चूक करने पर, नियोक्ता कार्य का ऐसा बीमा करा सकता है और अदा की गई प्रीमियम ठेकेदार को देय किसी धनराशि, अर्थदंड इत्यादि, या भविष्य में देय होने वाली धनराशि से काट सकता है। इससे ऐसी चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कार्य को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, तो जैसे ही पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा हो जाए, या बीमाकर्ता कार्यालय द्वारा कार्य पुन: शुरू कराया जाए, ठेकेदार सम्पूर्ण सम्यक् सावधानी के साथ उसी प्रकार कार्य को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार से संविदा की उन्हीं शर्तों पर इस तरह आगे बढ़ेगा जैसे आग लगी ही न हो। आग लगने की घटना के बाद पुनर्निर्माण या पुनरारम्भ के मामले में ठेकेदार कार्य पूर्ण करने के लिए ऐसे समय-विस्तार का हकदार होगा जैसा उचित समझा जाए।

जिस समय उपकरण/ सामग्री निर्माता के यहाँ से निकलती है, तब से उक्त प्रणाली बैंक को सौंपे जाने तक, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए ठेकेदार अपनी लागत पर सभी बीमा बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर लेगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगी :

- निर्माता के कारखाने से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (वायु/समुद्र/सड़क आदि द्वारा, यथालागू)
- भंडारण, संस्थापन, परीक्षण और चालू करने की पॉलिसी (ठेकेदार के समस्त जोखिम पॉलिसी)
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कर्मकार प्रतिकर पॉलिसी
- तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी कुल 10.00 लाख रुपये की और प्रति दुर्घटना रु. 5 लाख की सीमा।
- आग से बीमा

नोट: ये पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी और भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त नाम पर होंगी जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम पहले होगा। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह स्वयं उक्त पॉलिसियाँ ले और उनकी लागत ठेकेदार के बिल से वसूल करे या कोई अन्य कार्रवाई करे।

3.16 **पूर्णता अवधि**

3.16.1 मेमोरेंडम में किए गए उल्लेख के अनुसार**,** कार्य पूरा करने के लिए दिए गए समय का ठेकेदार को सख्ती से पालन करना होगा और इस समय की गणना कार्य शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने के **14**वें दिन से की जाएगी।

3.16.2 **समय पर कार्य पूर्ण न करने के लिए परिनिर्धारित नुकसानी**

समय संविदा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संविदा की संपूर्ण निर्धारित अवधि के दौरान**,** कार्य को समस्त सम्यक् सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह निर्धारित अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए परिशिष्ट में यथा परिभाषित **प्रति सप्ताह किए गए कार्य के मूल्य के 0.25% की दर से परिनिर्धारित नुकसानी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा**, **यह संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगा,** जिसे नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी धनराशि से काट सकता है।

3.16.3 सफल निविदाकर्ता विभिन्न घटकों और उप-संयोजनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग को पूरा करने के लिए एक बार चार्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इस तरह के चार्ट में सभी गतिविधियां शामिल होंगी जैसे कि साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तारीख, मदवार कार्य पूरा करना आदि, और बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना।

3.16.4 बैंक भवन के परिसर के भीतर भंडारण स्थान प्रदान करेगा। हालांकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार के पास होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

3.17 वारंटी / दोष दायित्व अवधि

3.17.1 सम्पूर्ण प्रणाली में निर्माण/ डिज़ाइन/ संस्थापन संबंधी खराबी इत्यादि सहित किसी भी प्रकार की खराबी के लिए बैंक को उपकरण सौंपे जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वारंटी होगी। गारंटी अवधि के दौरान प्रणाली/ उप-प्रणाली में पायी गई कोई खराबी निविदाकर्ता द्वारा निःशुल्क ठीक की जाएगी/ बदली जाएगी। इस अवधि के दौरान, कम से कम चार सर्विसिंग और कितनी भी शिकायतें, जैसा कि निर्माता द्वारा कहा गया है और परस्पर सहमति व्यक्त की गई है, निःशुल्क की जाएंगी। निविदाकर्ता को स्थापना के स्थान पर प्रदान की जाने वाली सेवा सुविधा और अपने सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर और पता भी बताना होगा। निविदाकार गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा संविदा के लिए अपने प्रभारों को भी अलग से उद्धृत करेंगे। सेवा संविदा के लिए यह दर गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। सेवा संविदा दर में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह एक आपातकालीन प्रणाली है, इसलिए सिस्टम में किसी भी खराबी को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

	स्थिति	**सुधार का समय**	**जुर्माना**
(a)	कोई ऐसी खराबी जिसके कारण प्रणाली पूरी तरह से ठप पड़ जाए	24 घंटे	रु.2500/- प्रति दिन, अधिकतम वार्षिक रखरखाव संविदा राशि के 10% के अधीन
(b)	स्वतंत्र डिवाइसों, अवयवों, केबलों में कोई ऐसी खराबी जिसके कारण प्रणाली पूरी तरह से ठप न पड़े	72 घंटे	रु.500/- प्रति दिन, अधिकतम वार्षिक रखरखाव संविदा राशि के 10% के अधीन

3.17.2 निविदाकर्ताओं को ऐसे विवरण देने होंगे, जैसे कि पटना में प्रस्तावित प्रणाली की नियमित सर्विस किस सर्विस सेंटर से की जाएगी, उस सेंटर पर कितने कर्मचारी होंगे और वहां प्रणाली के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता कैसी होगी।

3.17.3 व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के दौरान कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी बकाये से वसूला जाएगा या बैंक गारंटी का उपयोग करके वसूल किया जाएगा।

3.18. **दोष दायित्व अवधि के बाद व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा**

(a) निविदाकर्ता व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के लिए मात्रा अनुसूची के अनुसार अपने प्रभार अलग से उद्धृत करेंगे जो एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि के बाद लागू होगा। दरों में उपर्युक्त कार्य क्रने के लिए लगाए गए मजदूरों के लिए बीमा प्रभार और रखरखाव के लिए जीएसटी भी शामिल होगा जिसे मात्रा सूची के संबंधित कॉलम में उद्धृत किया जाएगा।

(b) प्रणाली की समय-समय पर जाँच/ रखरखाव/ सर्विसिंग/ सफाई की जाएगी। आवधिकता मौसम कि स्थितियों के अनुसार **तिमाही या अधिक** होगी।

(c) व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के प्रभार में सेवा संविदा अवधि के दौरान प्रणाली के किसी भी भाग के प्रतिस्थापन, सभी आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, खपत सामग्री आदि को शामिल किया जाएगा। एएमसी अवधि के दौरान पाए गए प्रणाली/उप-प्रणालियों में किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा बैंक पर कोई अतिरिक्त लागत डाले बिना ठीक किया जाएगा या प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(d) सीएएमसी (CAMC) के दौरान दोष-निवारण में देरी के लिए जुर्माना:

व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अवधि (डीएलपी अवधि के बाद) के दौरान, प्रणाली में किसी भी खराबी की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर उसका निवारण किया जाएगा। अतः, उद्धृत दरों में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों को शामिल किया जाना चाहिए। सीएएमसी (CAMC) के दौरान निवारण में देरी के लिए जुर्माना, डीएलपी के दौरान लगाए जाने वाले जुर्माने के समान होगा। सीएएमसी के दौरान लगाया गया कोई भी जुर्माना, ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से वसूला जाएगा या बैंक गारंटी का उपयोग करके वसूला जाएगा।

(e) व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा (सीएएमएस) के दौरान सेवा प्रभारों का भुगतान:

सीएएमएस अवधि के दौरान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर **भुगतान छमाही आधार पर** किया जाएगा। यह संविदा प्रारंभिक संविदा अवधि (जो चार वर्षों की समाप्ति तक वैध है - जिसमें एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि और तीन वर्ष की प्रारंभिक संविदा अवधि शामिल है) के पश्चात कम से कम 6 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी। संविदा को नवीकृत करते समय, नई संविदा राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

एसी = एपी {15+60 x (ईपीआईसी/ईपीआईपी) + 25 x (सीपीआईसी/सीपीआईपी)} x 1/100	
AC	चालू वर्ष के लिए संविदा राशि
AP	पिछले वर्ष की संविदा राशि
EPIC	चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईसी थोक मूल्य सूचकांक।
EPIP	पिछले वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईपी थोक मूल्य सूचकांक
CPIC	चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)।
CPIP	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले।

सफल निविदाकर्ता प्रणाली की व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा हेतु बैंक के साथ एक करार करेगा।

3.19 **पैकिंग और डिस्पैच**

उपकरणों को भारतीय परिस्थितियों में समुद्र/वायु/रेल/सड़क मार्ग से मल्टिपल हैंडलिंग और परिवहन हेतु डिब्बों में उचित और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, गांधी मैदान, पटना, बिहार में डिलीवर किए जाएंगे। परिवहन, पैकेजिंग, लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा।

3.20 **संविदा करार पर हस्ताक्षर**

निविदादाताओं के लिए सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तें, जिनका उल्लेख पूर्व में किया गया है, संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश तथा ई-निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्नक के रूप में दिए गए चित्र, बैंक और निविदादाता के बीच आदान-प्रदान किया गया परवर्ती पत्राचार और दिया गया कार्य आदेश, सफल निविदादाता के साथ किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होंगे। सफल निविदादाता को स्वीकृति पत्र/ कार्य आदेश प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर बैंक के साथ स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/ कार्य आदेश जारी करना एक बाध्यकारी संविदा माना जाएगा, मानो कि ऐसा करार निष्पादित कर लिया गया हो और इस संविदा पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

3.20.1 निविदादाता को इसके साथ दिए गए संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियम और शर्तों का अवलोकन करना चाहिए और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट नियमों के सख्ती से अनुरूप होना चाहिए। निर्दिष्ट नियम और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। ई-निविदा दस्तावेज़ों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, यह दर्शाने के लिए कि उन्होंने संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देश आदि से स्वयं को परिचित कर लिया है।

3.20.2 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी साझेदारों या उस साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके पास प्रस्तावित संविदा करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार हों। अन्यथा, ई-निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.20.3 बैंक द्वारा अपनी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदादाता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदादाता को मसौदा करार के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति स्वयं भारतीय रिज़र्व बैंक और ऐसे ई-निविदा दाखिल करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन करेगी, चाहे बाद में ऐसे संविदा को निष्पादित किया गया हो या नहीं।

3.20.4 ठेकेदार संविदा का अंतरण नहीं करेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी भाग को उप-ठेके पर नहीं देगा। इन नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, नियोक्ता ठेकेदार को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके पश्चात सुरक्षा जमाराशि नियोक्ता के पक्ष में जब्त हो जाएगी, हालांकि इससे ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.21 **<u>मात्रा सूची की पर्याप्तता</u>**

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ई-निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि कार्यों के लिए उसकी ई-निविदा और मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में अंकित कीमतें सही और पर्याप्त हैं, और ये दरें और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी बाध्यताओं और कार्यों के उचित पूर्ण होने के लिए आवश्यक सभी मामलों और वस्तुओं को कवर करेंगी।

3.21.1 मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य की कुल सीमा का लगभग संकेत देती हैं, किंतु ये किसी भी हद तक भिन्न हो सकती हैं या फिर छोड़ी भी जा सकती हैं, जिससे संविदा का कुल मूल्य परिवर्तित हो सकता है।

3.22 **भाषा**

आरेखों के सभी लेबेल, दस्तावेज़, कैटलॉग इत्यादि समेत ई-निविदा अंग्रेजी में होगी।

3.23 **ई-निविदा को अंशत: स्वीकार करने का अधिकार**

बैंक के पास निविदादाता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर ई-निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.24 **ई-निविदा का मूल्यांकन**

ई-निविदाओं का मूल्यांकन प्रणाली की पूंजीगत लागत के आधार पर तथा एक वर्ष की दोष दायित्व/गारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात 09 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन 10 वर्षों की उपयोगी सेवा काल वाली एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली के स्वामित्व के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के आधार पर किया जाएगा। उक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(a)	बाई-बैक के बाद एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की लागत	(A)
(b)	एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि के पश्चात 9 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा शुल्क का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) इस प्रकार परिकलित किया जाएगा: एक वर्ष की वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात एक वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक रखरखाव संविदा (AMC) शुल्क पर वार्षिक 5% की वृद्धि दर, अर्धवार्षिक भुगतान और वार्षिक 8% की छूट दर (discount rate) को मानते हुए। इस प्रकार, 9 वर्ष के लिए एएमसी (1 वर्ष की गारंटी अवधि के बाद) का एनपीवी निकालने के लिए गुणक 6.5122 होगा।	(B)

	नोट: तथापि, एएमसी का भुगतान निविदा के भाग 2 में एएमसी शीर्षक के तहत उद्धृत दरों और राशियों के आधार पर सख्ती से किया जाएगा।	
(c)	10 वर्षों की उपयोगी सेवा काल वाली एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली के स्वामित्व का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) {A + (B x MF)} के माध्यम से निकाला जाएगा।	(C)
(d)	कार्य उपर्युक्त (C) के न्यूनतम मूल्य के लिए सौंपा जाएगा।	

स्वामित्व की कुल लागत = **{**पूँजीगत लागत **(A) + 7.5603 X** एएमसी दर **(B)}**

नोट**:** यदि निविदादाता व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए उद्धृत पूंजीगत लागत के 5% से कम दरें उद्धृत करता है, तो व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए न्यूनतम आधार दर कुल पूंजीगत लागत का 5% होगी; ऐसे मामलों में स्वामित्व की कुल लागत की गणना के लिए उद्धृत पूंजीगत लागत का 5% वार्षिक रखरखाव संविदा के रूप में माना जाएगा।

नोट: **उपर्युक्त के बावजूद**, **बैंक केवल प्रतिबद्ध संविदा अवधि की अवधि के दौरान निविदा में दर्शाए गए नवीकरण सूत्र के अधीन**, **उद्धृत वार्षिक रखरखाव संविदा दर का ही भुगतान करेगा।**

3.25 **प्रेषण से पूर्व निरीक्षण**

साइट पर उपकरण भेजने से पहले, बैंक के विवेकानुसार उपकरण का निरीक्षण किया जाएगा और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों/अभियंताओं द्वारा निर्माता के कार्यस्थल/फैक्ट्री में विभिन्न मापदंडों पर इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसके पश्चात ही इसे शिपमेंट के लिए स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि, यह किसी भी प्रकार से ठेकेदार को निर्दिष्ट साइट पर स्थापना और कमीशनिंग के बाद दोष दायित्व अवधि के दौरान और संपूर्ण संविदा अवधि अर्थात नौ वर्षों तक प्रणाली/घटकों के निरंतर प्रदर्शन के लिए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

3.26 **आरेख**

उपकरण ले-आउट के लिए सभी अपेक्षित आरेख निविदाकर्ता द्वारा कार्य आरम्भ करने से पहले बनाए जाने चाहिए और बैंक के इंजीनियर के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3.27 **अन्य मुद्दे**

ठेकेदार द्वारा संपूर्ण कार्य सख़्ती से बैंक के इंजीनियर के अनुमोदित आरेख, विस्तृत विनिर्देश और अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। यदि बैंक के इंजीनियर/परामर्शदाता की राय में साइट की स्थिति के अनुरूप होने हेतु नाममात्र के परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं और नियोक्ता का पूर्व में लिखित अनुमोदन प्राप्त है, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वैसे परिवर्तन करेगा।

3.28 निविदादाताओं से अनुरोध है कि ई-निविदा जमा करने से पूर्व वे चित्रों का परीक्षण करें, कार्य स्थल का निरीक्षण करें और कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति आदि सहित सभी स्थानीय शर्तों से स्वयं को अवगत करा लें।

3.29 प्रत्येक कार्य की संभावित मात्राओं की अनुसूचियाँ और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ संलग्न हैं। नियोक्ता के विवेक पर लोप, कटौती या जोड़ द्वारा संभावित मात्राओं की अनुसूची में परिवर्तन किए जाने की संभावना रहती है। प्रत्येक ई-निविदा में केवल दरें ही नहीं, बल्कि कार्य की प्रत्येक मद का मूल्य भी एक अलग स्तंभ में दर्ज किया जाना चाहिए और संपूर्ण ई-निविदा के कुल मूल्य को दर्शाने के लिए सभी मदों का जोड़ किया जाना चाहिए।

3.30 ई-निविदा में उद्धृत कीमतों में रविवार और अवकाश सहित दिन और रात दोनों समय के लिए मचान, निगरानी और प्रकाश व्यवस्था, तथा सभी अन्य निर्माणों, वस्तुओं या मामलों की सुरक्षा हेतु सभी प्रभार शामिल होंगे। ठेकेदार को अवसरानुसार या ऐसे निर्देश दिए जाने पर किसी भी या सभी केंद्रण, मचान आदि को हटाना और हटवा देना होगा, तथा कार्य के निष्पादन के दौरान इधर-उधर हुए सभी मामलों और वस्तुओं को बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूर्णतः पुनः स्थापित और ठीक करना होगा।

3.31 ठेकेदार को कार्य आरंभ करने या निष्पादित करने में होने वाले किसी भी विलंब, चाहे विलंब का कारण कुछ भी हो, के कारण उसे हुए किसी भी हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-संविदा में विलंब, अथवा परियोजना की अन्य ट्रेडों के लिए संविदाएं प्रदान करने में या ऐसे कार्यों के आरंभ या पूर्णता में होने वाले विलंब भी शामिल हैं। नियोक्ता, ई-निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो यहाँ प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार परिवर्तनों के अधीन है।

3.32 सफल निविदादाता कार्य के पूर्ण होने के लिए आवश्यक सभी मदों को निष्पादित करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी मदें मात्राओं और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

3.33 **कामगारों को न्यूनतम मजदूरी:** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों को सांविधिक अपेक्षानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है।

3.34 **श्रम लाइसेंस:** यदि उक्त संविदा के तहत लागू हो तो ठेकेदार सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

3.35 सफल निविदाकर्ता बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करेगा ताकि कार्य न्यूनतम संभावित विलम्ब के साथ आसानी से आगे बढ़ सके।

3.36 **बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)**: ई-निविदा के बारे में इच्छुक निविदाकर्ताओं को जानकारी देने के लिए एक बैठक सम्पदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में **03 अगस्त 2026 को 15:00 बजे** आयोजित की जाएगी जिसमें ई-निविदा के संबंध में उठाई गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इस बैठक के लिए अलग से

कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को बैठक में उपस्थित रहने और ई-निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। पात्र निविदाकर्ता किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण के लिए अपने प्रश्न **estatepatna@rbi.org.in** पर लिखित **ई-मेल द्वारा 27 अगस्त 2026 को 14:00 बजे** या उससे पहले भेज सकते हैं। वे बैठक के दौरान स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी बिंदु/शर्त/विनिर्देश का उल्लेख कर सकते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदादाताओं को उचित तरीके से सूचित किया जाएगा। अपेक्षा की जाती है कि निविदादाता इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर लेंगे और इसलिए उन्हें बैंक की ई-निविदा की शर्तों/विनिर्देशों से अपने तकनीकी (भाग-I) और कीमत निविदाओं (भाग-II) में विचलन करने से बचना चाहिए। निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इच्छुक निविदादाताओं का बोली-पूर्व बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बाद बोली-पूर्व बैठक की तारीख बदलने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक के बाद निविदा की शर्तों (भाग-I) में किसी भी विचलन को शामिल करना या प्रस्तुत करना अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

3.37 निविदा के साथ उपकरणों की पूर्ण तकनीकी और निर्माण संबंधी विवरण तथा प्रस्तावित उपकरणों के घटकों के मेक की जानकारी देने वाले लीफलेट/ साहित्य संलग्न होने चाहिए। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थापन स्थल का दौरा करें और स्थल की स्थितियों से स्वयं परिचित हो लें। निविदादाताओं को विशिष्ट टिप्पणी देनी चाहिए और केवल तभी टिप्पणी प्रस्तुत करनी चाहिए यदि उनकी प्रणाली किसी भी प्रकार से बैंक के विस्तृत विनिर्देशों/विशेषताओं से भिन्न हो। पूरी प्रणाली और व्यक्तिगत घटकों की कार्यप्रणाली का एक विवरण भी संलग्न किया जाना चाहिए। सफल निविदादाता को, कार्य पूर्ण होने पर, स्कीमैटिक और लेआउट ड्राइंग तथा रखरखाव मैनुअल के तीन सेट प्रस्तुत करने होंगे।

3.38 कार्य को पूरा करने के लिए ज्ञापन में उल्लिखित समय का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और यह समय कार्य प्रारंभ करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से गिना जाएगा। संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान कार्य पूर्ण लगन और तत्परता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा की शर्तों के खंड 4.27 में परिभाषित अनुसार क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता को कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करना होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

3.39 ठेकेदार को कार्य के प्रारंभ होने या निष्पादन में होने वाली देरी के कारण हुए किसी भी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी क्यों न हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-संविदा में देरी, परियोजना की अन्य ट्रेडों के लिए संविदाएं देने में देरी, या ऐसे कार्यों के प्रारंभ या पूर्ण होने में देरी, सरकारी नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री की प्राप्ति में देरी, निर्माण उद्देश्यों के लिए जल और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी, या किसी अन्य कारण से हुई देरी शामिल है, और नियोक्ता इस संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, सिवाय उन परिवर्तनों के जो यहां प्रावधानित हैं।

3.40 सफल निविदादाता को कार्य के पूर्ण होने के लिए आवश्यक किसी भी मद को निष्पादित करना अनिवार्य होगा, भले ही ऐसी मदें मात्राओं और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेशों की अनुसूचियां आर्किटेक्ट द्वारा नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से लिखित रूप में जारी की जाएंगी।

3.41 सफल निविदादात को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना अनिवार्य है, ताकि कार्य यथासंभव कम से कम देरी के साथ सुचारु रूप से आगे बढ़े और यह नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार हो।

3.42 ठेकेदार को यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि समस्त कार्य आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किए गए विनिर्देशों के सख्ती से अनुपालन में, स्थानीय लोक प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप तथा भारतीय विद्युत नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा और किसी भी आधार पर किसी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं होगी।

3.43 साइट पर उपकरण भेजने से पूर्व, बैंक के इंजीनियर द्वारा विनिर्माता की साइट पर उपकरण का निरीक्षण किया जा सकता है और तत्पश्चात इसे शिपमेंट के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

ठेकेदार को अपने व्यय पर, निरीक्षक को यह समाधान प्रदान करने के लिए कि उपकरण/कार्य का निष्पादन इस निविदा दस्तावेज़ से संलग्न विशिष्ट विनिर्देशों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप निर्मित/निष्पादित किया जा रहा है और/या किया गया है, सभी उचित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। उक्त प्रयोजन के लिए, संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर को ठेकेदार के कार्यों या साइट तक पूर्ण और निःशुल्क पहुंच प्राप्त होगी, और वह ठेकेदार से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने परिसरों में या भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर निरीक्षण के लिए कार्य या उसके किसी भाग या किसी सामग्री की व्यवस्था करे, और यदि ठेकेदार को उप-ठेकेदार की सेवाएं नियोजित करने की अनुमति दी गई है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के पास समान अधिकार सुरक्षित रहेगा।

तथापि, इससे निर्दिष्ट साइट पर स्थापना और कमीशनिंग के बाद प्रणाली/घटकों के उचित निष्पादन के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होगी।

3.44 **निरीक्षण की लागत: -** ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, सभी सामग्री, औजार, श्रमिक और प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान करनी होगी, जिनकी मांग बैंक का प्राधिकृत प्रतिनिधि/इंजीनियर उनसे ठेकेदार के परिसर में किए जाने वाले किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और जांच के लिए कर सकता है, और इसके लिए आने वाली सभी लागतों को वह वहन और अदा करेगा। हालांकि, निरीक्षण स्थल के लिए बैंक के इंजनीयर/ इंजीनियरों के यात्रा, बोर्डिंग और लॉजिंग का व्यय बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

3.45 **परीक्षण की विधि: -** बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह उसी या उसके किसी भी भाग का हिस्सा बनने वाले सभी उपकरणों और सामग्रियों का ऐसे परीक्षण कराएं जो उन्हें उचित और उपयुक्त लगें। निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण पद्धति पर ठेकेदार को किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हक नहीं होगा।

3.46 **निरीक्षक को कार्यनिष्पादन प्रमाणित करने का प्राधिकार: -** बैंक के इंजीनियर के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :

a) किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, यह प्रमाणित करना कि वे या उनका कोई भाग संविदा के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि विनिर्माण की किसी असंतोषजनक पद्धति को अपनाया गया है;

b) किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग को अस्वीकार करना जो विनिर्देश के अनुरूप न हो;

c) निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किसी भी उपकरण के उस भाग का निरीक्षण करने के पश्चात, जिसे वह अपने विवेकानुसार उचित समझे, यदि वह यह समाधान प्राप्त कर लेता है कि उक्त उपकरण असंतोषजनक है, तो निरीक्षण हेतु प्रस्तुत संपूर्ण उपकरण को अस्वीकार करना; और

d) अस्वीकृत उपकरणों या भागों पर अस्वीकृति का चिह्न इस प्रकार अंकित करना कि यदि उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जाए, तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

3.47 **अस्वीकृति के परिणाम:** यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा उपकरण या उसके किसी भाग को अस्वीकृत किए जाने पर, ठेकेदार द्वारा निर्धारित आपूर्ति/पूर्णता अवधि के भीतर संतोषजनक आपूर्ति करने या इस प्रकार किए गए त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक करने में विफलता बरती जाती है, तो बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह:

i) ठेकेदार को अस्वीकृत उपकरणों या भागों के स्थान पर, निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर, प्रतिस्थापन हेतु उपकरणों या भागों को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति देना, जिसमें ऐसे प्रतिस्थापन पर यदि कोई माल ढुलाई लागू होती है तो उसका व्यय ठेकदार वहन करेगा और इस संबंध में उसे किसी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं माना जाएगा; अथवा

ii) अस्वीकृत उपकरणों या भागों अथवा अन्य समान प्रकार के उपकरणों/भागों (जब ठीक-ठीक विनिर्देशों का पालन करने वाले उपकरण या भाग बैंक की राय में, जो अंतिम होगी, आसानी से उपलब्ध न हों) की मात्रा/कार्य को ठेकेदार के जोखिम और व्यय पर खरीदने/निष्पादित करने या खरीद/निष्पादन को प्राधिकृत करना, बिना इसके कि संविदा के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार की देयता प्रभावित हो; अथवा

iii) संविदा को रद्द करना और ठेकेदार के जोखिम और व्यय पर उपकरणों या अन्य समान प्रकार के उपकरणों (जब ठीक-ठीक विनिर्देशों का पालन करने वाले उपकरण या भाग बैंक की राय में, जो अंतिम होगी, आसानी से उपलब्ध न हों) को खरीदना/निष्पादित करना या खरीद/निष्पादन को प्राधिकृत करना। यदि उपरोक्त खंड (b) या इस खंड के तहत कोई कार्रवाई की जाती है, तो तदनुसार नियम और शर्तों में निहित आपूर्ति संबंधी खंड के प्रावधान लागू होंगे।

3.48 **अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा : -** बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृति के संबंध में लिया गया निर्णय ठेकेदार की अपील के अधीन, ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.49 प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इस संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा पटना के अधिकार क्षेत्र के भीतर किया जाएगा।

3.50 निविदादाता को उन बैंकरों का नाम और पता प्रस्तुत करना होगा जिनके साथ वे सामान्यतः बैंकिंग करते हैं। उन्हें अपने हालिया ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनके लिए उन्होंने हाल के अतीत में इसी प्रकार के कार्य/आपूर्ति की है, साथ ही प्रणाली/मशीन की आपूर्ति की लागत और क्षमता, आपूर्ति की तारीख आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे।

3.51 बैंक के पास किसी सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.52 ठेकेदार को इसके साथ संलग्न सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा।

3.53 **गोपनीयता खंड:**

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी तृतीय पक्ष को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक को हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

3.54 **लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) खंड :**

i) ठेकेदार / एजेंसी “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक के परिसर में उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार / एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार / एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii) यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा किया जाना साबित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत दी जानी आवश्यक हो, तो ऐसे मामले में ठेकेदार किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

iv) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

v) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक: फर्म के हस्ताक्षर

स्थान: (प्राधिकार/ मुख्तारनामा धारक व्यक्ति के द्वारा)

नाम:

सुरक्षा संहिता

1. स्वच्छ पट्टियाँ और रुई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक न्यूनतम एक मीटर की ऊंचाई दी जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग या प्लेटफॉर्म की छत के हर खुले हिस्से को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी, लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं भरना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सीसा युक्त पेंट वाली सतह को सूखे हुए रूप में रगड़ा या खुरचा जाता है, तब कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क आपूर्ति किए जाने चाहिए।
12. काम में उपयोग की जाने वाली उत्थापन मशीनें और टैकल, उनके सहायक भाग, ऐंकरेज और सपोर्ट सहित आदर्श स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे लाने या सस्पेंशन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।

<u>विद्युत सुरक्षा</u>

i. साइट पर विभिन्न सेवाओं, जैसे कटिंग/ड्रिलिंग मशीन आदि को चलाने के लिए आवश्यक सभी अस्थायी विद्युत शक्ति को उचित रेटिंग वाले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ELCB) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

ii. केवल ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग तथा अन्य उपकरण एवं सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

iii. उपयोग किए जाने वाले बिजली के केबल/तार उचित रेटिंग के होंगे तथा जोड़ों से बचा जाएगा। यदि जोड़ होते हैं, तो वे उचित एवं विद्युतरोधी होने चाहिए।

iv. सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान करेंट लीकेज से बचाव के लिए सुरक्षित एवं दृढ़ता से भू-संयोजित (अर्थ) किए जाएंगे।

v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य आरंभ करने से पूर्व, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा साइट का निरीक्षण करने के बाद ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।

vi. साइट पर दो बाल्टी पानी और रेत को आसानी से सुलभ क्षेत्र में रखा जाएगा।

vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्र साइट पर रखे जाएंगे।

viii. इस्तेमाल किए जा चुके पेंट के ड्रमों को केवल निर्दिष्ट स्टोर में ही उचित रूप से बंद करने के बाद ही रखा जाएगा।

ix. कार्य की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान के प्लग आदि, श्रमिकों द्वारा कार्य-संबंधी स्वास्थ्य खतरों से बचाव के लिए उपयोग किए जाएंगे।

x. भूमि स्तर से 10 फुट से अधिक ऊँचाई पर कार्य करते समय, श्रमिकों द्वारा सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाएगा।

xi. लिफ्ट लॉबी एवं सीढ़ियों के निकट स्थित किसी भी गलियारे का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे के ढेर रखने के लिए नहीं किया जाएगा।

xii. दोनों सीढ़ियों के दरवाज़े सामान्यत: बंद रखे जाएंगे।

xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया नहीं जाएगा/ दूसरी जगह पर नहीं रखा जाएगा।

xiv. जब उपकरण उपयोग में न हों तब विद्युत आपूर्ति मुख्य स्विच से बंद कर दी जाएगी।

xv. कार्य से उत्पन्न लकड़ी की छीलन, लकड़ी का बुरादा, या अन्य कोई मलबा दैनिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित रीति से निर्धारित स्थान पर भंडारित किया जाएगा।

xvi. कार्य से उत्पन्न कोई मलबा दैनिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित रीति से निर्धारित स्थान पर भंडारित किया जाएगा।

xvii. मजदूरों को कार्यालय समय के बाद कार्य करते समय ठेकेदार द्वारा बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध करायी जाएगी।

स्थान:

दिनांक: मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

खंड-IV

संविदा की शर्तें – वाणिज्यिक

इसमें इसके पूर्व संदर्भित शर्तें

4.1 निर्वचन खंड

4.1.1

इन नियम और शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची तथा संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहाँ निर्दिष्ट किया गया है, सिवाय उन अवस्थाओं के जहाँ संदर्भ के विषय के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो।

(a) "नियोक्ता" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक होगा और उसमें इसके समनुदेशित अधिकारी-कर्मचारी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

(b) "ठेकेदार" का अर्थ (i) साझेदारी फर्म के मामले में ____________________ और _____________ होगा जो पार्टनर के रूप में____________ के नाम और शैली से व्यापार करते हैं और उनका व्यवसाय का स्थान ___________________________ में है और इसमें उक्त फर्म के उस समय के साझेदार और किसी मृत पार्टनर के कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे (ii) व्यक्ति के मामले में "ठेकेदार" का आशय श्री ________________________________ होगा जो ______________________________ के नाम और शैली से व्यापार कर रहे हैं और इसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे (iii) कम्पनी के मामले में इसका अर्थ ______________________होगा जो ______________ 19_____ के तहत गठित एक कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय ________________ में है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अधिकारी शामिल होंगे।

(c) "साइट" का अर्थ संविदा कार्यों की साइट से होगा, जिसमें उस पर स्थित कोई भी भवन एवं निर्माण तथा बैंक द्वारा ठेकेदार के उपयोग हेतु उपर्युक्त रूप से आवंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित) शामिल होगी।

(d) "यह संविदा" का अर्थ इससे संलग्न तथा उचित रूप से हस्ताक्षरित करारनामा, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देश तथा आरेख आदि से होगा।

(e)"आर्किटेक्ट" का अर्थ मुख्य महाप्रबंधक, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा।

(f) **<u>बैंक के इंजीनियर</u>**: "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे कार्य का निरीक्षण करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त एवं भुगतान किया गया हो। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों एवं सामग्री के निरीक्षण तथा समय एवं सामग्री की जाँच एवं मापन हेतु प्रत्येक सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा। न तो बैंक के इंजीनियर और न ही बैंक के किसी प्रतिनिधि के पास कार्यों को निर्धारित करने, या संविदा की किसी अपेक्षा को रद्द करने, संशोधित करने, विस्तारित करने या शिथिल करने, या किसी कार्य, जोड़, संशोधन, विचलन, या चूक, या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने की शक्ति होगी, जब तक कि ऐसी शक्ति नियोक्ता के पूर्व लिखित सहमति से बैंक के इंजीनियर के एक लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त न की गई हो।

बैंक का इंजीनियर या बैंक का कोई भी प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न होने का नोटिस देने का हकदार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। कार्य की समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा जाँच की जाएगी, परंतु ऐसी जाँच किसी भी प्रकार से ठेकेदार को इस बाध्यता से मुक्त नहीं करेगी कि वह कार्य की किसी भी अवस्था में या उसके पूर्ण होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करे। इस खंड की सीमा के अधीन रहते हुए, ठेकेदार को केवल बैंक के इंजीनियर से ही अनुदेश प्राप्त करने होंगे।

(g) “लिखित नोटिस” या लिखित रूप में नोटिस का अर्थ लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में भेजी गई नोटिस से होगा (जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई हो या अन्यथा प्रमाणित न हो कि उसे प्राप्त किया गया है), जो पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजी गई हो, तथा डाक के सामान्य प्रवाह में उसके पहुँचने के समय को उसके प्राप्त होने का समय माना जाएगा।

(h) “दिवालियापन का कृत्य” का अर्थ प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियमों को संशोधित करने वाले किसी अधिनियम में यथापरिभाषित दिवालियापन के कृत्य से होगा।

(i) “शुद्ध कीमतें” — यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में वस्तुओं के कुल योग में किसी राशि को प्रतिशत या अन्य रूप से जोड़ा या घटाया है, तो निविदा में किसी भी मद की शुद्ध कीमत उस राशि के बराबर होगी जो उस मद के रूप में निविदा में दर्शाई गई वास्तविक राशि में समान प्रतिशत या समानुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त की जाती है, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि के प्रतिशत या अनुपात का निर्धारण करते समय, निविदा की कुल राशि से किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों और अनुमानित धनराशियों की कुल राशि को घटा दिया जाए। संविदा या लेखाओं के संदर्भ में “शुद्ध दरें” या “शुद्ध कीमतें” अभिव्यक्ति का आशय ऐसी प्राप्त दरों या कीमतों से होगा।

(j) **"कार्य"** का अर्थ **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, पटना में एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग** होगा।

(k) व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों में फर्म तथा निगम भी शामिल हैं। एकवचन को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल हैं तथा संदर्भ की आवश्यकतानुसार इसके विपरीत भी।

4.2 संविदा का दायरा

4.2.1 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार एवं उनकी संतुष्टि के अनुरूप, उक्त कार्य को हर प्रकार से पूरा करेगा। बैंक के इंजीनियर अपने पूर्ण विवेकानुसार एवं समय-समय पर निम्नलिखित के संबंध में आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, दिशानिर्देश तथा स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें आगे इस दस्तावेज़ में सामूहिक रूप से “बैंक के इंजीनियर के अनुदेश” कहा जाएगा :

(a) कार्यों के डिज़ाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन अथवा किसी भी कार्य का अतिरिक्त सम्मिलन, विलोपन या प्रतिस्थापन।

(b) चित्रों में अथवा मात्राओं की अनुसूची और/या चित्रों और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

(c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

(d) ठेकेदारों द्वारा किए गए किसी भी कार्य का हटाना और/ या पुनर्निष्पादन।

(e) कार्य पर नियोजित किसी व्यक्ति को वहाँ से हटाना।

(f) ढके हुए किसी कार्य को निरीक्षण के लिए खोलना।

(g) खंड 1.19 के तहत किसी कमी को ठीक करना और भरपाई करना।

4.2.2 ठेकेदार तुरंत बैंक के इंजीनियर के ऐसे अनुदेशों में शामिल किसी भी कार्य का पालन करेगा तथा उचित रूप से उसका निष्पादन करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्य के स्थल पर दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश एवं स्पष्टीकरण, यदि किसी परिवर्तन से संबंधित हों, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किए जाएँ, और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति न की जाए, तो ऐसे अनुदेशों को संविदा के दायरे के भीतर बैंक के अभियंता के अनुदेश माना जाएगा।

4.3 परिवर्तन नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होने चाहिए

4.3.1 इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना कोई भी मौखिक या लिखित अनुदेश जारी नहीं करेंगे जिसके परिणामस्वरूप बैंक को ठेकेदार को अतिरिक्त राशि भुगतान करनी पड़े, तथा ठेकेदार को जारी किए गए सभी अनुदेश तुरंत नियोक्ता की जानकारी में लाए जाएँगे। ठेकेदार परिवर्तनों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें मात्रा एवं दरें दरों के विश्लेषण, वाउचर आदि द्वारा उचित रूप से समर्थित होंगी। नियोक्ता द्वारा छानबीन एवं अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक करार का गठन करेंगी। जब तक नियोक्ता द्वारा इन विवरणों को स्वीकृत नहीं किया जाता, तब तक वह ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.4 आरेख, मात्रा सूची और करार

4.4.1 संविदा दो प्रतियों में निष्पादित की जाएगी और नियोक्ता तथा ठेकेदार प्रत्येक को अपने उपयोग हेतु एक निष्पादित प्रति प्राप्त होगी। ठेकेदार को इसके हस्ताक्षर के समय, बैंक के इंजीनियर द्वारा उक्त चित्र तथा विनिर्देशों की एक-एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठेकेदार को किसी अतिरिक्त प्रति के लिए भुगतान करना होगा। ठेकेदार को कार्य स्थल पर सभी चित्रों की एक प्रति रखनी होगी तथा बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उनका अवलोकन करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व सभी चित्र तथा विनिर्देश बैंक को तुरंत लौटाने होंगे।

4.5 आवश्यक हर चीज ठेकेदार अपनी लागत पर उपलब्ध कराएगा

4.5.1 ठेकेदार अपनी लागत पर निर्माण कार्यों के उचित निष्पादन हेतु आवश्यक सभी वस्तुएँ उपलब्ध कराएगा, जो आरेख, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय एवं अर्थ के अनुसार हों, चाहे वे विशेष रूप से उनमें दर्शाए गए हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे युक्तियुक्त रूप से उनका अनुमान लगाया जा सके। यदि ठेकेदार को आरेखों में अथवा आरेखों, मात्राओं की अनुसूची एवं विनिर्देशों के बीच कोई असंगति प्रतीत होती है, तो वह तत्काल लिखित रूप से उसे बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो यह निर्णय करेगा कि किसका पालन किया जाएगा।

4.6 प्राधिकरण, नोटिसें और पेटेंट

4.6.1 ठेकेदार को कार्य से संबंधित किसी भी वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों, किसी भी प्राधिकरण के नियमों एवं उप-नियमों, तथा किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के नियमों के अनुरूप कार्य करना होगा, जिनकी प्रणालियों से संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है। इस अनुरूपता के कारण आरेखों या विनिर्देशों में कोई परिवर्तन करने से पूर्व, ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन एवं उसके कारण का विवरण दिया जाएगा तथा इस संबंध में अनुदेशों के लिए आवेदन किया जाएगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे अनुदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह उक्त प्रावधानों, नियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य जारी रखेगा, तथा इस प्रकार अपेक्षित परिवर्तनों का निपटारा यहाँ दिए गए खंड 4.13 के तहत किया जाएगा।

4.6.2 ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, नियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सभी सूचनाओं को किसी भी प्राधिकरण को देने के लिए बैंक के इंजीनियर का ध्यान आकर्षित करना होगा, तथा कार्य से संबंधित सभी उचित शुल्कों का भुगतान उस प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक कार्यालय को करना होगा और उन रसीदों को बैंक के इंजीनियर के पास जमा करना होगा।

4.6.3 ठेकेदार को बैंक को पेटेंट अधिकारों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करनी होगी तथा ऐसे दावों से उत्पन्न सभी कार्यवाहियों का बचाव करना होगा और स्वयं उन सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति, लागत एवं शुल्कों का भुगतान करना होगा, जो इस संबंध में कानूनी रूप से उठाए जा सकते हैं।

4.7 कार्यों का निर्धारण

4.7.1 ठेकेदार को कार्यों का निर्धारण करना होगा तथा उनके सही एवं पूर्ण निर्धारण तथा उनके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम एवं संरेखण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्यों की प्रगति के दौरान अथवा कार्यों के समापन के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि प्रकट होती है, तो ठेकेदार, यदि ऐसा आवश्यक हो, अपने व्यय पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि का सुधार करेगा।

4.8 सामग्रियाँ और कारीगरी विवरण के अनुसार हो

4.8.1 सभी सामग्री एवं कारीगरी, जहां तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देश में वर्णित संबंधित प्रकार की होंगी तथा बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के अनुसार होंगी, और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उन्हें सभी इनवायस, खाते, रसीद एवं अन्य वाउचर प्रदान करेगा जिनसे यह सिद्ध हो सके कि सामग्री उनके अनुरूप है। बैंक के इंजीनियर की अपेक्षानुसार ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर किसी भी सामग्री के परीक्षण की व्यवस्था करेगा और कराएगा।

4.9 ठेकेदार की निगरानी एवं कार्य स्थल पर प्रतिनिधि

ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान तथा इसके बाद भी बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, जब तक इस संविदा के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" समाप्त नहीं हो जाती, सभी आवश्यक व्यक्तिगत निगरानी प्रदान करनी होगी। ठेकेदार को कार्य की पूरी अवधि के दौरान एक योग्य प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी होगी, जो कार्यरत श्रमिकों के कार्य करने के दौरान कार्य स्थल पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिया गया कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, आदेश या सूचना ठेकेदार को दी गई मानी जाएगी।

4.10 मजदूरों का निष्कासन

4.10.1 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

4.11 कार्य तक पहुँच

नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को हर उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक निर्बाध पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधि को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को

छोड़कर जब तक नियोक्ता द्वारा प्राधिकृत न हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य-स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

4.12 हस्तांतरण और उप-किराएदारी

4.12.1 संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से / शेयर या उसमें किसी भी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, समनुदेशित नहीं करेगा या किराए पर नहीं करेगा, और कोई भी वचनपत्र ठेकेदार को संविदा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

4.12.2 किसी परिवर्तन, विलोपन या भिन्नता से संविदा अवैध नहीं होगी किंतु यदि कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय बैंक के इंजीनियर को उचित लगे कि कार्य में कोई परिवर्तन, अतिरिक्त कार्य या विलोपन किया जाए अथवा उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन किया जाए, तथा वे अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को इसकी सूचना दें, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार उचित परिवर्तन, अतिरिक्त कार्य या विलोपन करेगा। तथापि, ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की लिखित पूर्व सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, न ही संविदा, शर्तों, विनिर्देश या संविदा आरेखों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन करेगा। ऐसे अतिरिक्त कार्यों, परिवर्तनों, अतिरिक्त कार्यों या विलोपनों का मूल्य सभी मामलों में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए खंड 4.16 के अनुसार, नियोक्ता की लिखित पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा, तथा उक्त मूल्य, यथास्थिति, संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा।

<u>4.13</u> मात्रा सूची

4.13.1 जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मात्रा सूची को मानक मापन विधि के अनुसार तैयार की गई माना जाएगा। कार्य के मापन योग्य मदों के लिए मापन की विधि उप-धारा "मापन की विधि" में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

(c) मात्राओं की अनुसूची में किसी मद के विवरण या मात्रा में किसी त्रुटि अथवा किसी मद के छूट जाने से यह संविदा शून्य नहीं होगी, बल्कि उसका शोधन किया जाएगा और उसका मूल्य, जो इसके खंड 4.16 के तहत निर्धारित किया जाए, संविदा राशि में जोड़ा जाएगा अथवा (स्थिति के अनुसार) उसमें से घटाया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में किसी त्रुटि का शोधन, यदि कोई हो, अनुमत नहीं होगा।

<u>4.14 मात्रा सूची की पर्याप्तता</u>

<u>4.14.1</u> यह माना जाएगा कि ठेकेदार निविदा करने से पहले कार्य के लिए और मात्रा सूची में उल्लिखित कीमतों और / अथवा दर सूची में उल्लिखित दरों और कीमतों के संबंध में अपनी निविदा की सत्यता और पर्याप्तता से संतुष्ट है और इन कीमतों में कार्य की समुचित पूर्णता के लिए इस संविदा के तहत उसके सभी दायित्व और अन्य चीजें शामिल होंगी।

<u>4.15 कार्य का मापन</u>

4.15.1 बैंक के इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकते हैं कि उन्हें कार्यों का मापन करना है, तथा ठेकेदार तत्काल उपस्थित होगा या एक योग्य एजेंट को भेजेगा जो बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को ऐसे मापन एवं गणनाओं में सहायता प्रदान करेगा तथा उनमें से किसी के द्वारा अपेक्षित सभी विवरण प्रदान करेगा या सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

4.15.2 यदि ठेकेदार उपस्थित न हो या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही या उपेक्षा करे, तो बैंक के इंजीनियर या उनके द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए मापन को कार्यों के सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में दिए गए मापन की विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

4.15.3 ठेकेदार या उनके एजेंट मापन के समय अपनी जरूरत के अनुसार नोट्स और माप ले सकते हैं।

4.15.4 बैंक के इंजीनियर की जानकारी के बिना किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, विलोपन तथा सभी भिन्नताएँ, यदि बाद में उनके द्वारा लिखित रूप से (बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ) स्वीकृत की जाती हैं, तो ऐसे मापनों में शामिल की जाएँगी।

<u>4.16 अतिरिक्त कार्यों के लिए कीमतें सुनिश्चित करना</u>

4.16.1 ठेकेदार, जब अधिकृत हो, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से निर्देशित होने और बैंक की स्वीकृति के साथ, चित्रों पर दर्शाए गए, या विनिर्देश में वर्णित, या मात्राओं की अनुसूची में सम्मिलित कार्यों में जोड़, घटाव या परिवर्तन कर सकता है, किंतु ऐसे प्राधिकार या निर्देश के बिना ठेकेदार कोई जोड़, घटाव या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक रूप से दिया गया प्राधिकार या निर्देश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप से दिया गया माना जाएगा।
4.16.2 अतिरिक्त मद के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इसके खंड 4.2.2 के प्रावधानों के अंतर्गत न किया गया हो या बैंक के इंजीनियर के अधिकार और बैंक की सहमति से, जैसा कि यहां उल्लिखित है, किया गया हो। ऐसे किसी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(a) मूल निविदा में निर्धारित शुद्ध दरें या कीमतें उस अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी प्रकृति का हो और उन्हीं समान परिस्थितियों में किया गया हो जिनमें उसमें मूल्यांकित कार्य किया गया है।

(b) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ कहीं भी संभव हो, कीमत युक्त मात्रा सूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(d) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छूटी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि छूटों से यह परिवर्तित होता है कि शेष बची किसी कार्य की मदों को किन शर्तों के तहत निष्पादित किया जाना है, तो उनकी कीमतों का मूल्यांकन इसके उप-खंड (c) और (d) के तहत किया जाएगा।

(e) जहाँ अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के न हों और/या उपरोक्त अनुसार समान परिस्थितियों में न किए गए हों, या जहाँ छोड़े गए भाग के कारण शेष कार्यों के किसी भी मद को करने की परिस्थितियाँ बदल जाएँ, या यदि किसी छोड़े गए भाग या अतिरिक्त कार्य की राशि, संविदा कार्यों की कुल राशि या उसके किसी भाग के सापेक्ष ऐसी हो कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची या निविदा में वर्णित शुद्ध दर या कीमत, या कार्यों की किसी भी मद के लिए, ठेकेदार द्वारा यथार्थपूर्वक अनुमानित नुकसान या व्यय से अधिक हो, या ऐसे छोड़े गए भाग या अतिरिक्त कार्य के कारण अनुचित या अप्रासंगिक हो जाए, तो बैंक के इंजीनियर नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य कीमत निर्धारित करेंगे जो परिस्थितियों के अनुसार वे उचित समझेंगे।

जहाँ अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मात्राओं की कीमत अनुसूची में वर्णित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएँगी; यदि ऐसा वर्णित न हो, तो जिले के

स्थानीय दैनिक कार्य दरों एवं मजदूरी के अनुसार; बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, कार्य के निष्पादन के सप्ताह के बाद के सप्ताह के अंत तक या उससे पहले, बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को दैनिक समय (और यदि बैंक के अभियंता द्वारा अपेक्षित हो तो मजदूरों के नाम) तथा उपयोग की गई सामग्री के विवरण वाले वाउचर सत्यापन हेतु सौंपे जाएँ।

4.16.3 संविदा के संबंध में मापन और मूल्य निर्धारण, परिशिष्ट में वर्णित "अंतिम मापन की अवधि" के भीतर पूर्ण किया जाएगा, अथवा यदि यह वर्णित नहीं है, तो इसके खंड 4.20 में परिभाषित अनुसार संविदा कार्यों के पूर्ण होने के छह महीने के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

4.अप्रयुक्त सामग्री नियोक्ता की सम्पत्ति होगी

4.17.1 जहाँ किसी प्रमाणपत्र (जिसके लिए ठेकेदार ने भुगतान प्राप्त किया है) में बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए आशयित और/या कार्य पर या उसके निकट स्थापित किसी खुली सामग्री के मूल्य को शामिल किया है, ऐसी सामग्री बैंक की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें बैंक के इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना कार्य पर उपयोग के अलावा हटाया नहीं जा सकता। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

4.18 अनुपयुक्त कार्यों को हटाना

4.18.1 बैंक के इंजीनियर को कार्य की निरंतरता के दौरान, लिखित रूप से समय-समय पर आदेश देने का अधिकार होगा कि ऐसे उचित समय के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, उन सभी सामग्रियों को कार्य से हटा दिया जाए जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं, उचित सामग्रियों का प्रतिस्थापन किया जाए तथा चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या श्रम के साथ किए गए किसी भी कार्य को हटाकर उचित रूप से पुनर्निर्माण किया जाए; और ठेकेदार को तुरंत ऐसे आदेश को अपने खर्च पर कार्यान्वित करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसे आदेश को कार्यान्वित करने में चूक होती है, तो बैंक को अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा ताकि वे उसी कार्य को कर सकें; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए गए उससे संबंधित या उसके सहायक सभी व्यय, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं।

4.19 वास्तविक पूर्णता के बाद की कमियाँ

4.19.1 परिशिष्ट में वर्णित " गारंटी अवधि" के भीतर या, यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो कार्य पूर्ण होने की तिथि से बारह महीने के भीतर, बैंक के इंजीनियर की राय में संविदा के अनुरूप न होने वाली सामग्री या श्रम के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दोष, सिकुड़न, बैठना या अन्य त्रुटियों को, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देश और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर सुधार और ठीक किया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा चूक होती है, तो बैंक अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है ताकि वे ऐसे दोषों, सिकुड़न, बैठने या अन्य त्रुटियों को सुधार और ठीक कर सकें, और इससे उत्पन्न या इससे जुड़ी सभी क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा सुधारे और वहन किए जाएंगे, तथा ऐसी क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूले जा सकते हैं या ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसा सुधार और ठीक करने के स्थान पर, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से एक राशि काट सकता है, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी और ऐसे कार्य को सुधारने की लागत के बराबर होगी, तथा यदि इस खंड 4.28 के तहत धारित राशि अपर्याप्त हो, तो बैंक शेष राशि बैंक द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी व्यय सहित ठेकेदार से वसूल कर सकता है। यदि किसी उप-ठेकेदार द्वारा, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा खंड 4.11 और 4.12 के अनुसार नामित या अनुमोदित किया गया है, कार्य के दौरान कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या सामग्री आपूर्ति

की गई हो, तो ठेकेदार उसी तरह से जिम्मेदार होगा जैसे कि यह कार्य या सामग्री इस ठेकेदार द्वारा किया गया या आपूर्ति किया गया हो और खंड 4.2 के प्रावधानों के अधीन हो। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी लेखा को पारित करने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत जिम्मेदार बना रहेगा।

4.20 वास्तविक पूर्णता का प्रमाणपत्र और गारंटी अवधि

4.20.1 कार्य उस समय तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कि विनिर्देश के अनुसार प्रणाली का हस्तांतरण नहीं हो जाता। गारंटी अवधि हस्तांतरण की तारीख से प्रारंभ होगी।

4.21.1 सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य, जो कोई कार्य निष्पादित कर रहे हैं या कोई सामान आपूर्ति और स्थापित कर रहे हैं, जिनके लिए मूल लागत की कीमतें या अस्थायी राशियां मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देश में शामिल हैं, और जिन्हें बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या चयनित किया जा सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और इन्हें यहाँ नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया गया है।

4.21.2 कोई भी नामित उप-ठेकेदार कार्यों पर या उनसे संबंधित कार्यों में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ठेकेदार द्वारा उसके विरुद्ध उचित टिप्पणी न की गई हो (जब तक कि बैंक के इंजीनियर और ठेकेदार अन्यथा सहमत न हों), जो निम्नलिखित शर्तों पर संविदा में प्रवेश करेगा:

(a) यह कि नामित उप-ठेकेदार, उप-संविदा के संबंध में उन्हीं दायित्वों के लिए ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा, जिन दायित्वों के अधीन ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।

(b) यह कि नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों की किसी भी लापरवाही के संबंध में या उसके या उनके द्वारा ठेकेदार की किसी भी मचान या अन्य संयंत्र के दुरुपयोग के संबंध में, अथवा तत्समय प्रभावी किसी भी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध ठेकेदार को क्षतिपूरित करेगा।

(c) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर यह प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खाते उचित रूप से निपटाए गए हैं; यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र पर भुगतान कर सकता है और उस राशि को ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से काट सकता है। इस शक्ति का प्रयोग नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच संविदा में किसी विचलन का कारण नहीं बनेगा।

4.22 नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

4.22.1 नियोक्ता के पास इस संविदा में शामिल न किए गए किसी भी कार्य को अन्य व्यक्तियों द्वारा कराने के लिए परिसर तथा स्थल के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है, और ठेकेदार को ऐसे कार्य के संपादन हेतु सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी जो वह अन्य व्यक्तियों से कराना चाहता है, परंतु ऐसे कार्य के संपादन हेतु कोई भी संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के। ऐसा कार्य इस प्रकार से किया जाएगा कि इससे संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न पड़े, और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.23 व्यक्ति और सम्पत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा

4.23.1 ठेकेदार इस संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के संचालन या लापरवाही के कारण, चाहे वह लापरवाही, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से हो, व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को हुई सभी चोटों तथा संपत्ति के संरचनात्मक एवं सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी चोट या क्षति ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी कर्मचारी के कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हुई हो। इस खंड में, विशेष रूप से, निकटवर्ती या अन्य किसी भी इमारत को हुई क्षति, सड़कों, गलियों, फ़ुटपाथों, पुलों या मार्गों को हुई क्षति तथा इस संविदा के विषय बने इमारतों एवं कार्यों को ठंड, बारिश, हवा या अन्य मौसमी असुविधाओं के कारण हुई सभी क्षतियाँ शामिल होंगी। ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी चोट या क्षति के कारण उत्पन्न होने वाले सभी व्ययों तथा किसी भी अधिनियम के तहत ऐसी चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे या उसके परिणामस्वरूप दिए गए क्षतिपूर्ति के आदेश के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा तथा उसे इन सभी मामलों से सुरक्षित रखेगा।

4.23.2 ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की क्षति को पुनर्स्थापित करेगा, ताकि संविदा के सभी कार्यों को हर दृष्टि से पूर्ण एवं अद्यतन अवस्था में सौंपा जा सके तथा तृतीय पक्षों की संपत्ति को हुई क्षति के संबंध में सभी दावों की पूर्ति या अन्यथा संतुष्टि की जा सके।

4.23.3 ठेकेदार बैंक को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी बात के संबंध में जनता के किसी सदस्य या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा तथा अपने व्यय पर, संविदा की वास्तविक पूर्णता तक, किसी अनुमोदित कार्यालय के साथ बैंक एवं ठेकेदार के संयुक्त नाम पर ऐसे जोखिमों के विरुद्ध एक पॉलिसी जारी करने एवं बनाए रखने की व्यवस्था करेगा तथा इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर को ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा। ठेकेदार इसी प्रकार बैंक को किसी भी ठेकेदार या उप-ठेकेदार के कर्मचारी के संबंध में, चाहे वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान लागू किसी अन्य अधिनियम या सामान्य कानून के तहत हो, बैंक पर किए जाने वाले सभी दावों के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा तथा अपने व्यय पर, संविदा की वास्तविक पूर्णता तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ बैंक एवं ठेकेदार के संयुक्त नाम पर ऐसे जोखिमों के विरुद्ध एक पॉलिसी जारी करने एवं बनाए रखने की व्यवस्था करेगा तथा इस संविदा की निरंतरता के दौरान समय-समय पर नियोक्ता को ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा।

4.23.4 ठेकेदार उन सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा जो उपर्युक्त संदर्भित बीमा पॉलिसियों से बाहर हो सकते हैं, तथा इस संविदा के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को हुई सभी अन्य क्षतियों के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह नियोक्ता को किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में तथा उससे उत्पन्न किसी भी आदेश, मुआवजा या क्षति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

4.23.5 बैंक अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर ऐसे किसी भी दावे या क्षति से उत्पन्न या उसके संबंध में उत्पन्न किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क एवं व्यय की राशि को, ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी या सभी राशियों से कटौती करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने व्यय पर, संविदा की वास्तविक पूर्णता तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ निम्नलिखित बीमा पॉलिसियाँ जारी करने एवं बनाए रखने की व्यवस्था करेगा तथा इस संविदा की निरंतरता के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर को ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा।

1. संविदा की कुल राशि के लिए ट्रांज़िट, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी (सी.ए.आर. पॉलिसी)
2. कामगार मुआवज़ा पॉलिसी
3. निम्नलिखित सीमाओं के साथ तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी
    (a) 10,00,000/- एक वर्ष के लिए, और
    (b) 5,00,000/- प्रति घटना

- (बीमा बैंक और फर्म के संयुक्त नाम पर होगा जिसमें बैंक का नाम प्रथम बीमित के रूप में होगा।)

4.24 प्रारम्भ और समापन की तारीख

4.24.1T ठेकेदार को इसमें वर्णित परिशिष्ट में बताई गई 'आरंभ की तारीख' को, अथवा बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट की गई किसी बाद की तारीख को, स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और उसे तत्पश्चात् तुरंत कार्य आरंभ कर देना चाहिए और यथाशीघ्र नियमित रूप से उसे आगे बढ़ाना चाहिए और पूर्ण कर देना चाहिए (सिवाय ऐसे पेंट या अन्य सजावटी कार्य के जिसे बैंक का इंजीनियर विलंबित करवाना चाहे), इसमें बाद में वर्णित समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, 'पूर्णता की तारीख' तक जो कि परिशिष्ट में अंकित है।

4.25 पूर्ण न करने के लिए हर्जाना

4.25.1 यदि ठेकेदार कार्य की सहमत प्रगति दर बनाए रखने में विफल रहता है और/अथवा परिशिष्ट में अंकित तारीख तक या इसके खंड (4.26) के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है, और बैंक का इंजीनियर लिखित में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में उक्त कार्य यथोचित रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार को नियोक्ता को उस अवधि के लिए परिशिष्ट में नामित राशि "परिनिर्धारित हर्जाना" के रूप में अदा करनी होगी, जिस दौरान उक्त कार्य अपूर्ण रहता है, और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से ऐसे हर्जाने की कटौती कर सकता है।

4.26 विलम्ब और समय का विस्तार

4.26.1 यदि नियोक्ता की राय में कार्यों में विलंब होता है: (क) अप्रत्याशित घटना के कारण, या (ख) किसी असामान्य रूप से खराब मौसम के कारण, या (ग) बगल के या पड़ोसी स्वामियों या सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ धमकी या विवाद के कारण, जो ठेकेदार के अपने दोष से उत्पन्न न हो, या (घ) बैंक द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या श्रमिकों के कार्यों या विलंब के कारण, जो मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में संदर्भित न हों, या (ङ) इस संविदा के खंड 4.2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के कारण, या (च) गृह युद्ध, स्थानीय श्रमिकों के अशांति, हड़ताल या लॉक-आउट के कारण, जो किसी भी निर्माण व्यवसाय को प्रभावित करते हों, या (छ) ठेकेदार द्वारा बैंक के इंजीनियर से समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त न करने के कारण, जिसके लिए उसने लिखित रूप से विशेष रूप से आवेदन किया हो, या (ज) अन्य कारणों से, जिन्हें बैंक के इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर घोषित कर सकते हों, या (झ) यदि विचलन के कारण कार्य का मूल्य मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक के इंजीनियर नियोक्ता के लिखित पूर्व-अनुमोदन के साथ, संविदा कार्यों के पूर्ण होने के लिए उचित एवं न्यायसंगत समय विस्तार कर सकते हैं; ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में, ठेकेदार को जैसे ही संभव हो, बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना देनी होगी, तथापि ठेकेदार विलंब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

4.27 ठेकेदार द्वारा बैंक के इंजीनियर के अनुदेशों के पालन में विफलता

4.27.1 यदि ठेकेदार नियोक्ता से दस दिनों के भीतर अनुपालन की मांग करते हुए लिखित नोटिस मिलने के बाद ऐसे अतिरिक्त ड्राइंग्स और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है जो इसके लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इससे संबंधित सभी लागतें नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के आधार पर ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूली जा सकती हैं या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उन्हें काटा जा सकता है।

4.28 नियोक्ता द्वारा संविदा का समापन

4.28.1 यदि संविदाकार, जो कोई व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अथवा यदि वह एक निगमित कंपनी है और उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश पारित कर दिया जाता है या वह न्यायालय की देखरेख में या स्वेच्छा से समापन हेतु कोई प्रभावी संकल्प पारित करती है, और ऐसे दिवालियापन या समापन की स्थिति में आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, यथास्थिति, को उसे ऐसा करने का निर्देश देने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर, यह प्रदर्शित करना होगा कि वह संविदा को निष्पादित और पूरा करने में सक्षम है और यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा अपेक्षित किया जाए, तो इसके लिए प्रतिभूति प्रदान कर सकता है, और यह बैंक के इंजीनियर को युक्तिसंगत रूप से संतोषजनक होना चाहिए।

या, यदि संविदाकार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध संपत्ति को कुर्क करने हेतु न्यायालय द्वारा निष्पादन (execution) या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है,

या, यदि संविदाकार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को कुर्क किया जाता है, अथवा यदि वह नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस संविदा को सौंपता या पट्टे पर देता है, अथवा यदि वह इस संविदा या आपको किए जाने वाले किसी भी भुगतान को, अथवा जो संविदाकार को देय हो सकता है, को तत्काल भारित या बंधक बनाता है,

या, यदि बैंक का इंजीनियर नियोक्ता को लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि ठेकेदार:

i) संविदा को त्याग दिया है, या
ii) कार्यों का आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत कोई विधिपूर्ण कारण नहीं होने के बावजूद, आगे बढ़ने हेतु बैंक के इंजीनियर से सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
iii) कार्यों को उस उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और उस उचित प्रगति को प्राप्त करने में विफल रहा है जिससे कि सहमत समय के भीतर कार्य पूर्ण किए जा सकें, या
iv) यदि ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा इन शर्तों के तहत दोषी ठहराया गया और अस्वीकार किए गए उक्त सामग्री या कार्यों को हटाने अथवा गिराकर पुनः निर्माण करने हेतु बैंक की ओर से प्राप्त लिखित नोटिस के सात दिन के भीतर ऐसा करने में वह विफल रहा हो, अथवा यदि ठेकेदार को इस संविदा के तहत अवलोकन करने और कार्य-निष्पादन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, विषय या बातों का अवलोकन और पालन करने हेतु दिए गए लिखित नोटिस के सात दिन के बाद भी उसने लगातार ऐसा करने में उपेक्षा की हो या विफल रहा हो।

उक्त मामलों में से किसी में भी, नियोक्ता द्वारा पूर्व के किसी त्याग के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के पश्चात, इस संविदा का समापन कर सकता है; किंतु इससे भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर की शक्तियों अथवा ठेकेदार के दायित्वों और उत्तरदायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पूर्णतः उसी प्रकार प्रवृत्त बने रहेंगे जैसे कि संविदा का ऐसा समापन नहीं किया गया होता और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित किए गए होते। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता अपने एजेंट अथवा कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों तथा सभी संयंत्रों, औजारों, स्कोफोल्ड, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य शक्ति साधनों और सामग्रियों पर, जो परिसर अथवा सटी हुई भूमि या सड़कों पर पड़े हों, अपने कब्जे में ले सकता है और उनका उपयोग अपनी संपत्ति के रूप में कर सकता है, अथवा उन्हें अपने स्वयं के कर्मचारियों और मजदूरों के माध्यम से कार्यों को जारी रखने

और पूर्ण करने हेतु उपयोग कर सकता है, अथवा कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है। ठेकेदार किसी भी प्रकार से ऐसे अन्य ठेकेदार अथवा कार्यों को पूर्ण और समाप्त करने हेतु नियोजित अन्य व्यक्तियों को बाधित नहीं करेगा अथवा कोई ऐसा कार्य, विवाद या बात नहीं करेगा जिससे कार्य पूर्ण करने अथवा कार्यों हेतु सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने में रोक या बाधा उत्पन्न हो। जब कार्य पूर्ण हो जाएं अथवा इसके तुरंत बाद, जैसा भी भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर के लिए सुविधाजनक हो, वह ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा। यदि ठेकेदार इसे प्राप्त करने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो नियोक्ता उक्त सामग्री और संयंत्र को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेच सकता है और ऐसे में प्राप्त निवल राशि ठेकेदार को क्रेडिट की जाएगी।

तत्पश्चात, बैंक के इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे और अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में प्रमाणित करेंगे कि नियोक्ता द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्री के मूल्य हेतु तथा कार्य को पूर्ण करवाने में नियोक्ता को हुए व्यय या हानि के संबंध में, नियोक्ता को ठेकेदार से क्या राशि (यदि कोई हो) प्राप्त होनी है या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को क्या राशि (यदि कोई हो) देय है। इस प्रकार प्रमाणित राशि का भुगतान स्थिति के अनुसार नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को अथवा ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किया जाएगा। इस संबंध में बैंक के इंजीनियर का प्रमाण-पत्र पक्षकारों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

4.29 ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

4.29.1 यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण-पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया हो और उक्त राशि के भुगतान की मांग करते हुए ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी तीस दिनों तक उसका भुगतान न किया गया हो, अथवा यदि नियोक्ता किसी ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करे या बाधा उत्पन्न करे, अथवा यदि नियोक्ता संविदा का अस्वीकरण कर दे, अथवा यदि बैंक के इंजीनियर या नियोक्ता के आदेश द्वारा अथवा किसी विधिक न्यायालय के किसी निरोधक आदेश या अन्य आदेश द्वारा कार्य तीन माह के लिए रोक दिया जाए, तो ऐसी किसी भी स्थिति में ठेकेदार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह बैंक के इंजीनियर के माध्यम से नियोक्ता को लिखित नोटिस द्वारा संविदा का समापन कर दे। ऐसे स्थिति में वह निष्पादित सभी कार्यों का भुगतान नियोक्ता से प्राप्त करने तथा संविदा के प्रयोजन हेतु आपूर्ति की गई, क्रय की गई अथवा तैयार की गई किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे जो भी हानि उठानी पड़े, उसके लिए धनराशि वसूल करने का हकदार होगा।

4.29.2 इस तरह के भुगतान राशि की गणना करने में, ठेकेदार द्वारा मूल निविदा में निहित निवल दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, इसके खंड 4.16 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

4.30 प्रमाणपत्र और भुगतान

4.30.1 नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को समय-समय पर अंतरिम प्रमाण-पत्रों के तहत किश्तों में भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा संविदा के अनुसार निष्पादित कार्यों के बदले ठेकेदार को जारी किए जाएंगे, जब बैंक के इंजीनियर की राय में परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाण-पत्रों के लिए कार्य का मूल्य' के रूप में अंकित अनुमानित मूल्य (अथवा बैंक के इंजीनियर के विवेकानुसार इससे कम) का कार्य निष्पादित कर लिया गया हो। बैंक के इंजीनियर को यह विवेकाधिकार होगा कि वह अंतरिम प्रमाण-पत्र में उन सामग्रियों के बदले उचित समझी जाने वाली राशि को भी शामिल कर सकते हैं, जो ठेकेदार द्वारा कार्यों में प्रयोग हेतु स्थल पर पहुंचा दी गई हों। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण-पत्र स्वयं में यह साक्ष्य नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री संविदा के अनुरूप है; न ही

ठेकेदार को किसी ऐसी राशि का दावा करने का अधिकार होगा जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा कर दिया गया हो, किंतु जो बाद में देय नहीं पाई गई हो, और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.30.2 बैंक के इंजीनियर के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं।

4.30.3 बैंक का इंजीनियर किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

4.30.4 बैंक यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा नहीं कराता है और कार्य के पूर्ण होने तक उन्हें बीमाकृत नहीं रखता है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.30.5 बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान नियोक्ता को ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद परिशिष्ट में निर्धारित अवधि के भीतर "प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि" के रूप में किया जाएगा।

4.31 विलंबित भुगतान

4.31.1 यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को, तत्संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किसी प्रमाण-पत्र के अनुपालन में देय राशियों का भुगतान, परिशिष्ट में वर्णित 'प्रमाण-पत्र का सम्मान करने की अवधि' के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी राशियों पर परिशिष्ट में 'विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर' के रूप में निर्दिष्ट दर से ब्याज देय होगा। यह ब्याज वास्तविक भुगतान की तिथि तक उस तिथि से लागू होगा जिस दिन नियोक्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

4.32 बैंक के इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

4.32.1 खंड 4.2.1 (ए, बी), 4.5, 4.6, 4.13 और 4.26 (ए, बी, सी, डी और एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (जो मामले यहां अपवाद के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे और ये अपील के अधीन नहीं होंगे। बैंक के इंजीनियर का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या बैंक के इंजीनियर का कोई भी इनकार, खंड 4.33 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, उसी तरह से सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का निर्णय था।

4.33 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान

4.33.1 संविदा अथवा कार्यों के संपादन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतभेद (चाहे कार्यों के प्रगति के दौरान या उनके समापन के पश्चात् तथा चाहे संविदा के निर्धारण, त्याग अथवा उल्लंघन से पूर्व या पश्चात्) बैंक के इंजीनियर के पास संदर्भित किए जाएंगे एवं निपटाए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में अथवा अन्य रूप में हो सकता है। बैंक के इंजीनियर का निर्णय, जिन मामलों को छोड़ना है उन्हें छोड़कर अन्य सभी मामलों के संबंध में, खंड 4.33 में उल्लिखित अनुसार अंतिम होगा एवं अपील योग्य नहीं होगा। तथापि, यदि नियोक्ता अथवा ठेकेदार में से कोई भी बैंक के इंजीनियर के किसी मामले, प्रश्न अथवा विवाद (छोड़े गए मामलों को छोड़कर) के संबंध में या ठेकेदार द्वारा अपने अधिकार के रूप में

दावा किए जाने वाले किसी प्रमाणपत्र के बैंक के इंजीनियर द्वारा रोके जाने के संबंध में असंतुष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में, कोई भी पक्ष (नियोक्ता अथवा ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर के माध्यम से दूसरे पक्ष को लिखित सूचना दे सकता है, जिसमें विवादित मामलों को मध्यस्थता के अधीन निपटाने की आवश्यकता व्यक्त की जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का विशिष्ट उल्लेख किया जाएगा जो विवाद अथवा मतभेद के विषय हैं जिनके संबंध में ऐसी लिखित सूचना दी गई है, तथा मध्यस्थता में किसी अन्य को तथा यहाँ उल्लिखित अनुसार संदर्भित नहीं किया जाएगा तथा दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त होने के कारण मध्यस्थ द्वारा दिये गए अंतिम निर्णय के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी; यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में असहमति होती है और दो मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, तो उक्त मध्यस्थ अपने ऊपर कार्यभार अथवा संदर्भ लेने से पूर्व एक निर्णायक (अंपायर) की नियुक्ति की जाएगी।

4.33.2 मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित अपवादित मामलों के संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, नोटिस की मांग को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने और विवाद के सभी मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा, जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनका नोटिस उपरोक्त रूप से दिया गया होगा।

4.33.3 एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, द्वारा मामले पर विचार शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या ऐसे अतिरिक्त विस्तारित समय के भीतर जैसा कि वह या वे, जैसा भी मामला हो, पक्षकारों की सहमति से तय कर सकते हैं) अपना निर्णय देंगे। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, यदि पक्षकार अपने विवाद या मतभेद का आपसी सहमति से निपटारा, समझौता या समायोजन कर लेते हैं, तो स्थिति के अनुसार एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण को रद्द किया गया माना जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से प्रभावी होते हुए वापस ले ली गई या समाप्त की गई मानी जाएगी, जिस दिन पक्षकार स्थिति के अनुसार मध्यस्थ या मध्यस्थगण के समक्ष तत्संबंधी समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करते हैं।

4.33.4 प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय से संबंधित और आकस्मिक खर्च, स्थिति के अनुसार एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण के विवेक में होंगे, जो इसकी राशि का निर्धारण कर सकते हैं, या वे इसे एटॉर्नी और क्लाएंट के बीच या पक्षकार और पक्षकार के बीच निर्धारित करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि इसे किसके द्वारा और किस प्रकार वहन और अदा किया जाएगा। यह प्रस्तुतीकरण, भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी विधायी संशोधन के अर्थ के तहत, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतीकरण मानी जाएगी। स्थिति के अनुसार एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी ऐसे मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा। वह कार्य को पूर्ण सावधानी के साथ आगे बढ़ाएगा और जब तक स्थिति के अनुसार एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन करेगा। स्थिति के अनुसार एकल मध्यस्थ या मध्यस्थगण का कोई भी निर्णय, कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की ठेकेदार की बाध्यताओं से उसे मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार अब इसके लिए भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता, संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व-शर्त होगी।

4.34 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

4.34.1 नियोक्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी एजेंसी द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच करवाए और अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार का पूर्ण और अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सार आदि शामिल

हैं, तैयार करवाए। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा यह पाया जाता है कि कोई राशि अधिक भुगतान की गई है या अधिक प्रमाणित की गई है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना विधि संगत होगा।

4.35 नियोक्ता कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने हेतु हकदार है

4.35.1 यदि किसी भी कारणवश, नियोक्ता को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों अथवा इसके किसी विधायी संशोधन या पुनः लागू किए जाने के द्वारा, संविदा के तहत कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो नियोक्ता उक्त भुगतान की राशि को ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा, तथा यह उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को प्रतिभूति जमा-राशि में से अथवा इस संविदा के तहत या अन्यथा ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा देय किसी राशि में से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति के जहां ठेकेदार द्वारा लिखित में अनुरोध किया गया हो और उसने नियोक्ता को ऐसे दावे के संबंध में प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप नियोक्ता पर आने वाली सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा प्रदान की हो।

4.36 कार्यों का परित्याग

4.36.1 यदि निविदा के स्वीकार होने के पश्चात किसी भी समय, किसी भी कारणवश, नियोक्ता को समस्त कार्य या कार्य के किसी भाग को करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को लिखित सूचना दी जाएगी। ऐसे में, ठेकेदार को समस्त कार्य के निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ या फायदे के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान या किसी अन्य प्रकार के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

4.37 अधिशेष सामग्री की वापसी

4.37.1 यद्यपि इस संविदा के किसी भी खंड में कुछ भी विपरीत अंतर्विष्ट हो, जहाँ संविदा के निष्पादन के लिए किसी भी सामग्री की खरीद सरकार द्वारा जारी आदेशों, परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से की जाती है, तो ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायती ढंग से और केवल संविदा के उद्देश्य के लिए अपने पास रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा। यदि नियोक्ता द्वारा अपेक्षित हो, तो ठेकेदार उक्त सामग्री को नियोक्ता को वापस लौटाएगा, जिसके लिए कीमत का निर्धारण बैंक के इंजीनियर द्वारा सामग्री की स्थिति को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, बशर्ते कि निर्धारित कीमत, ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में संदेय बिक्री कर, ऑक्ट्रॉय और अन्य ऐसे करों सहित, खरीद मूल्य से अधिक न हो। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदारा लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त, नियोक्ता के प्रति उन सभी धनराशियों, लाभों या मुनाफों के लिए भी उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसे प्राप्त हुए हैं या जो सामान्यतः प्राप्त हो सकते थे।

4.38 ठेकेदार, यदि कोई व्यक्ति हैं, की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने के लिए नियोक्ता का अधिकार

4.38.1 इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है, तो ऐसे समापन के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हुए नियोक्ता के पास अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

4.39 परीक्षण

4.39.1 विनिर्देश के विभिन्न खंडों के अनुसार आवश्यकतानुसार, सभी उपकरणों का परीक्षण ठेकेदार और बैंक के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

4.40 साइट पर कार्य

4.40.1 ठेकेदार स्थल का निरीक्षण करेगा और निष्पादित की जाने वाली कार्य की प्रकृति, स्वरूप और सीमा का पता स्वयं लगाएगा। वह इन विनिर्देशों के आशय और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मदों और सेवाओं को शामिल करेगा, चाहे उनका उल्लेख विनिर्देशों, आरेखों या उपकरणों की अनुसूची में विशिष्ट रूप से किया गया हो या नहीं।

स्थान:

दिनांक: **बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर**

परिशिष्ट, जिसे पहले संदर्भित किया गया है

क्रम	मद	विवरण	बोलीदाता द्वारा स्वीकृति (स्वीकृत/अस्वीकृत)
1.	दोष देयता अवधि	वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1 वर्ष	
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम बिल जमा होने से 3 महीने	
3.	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश पत्र की तारीख से 14वें दिन	
4.	पूरा होने की तिथि	वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र/कार्य की तिथि	
5.	कार्य पूरा न होने पर परिनिर्धारित हर्जाने की दर	निर्धारित अवधि के पश्चात हुए **प्रत्येक सप्ताह** के विलंब पर निष्पादित कार्य के मूल्य **का 0.25%** की दर से परिनिर्धारित हर्जाना वसूला जाएगा, जो कि संविदा राशि के अधिकतम 10% तक सीमित होगा।	
6.	अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए कार्यों का मूल्य	रु.10.00 लाख	
7.	प्रमाण पत्रों के सम्मान अवधि	अंतरिम बिलों के लिए एक माह और अंतिम बिल के लिए 3 माह	
8.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3% प्रति वर्ष	
9.	भुगतान की शर्तें	निविदा का पैरा 3.13	

स्थान: ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

दिनांक:

खंड- V
तकनीकी विनिर्देश

1. एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली कृंतक-सुरक्षित होनी चाहिए और यह हैंड बैगेज/पार्सल की स्क्रीनिंग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई होनी चाहिए। इसमें बैगेज काउंटर, सर्च इंडिकेटर, स्टेनलेस स्टील (एसएस) रोलर्स/ड्रॉप चट युक्त इनपुट/आउटपुट फ्रेम, लॉक करने योग्य कंसोल कैबिनेट, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर सहित वोल्टेज स्टेबिलाइज़र जैसे मानक फीचर्स होने चाहिए और इसमें निम्नलिखित सुविधाएं भी होनी चाहिए:	
(i) टनेल का आकार **(न्यूनतम)**	: 600 मिमी (डब्ल्यू), 400 मिमी (एच), हैंड बैगेज / ब्रीफकेस की जांच के लिए
(ii) रेजोल्यूशन **(न्यूनतम)** +/- 5%	: 42 एसडब्ल्यूजी (38 एडब्ल्यूजी)
(iii) पेनिट्रेशन मोटाई **(न्यूनतम)**	: 35 मिमी स्टील की मोटाई या अधिक
(iv) कन्वेयर स्पीड (लगभग)	: 0.18 से 0.3 मीटर/सेकंड के बीच (द्वि-दिशात्मक)
(v) वहन क्षमता **(न्यूनतम)**	: 150 किग्रा - वितरित भार।
(vi) बिजली की आपूर्ति	: 220 से 240 वोल्ट +/- 10% एसी 50 हर्ट्ज +/- 3% हर्ट्ज पर काम करने के लिए उपयुक्त
2. छवि प्रसंस्करण-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होंगे:	
i. डिजिटल वीडियो मेमोरी	ओईएम डिजाइन के अनुसार
ii. ग्रे लेवल्स	: लगभग 4096 संग्रहीत
iii. वीडियो डिस्प्ले	:1280 X 1024, 24-बिट रंगीन वास्तविक छवि प्रसंस्करण, कम विकिरण, एर्गोनोमिक, 2 नंबर झिलमिलाहट मुक्त 21/24 "रंगीन एलसीडी / एलईडी मॉनिटर, उनकी हाउसिंग के लिए लॉक करने योग्य कंसोल के साथ (या ओईएम संस्तुति के अनुसार)
iv. वैरिएब्ल ज़ूम	: 64 X तक या अधिक
3. कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन **(न्यूनतम)**	
मॉनिटर	: 2 नंबर 21/24" रंगीन एलसीडी/एलईडी मॉनिटर
ऑपरेटिंग सिस्टम	: यूनिवर्सल प्रिंटर सपोर्ट के साथ विंडोज 11 (प्रिंटर की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए) या उच्चतर संस्करण (पी एंड एसओ की संस्तुति के अनुसार)
प्रॉसेसर	: नवीनतम प्रोसेसर इंटेल® कोर^{टीएम} i5-2400, आवश्यकता के अनुसार 3.1Ghz
सिस्टम मेमोरी	: 4 जीबी (न्यूनतम) रैम
डिस्प्ले	: 24 बिट/32 बिट ट्रू कलर
हार्ड डिस्क	: 1 टीबी
डीवीडी राइटर	: 52X (1 नग)
यूएसबी पोर्ट	: 6 यूएसबी पोर्ट (सामने कम से कम 2 के साथ, 1 सीरियल पोर्ट, 1 समानांतर पोर्ट, माइक्रोफोन के लिए ऑडियो पोर्ट और सामने हेड फोन
माउस	: 1 नग
कीबोर्ड	:1 नग
प्रिंटर	सिस्टम रंगीन लेजर प्रिंटर के लिए संगत होना चाहिए

4. इस प्रणाली में उच्च , निम्न, मध्यम पेनिट्रेशन के लिए चार रंगीन पैलेट के साथ बहु ऊर्जा प्रणाली भी होगी। प्रणाली में वेरिएबल ज़ूम डेंसीटी, वेरिएबल ऑर्गेनिक/अकार्बनिक कलर स्ट्रिपिंग और सेव फ़ंक्शन के साथ वेरिएबल गामा होना चाहिए।

5. अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे (ओईएम संस्तुति के अनुसार) -

a. व्युत्क्रम इमेज (Inverse image)
b. श्वेत-श्याम इमेज (Black and white image)
c. स्यूडो रंग (Pseudo colour)
d. द्वि-दिशात्मक स्कैनिंग (Bi-direction scanning)
e. एज़ और वैरिएबल एज़ संवर्धन (Edge & variable edge enhancement)
f. सेट अप समय - 10 मिनट से अधिक नहीं (Set up time not more than 10 mins)
g. स्वचालित इमेज आर्काइविंग (Automatic image archiving)

6. एनहैन्सड परफ़ोर्मेंस एक्स-रे - यह सुविधा संचालकों को विस्फोटक या मादक पदार्थों की विशिष्ट विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने में सहायता करती है, जिससे शीघ्र और सुसंगत पता लगाने की क्षमता सक्षम होती है। स्वर्ण या मुद्रा की भी पहचान ईपीएक्स का उपयोग करके की जा सकती है।

7. विकिरण से सुरक्षा: सभी लागू अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय विकिरण और स्वास्थ्य विनियमों का पालन करना चाहिए।

उत्पाद में अधिकतम विकिरण उत्सर्जन लीकेज कैबिनेट एक्स-रे प्रणाली की सभी बाहरी सतहों से 5 सेमी की दूरी पर 0.1 mR/Hr से कम होनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता/निर्माता को प्री-फैक्टरी डिस्पैच/साइट पर इसका परीक्षण करने के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। और या

विकिरण से सुरक्षा मानक

- **रिसाव सीमा**: अधिकतम विकिरण उत्सर्जन लीकेज **सभी बाहरी सतहों से 5 सेमी पर** 0.1 mR/hr से कम होना चाहिए।
- **परीक्षण**: निर्माताओं को प्री-फ़ैक्टरी प्रेषण या ऑन-साइट स्थापना के दौरान परीक्षण की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी।
- **अनुपालन**: सभी राष्ट्रीय (जैसे, भारत में एईआरबी) और अंतरराष्ट्रीय विकिरण और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के निर्माण और सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए।

8. **इस प्रणाली को अनिवार्य रूप से सीई/यूएल/आईएसओ प्रमाणित और एईआरबी अनुमोदित होना चाहिए।**
9. थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन (टीआईपी)
10. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र
11. एक्सबीआईएस के प्रत्येक सेट के लिए **न्यूनतम 01 नग सीटीपी (टेस्ट बैग/किट) प्रदान करना।**

<u>सामान्य:</u>

टीआईपी सॉफ्टवेयर सुविधा को प्रस्तावित एक्स-रे मशीनों में शामिल किया जाएगा ताकि पर्यवेक्षकों को ऑपरेटर की सतर्कता का परीक्षण करने और एक्स-रे स्क्रीनरों को विशिष्ट खतरे वाली वस्तुओं की पहचान करने में अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने में सहायता मिल सके। यह प्रणाली एक थ्रेट ऑब्जेक्ट बनाएगी और जब बैग की स्क्रीनिंग की जा रही होगी, तो उसे मॉनिटर स्क्रीन पर अध्यारोपित कर दिया जाएगा। यह स्वीकार करने के लिए कि ऑपरेटर ने आभासी वस्तु को देखा है, ऑपरेटर को कंट्रोल पैनल की कुंजी दबानी होगी, जिससे कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न खतरे वाली वस्तु वीडीयू स्क्रीन पर एक्स-रे किए गए बैग की इमेज से गायब हो जाएगी। पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक ऑपरेटर की कार्रवाई को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड किया जाएगा।

सिस्टम का डिजाइन

a) टीआईपी सॉफ्टवेयर अन्य एक्स-रे प्रौद्योगिकियों जैसे स्वचालित रिजेक्ट यूनिट, दोहरी एक्स-रे स्क्रीन प्रौद्योगिकियों, स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली आदि के साथ संगत होना चाहिए। सभी एक्स-रे इमेज फ़ंक्शन एक ही समय में टीआईपी के साथ उपलब्ध होने चाहिए।

b) **इमेज लाइब्रेरी**

i) टीआईपी सुविधा में एक इमेज लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 100 विस्फोटक उपकरण, 100 चाकू और 100 अग्निशस्त्र विभिन्न आकारों, आकृतियों, स्थानों और अभिविन्यासों में शामिल हों। तथापि, प्रणाली में निर्माता की सहायता के बिना उपयोगकर्ता द्वारा अतिरिक्त छवियों को शामिल करने के लिए लाइब्रेरी का विस्तार करने की सुविधा होनी चाहिए।

ii) इमेज लाइब्रेरी में खतरों की इमेजेज़ विभिन्न अभिविन्यासों में होनी चाहिए – समतल और सिरे की ओर दोनों अभिविन्यासों का उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि इन्हें विभिन्न फ़ाइल नाम और संदर्भ दिए जाएंगे, इन्हें एक ही खतरे के रूप में पार-संदर्भित करना संभव होना चाहिए। सभी थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन वाली छवियाँ वास्तविक, प्रतिनिधित्व करने वाले और वास्तविक खतरे वाली वस्तुओं से अभेद्य होनी चाहिए।

c) समय अंतराल

i) विभिन्न अंतरालों पर खतरे की छवियों को प्रक्षेपित करने के लिए प्रोग्रामिंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। थ्रेट इमेज के लिए समय अवधि तथा प्रतिशत (%) में इमेज मिश्रण उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम करने योग्य होना चाहिए, उदाहरण के लिए, सॉफ़्टवेयर 40% विस्फोटक उपकरणों की छवियों, 35% अग्निशस्त्रों और 25% चाकू की छवियों का चयन करे या यादृच्छिक (Random) आदि।

ii) एक बार जब स्क्रीनर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न खतरे की छवि की पहचान करने के लिए प्रतिक्रिया दे देता है, तो विश्लेषण के लिए इसे पूर्व-निर्धारित उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम करने योग्य समय तक स्क्रीन पर बने

रहना चाहिए। पहचान जाने पर छवि को हाइलाइट किया जाना चाहिए और स्क्रीनर को फीडबैक संदेश दिखाई देना चाहिए।।

d) सिस्टम प्रशासन

i) थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन सुविधा में उपयोगकर्ता डेटाबेस का विवरण होगा जैसे कार्यालय का नाम, स्क्रीनर का नाम, पदनाम, उपयोगकर्ता आईडी नंबर, पहुंच का स्तर जैसे स्क्रीनर, प्रशासक, रखरखाव और पासवर्ड आदि।

ii) स्टार्ट-अप मेनू तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए। 'पासवर्ड' या 'सुरक्षा की' के माध्यम से लॉग-इन प्रक्रिया प्रत्येक टिप्पणी तक प्रतिबंधित पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। लॉग-इन प्रक्रिया में 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में टीआईपी सुविधा को बायपास करने की सुविधा होनी चाहिए, यदि सिस्टम प्रशासक द्वारा ऐसा प्रोग्राम किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि टीआईपी सॉफ्टवेयर एक्स-रे मशीनों के सामान्य कामकाज में बाधा नहीं बनेगा।

iii) जब ऑपरेटर लॉग-इन या लॉग-आउट करता है, तो यह पुष्टि करने के लिए कि वह सही ढंग से लॉग-इन या लॉग आउट किया गया है, संदेश एक्सबीआईएस वीडीयू स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

iv) सभी मॉडलों में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए और छवियों को सीडी एवं यूएसबी में रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्टैंडअलोन पीसी पर रिकॉर्ड की गई छवियों को देखने में सक्षम होना चाहिए (पी एंड एसओ की संस्तुति के अनुसार)।

e) फीडबैक/रिपोर्ट

i) थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन प्रणाली को "हिट'' (HIT), मिस (MISS) अथवा असत्य चेतावनी (FALSE ALARM)" का प्रतिपुष्टि संदेश देने में सक्षम होना चाहिए। यदि स्क्रीनर द्वारा किसी साधारण थैले को सही ढंग से स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई संदेश प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

ii) "हिट" का संदेश तब प्रदर्शित किया जाएगा जब स्क्रीनर द्वारा थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन छवि की सही पहचान की गई हो। "मिस" का संदेश तब प्रदर्शित किया जाएगा जब स्क्रीनर थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन छवि की पहचान करने में विफल रहे। "असत्य चेतावनी" का संदेश तब दिया जाएगा जब स्क्रीनर गलत तरीके से यह संकेत दे कि थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन छवि मौजूद है, जबकि वास्तव में कोई थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन मौजूद न हो। प्रतिपुष्टि में स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन वस्तु की सही पहचान की गई है / थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन वस्तु की पहचान में चूक हुई है / अथवा कोई थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन वस्तु मौजूद नहीं थी। इस जानकारी को आंकड़ा आधार में अभिलेखित किया जाना चाहिए।

iii) स्क्रीनर को प्रतिपुष्टि देने के लिए विभिन्न रंग संकेतकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अनुशंसित है कि "मिस" के लिए रंग संकेतक "लाल", "सही पहचान" के लिए "हरा" और "असत्य चेतावनी अथवा व्यवधान" के लिए "पीला" प्रयोग किया जाए।

iv) प्रणाली स्वचालित रूप से प्रत्येक पाली और प्रत्येक स्क्रीनर के कार्यनिष्पादन हेतु घटनाओं का दैनिक लॉग तैयार करेगी। थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन लॉग में स्थान, एक्सबीआईएस, स्क्रीनर का नाम, खतरनाक छवि का समय और दिनांक, और क्या खतरनाक छवि की सफलतापूर्वक पहचान की गई अथवा चूक हुई, आदि का विवरण सम्मिलित होना चाहिए।

v) थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन प्रणाली पर रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार दिनांक और समय (आरंभ से समाप्ति तक), स्क्रीनर का विवरण, और निर्णय/परिणाम अर्थात चूक, सही पहचान अथवा असत्य चेतावनी प्रतिशत में तथा निरपेक्ष संख्याओं में, जांचे गए थैलों की संख्या, श्रेणियां जैसे कि विस्फोटक उपकरण, चाकू अथवा शस्त्र आदि सम्मिलित होने चाहिए।

vi) एक मानक प्रथा के रूप में, दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट पुनः प्राप्त की जानी चाहिए। रिपोर्ट किसी भी दिए गए समय और अवधि के लिए, आदेशानुसार होनी चाहिए।

vii) सभी आंकड़ों को डाउनलोड किए जाने के बाद न्यूनतम दो माह तक प्रणाली पर संगृहीत किया जाना चाहिए। थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन घटकों तक पहुंच के अधिकारों की परवाह किए बिना, कोई भी व्यक्ति थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन आंकड़ा अथवा समय को नहीं हटाएगा अथवा संशोधित नहीं करेगा, अर्थात वास्तविक एक्स-रे मशीन पर थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन आंकड़ा केवल रीड ओनली फाइल होगा ।

फिल्म सुरक्षा – मशीनें फिल्म सुरक्षित होनी चाहिए, अर्थात एक्स-रे जांच के कारण फोटोग्राफिक फिल्में क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए।

<u>नोट:-</u>

ऊपर बताए गए विनिर्देश बैंक के लिए न्यूनतम स्वीकार्य हैं।
निविदाकार उच्च और उन्नत विशिष्टताओं वाले उपकरणों के लिए उद्धरण देने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि कोई भी तकनीकी विनिर्देश उनके द्वारा निर्मित उपकरणों की सीमा से बाहर है।

<u>किए जाने वाले परीक्षण</u>

I. सिंगल वायर रेज़ोल्यूशन (परीक्षण सं. 1)

बिना इन्सुलेशन वाले टिन चढ़े तांबे के तारों का एक सेट, जिनका आकार 25 एसडब्ल्यूजी, 30, 35, 38, 40 और 42 एसडब्ल्यूजी है, उन्हें पर्सपेक्स शीट पर रखा गया है। तारों को 'एस' आकार के वक्रों में बिछाया गया है। तारों को भिन्न मोटाई वाले एल्युमीनियम के पीछे रखा गया है। अपेक्षा यह है कि 42 एसडब्ल्यूजी तार स्टेप वेज (step wedge) द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। उपयुक्त तार की दृश्यता को दर्शाने के लिए एक टिक (✓) लगाया जाएगा। धात्विक मार्कर उच्च घनत्व वाली सामग्री का उपयोग करके प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वीडीयू में एसडब्ल्यूजी संख्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

II. उपयोगी पेनिट्रेशन (परीक्षण सं. 2)
यह सुनिश्चित करें कि ज्ञात सामग्री की मोटाई के पीछे कौन सा स्तर देखा जा सकता है। इस परीक्षण की आवश्यकता यह है कि 24 एसडब्ल्यूजी तार दूसरे स्टेप वेज (5/16") के नीचे देखा जाए। (नोट: यह एफएए, यूएसए और डीओटी यूके अपेक्षाओं के समतुल्य है)। लॉग शीट पर टिक (✓) यह दर्शाएगा कि कौन से तार दिखाई दे रहे हैं।

III. मल्टी एनर्जी एक्स-रे (परीक्षण सं. 3)
मल्टी-एनर्जी एक्स-रे के साथ, विभिन्न औसत परमाणु संख्या वाली सामग्रियों के बीच अंतर करना संभव होना चाहिए। टेस्ट पीस पर एनकैप्सूलेटेड चीनी और नमक के नमूनों के उपयोग और सीटीपी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों से सामग्री अंतर सुविधा की जांच की जाएगी। एक टिक (✓) यह दर्शाएगा कि चीनी/नमक के नमूने अलग-अलग रंगों में दिखाए गए हैं।

IV. सिंपल पेनिट्रेशन (परीक्षण सं. 4)
यह परीक्षण परिभाषित करता है कि इस्पात की कितनी मोटाई को मशीन को भेदने में सक्षम होना चाहिए। सीटीपी पर स्टील स्टेप वेज में 2 मिमी से 16 मिमी से 30 मिमी तक के चरण होते हैं, जिसमें यह जांचने के लिए एक लीड स्ट्रिप होती है कि मशीन आवश्यकता से ऊपर या नीचे है। अपेक्षा यह है कि 28 मिमी इस्पात के नीचे सीसा दिखाई दे। लॉग शीट में एक टिक (✓) यह दर्शाएगा कि सीसा पट्टी और स्टेप वेज के बीच का अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है।

V. स्पेशियल रेज़ोल्यूशन (परीक्षण सं. 5)
यह परीक्षण पास-पास रखी वस्तुओं में अंतर करने और उन्हें प्रदर्शित करने की प्रणाली की क्षमता को परिभाषित करता है। सीटीपी में एक-दूसरे के समकोण पर 16 तांबे की जालियां (gratings) हैं। अपेक्षा यह है कि एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जाली देखी जा सके। लॉग शीट में एक टिक (✓) यह दर्शाएगा कि जालियों में अंतराल दिखाई दे रहे हैं।

VI. विकिरण उत्सर्जन लीकेज (परीक्षण सं. 6)
कैबिनेट एक्स-रे प्रणाली की सभी बाहरी सतहों से 5 सेमी की दूरी पर 0.1 mr/Hr से कम विकिरण उत्सर्जन लीकेज का परीक्षण उचित रूप से कैलिब्रेटेड उपकरणों के साथ किया जाएगा।

खंड-VI

तकनीकी विवरण

(निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

क्रम संख्या		विवरण	बैंक के विनिर्देश	निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है	अनुपालन (हां या नहीं) या तकनीकी पत्रक या ब्रोशर का प्रासंगिक पृष्ठ संख्या, जो विनिर्देश को सत्यापित करने के लिए संलग्न है
1.		मेक मॉडल नं.			
2.	एक्स-रे जेनरेटर				
	i.	कुलिंग	सीलबंद ऑइल बैथ (bath)		
	ii.	एनोड वोल्टेज	160kV रेटेड		
			140kV ऑपरेटिंग		
	iii.	बीम विचलन	60 डिग्री		
	iv.	एक्स-रे की दिशा	ऊपर की ओर लंबवत		
	v.	ड्यूटी साइकल	100%		
	vi.	पेनिट्रेशन (स्टील में, मिमी)	35 मिमी की गारंटी		
3.	इमेज प्रॉसेसिंग				
	i.	वीडियो मेमोरी	32 एमबी		
	ii.	ग्रे लेवेल्स	लगभग 4096		
	iii.	डिस्प्ले	1280 X 1024, 24 बिट रंगीन वास्तविक इमेज प्रॉसेसिंग, कम विकिरण, एर्गोनोमिक, 2 नग झिलमिलाहट मुक्त 21/24" रंगीन एलसीडी/एलईडी मॉनिटर		
4.	सामान्य				
	i.	कन्वेयर स्पीड	0.18 और 0.3 मीटर/सेकंड के बीच (द्वि-दिशात्मक)		
	ii.	रेजोल्यूशन	42 एसडब्ल्यूजी (38 एडब्ल्यूजी)		
	iii.	कैरिंग कपैसिटी	150 से कम नहीं		

			किलोग्राम - वितरित भार		
	iv.	बिजली की आपूर्ति	220 वोल्ट से 240 वोल्ट ± 10% एसी, 50 हर्ट्ज ±3% हर्ट्ज पर संचालित करने के लिए उपयुक्त		
5.	डिस्प्ले मॉनिटर				
	i.	रंगीन मॉनिटर की संख्या	2 नग		
	ii	मेक	एचपी/डेल/लिनोवो या समकक्ष		
	iii.	आकार वाला	21"/24		
		संकल्प	एचडी रेडी		
6.	टनेल का आकार **(न्यूनतम या उससे अधिक)**				
	(a)	चौड़ाई	600 मिमी		

	(b)	ऊंचाई	400 मिमी		
	(c)	लंबाई	1100 मिमी (लगभग)		
7.	लोडिंग प्लैटफ़ार्म		चौड़ाई		
			लंबाई		
8.	डेलीवरी प्लैटफ़ार्म		चौड़ाई		
			लंबाई		
9.	समग्र आयाम		चौड़ाई		
			लंबाई		
10.	सॉफ्टवेयर क्षमताएं				
	ज़ूम				
11	कंप्यूटर विवरण				
	मेक और मॉडल नं.				
	(i)	प्रॉसेसर	नवीनतम प्रोसेसर इंटेल कोर i 5-2400, 3.1 GHz		
	(ii)	सिस्टम मेमोरी	4 जीबी (min) रैम		
	(iii)	चित्र आदि	1280 X 1024, 24 बिट, रंगीन वास्तविक छवि प्रसंस्करण, कम विकिरण, एर्गोनोमिक, झिलमिलाहट मुक्त 21/24" रंगीन फ्लैट एलसीडी/एलईडी मॉनिटर		
	(iv)	हार्ड डिस्क क्षमता	अपेक्षित प्रणाली के अनुसार 1 टीबी या अधिक		

	(v)	सीडी ड्राइव	डीवीडी राइटर 52 एक्स अपेक्षित सिस्टम के अनुसार		
	(vi)	वीजीए कार्ड	आवश्यक		
	(vii)	रैम	4 जीबी से कम नहीं		
	(viii)	प्रिंटर	सिस्टम रंगीन लेजर प्रिंटर के लिए संगत होना चाहिए (प्रिंटर की आपूर्ति नहीं की जाए)		

दिनांक: मुहर सहित हस्ताक्षर

(निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

		अनुपालन (हां/नहीं)
1.	टीआईपी सॉफ़्टवेयर सुविधा प्रस्तावित एक्स-रे मशीनों में समाहित की जाएगी, ताकि पर्यवेक्षकों को संचालक की सतर्कता का परीक्षण करने और एक्स-रे स्क्रीनरों को विशिष्ट खतरे वाली वस्तुओं की पहचान करने की अपनी क्षमता में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षित करने में सहायता मिल सके। यह प्रणाली एक खतरे वाली वस्तु सृजित करेगी और जब किसी बैग की स्क्रीनिंग की जा रही होगी, तो वही वस्तु मॉनिटर स्क्रीन पर अध्यारोपित कर दी जाएगी। यह स्वीकार करने के लिए कि संचालक ने कृत्रिम वस्तु को देख लिया है, संचालक को नियंत्रण पटल की कुंजी दबानी होगी, जिससे कंप्यूटर द्वारा सृजित खतरे वाली वस्तु वीडीयू स्क्रीन पर एक्स-रे किए गए बैग की इमेज से अंतर्हित हो जाएगी। पर्यवेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा-परीक्षण के उद्देश्य से प्रत्येक संचालक की कार्रवाई कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अभिलेखित की जाएगी।	
2.	टीआईपी सॉफ़्टवेयर अन्य एक्स-रे प्रौद्योगिकियों, यथा स्वचालित रिजेक्ट यूनिट, डूअल एक्स-रे स्क्रीन प्रौद्योगिकियां, स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली आदि के साथ सुसंगत होना चाहिए। टीआईपी के संचालन के साथ-साथ सभी एक्स-रे इमेज कार्य एक ही समय में उपलब्ध होने चाहिए।	
3	टीआईपी सुविधा में एक इमेज लाइब्रेरी समाहित होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न आकारों, आकृतियों, स्थानों और अभिविन्यासों वाले कम से कम 100 विस्फोटक उपकरण, 100 चाकू और 100 अग्नेयास्त्र शामिल हों। तथापि, प्रणाली में उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्माता की सहायता के बिना अतिरिक्त छवियों को समाहित करने हेतु लाइब्रेरी का विस्तार करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।	
4.	इमेज लाइब्रेरी में विभिन्न अभिविन्यासों वाली खतरे वाली वस्तुओं की छवियाँ सम्मिलित होनी चाहिए — दोनों समतल एवं एंड-ऑन अभिविन्यासों का उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि इन्हें भिन्न फ़ाइल नाम एवं संदर्भ दिए जाएंगे, तथापि इन्हें एक ही खतरे के रूप में पारस्परिक संदर्भित करना संभव होना चाहिए। सभी खतरे वाली वस्तुओं की छवियों के प्रक्षेपण वास्तविक, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं वास्तविक खतरे वाली वस्तुओं से अलग पहचान नहीं किए जा सकने वाले होने चाहिए।	
5.	प्रोग्रामिंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि खतरे वाली छवियों को विभिन्न अंतरालों पर प्रक्षेपित किया जा सके। खतरे वाली छवि की अवधि तथा प्रतिशत में छवि मिश्रण उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम करने योग्य होना चाहिए; उदाहरणार्थ, सॉफ़्टवेयर विस्फोटक उपकरणों की 40% छवियों, अग्न्यास्त्रों की 35% छवियों और चाकू की 25% छवियों का याद्दच्छिक रूप से चयन करे।	
6.	जब स्क्रीनर द्वारा कंप्यूटर को सृजित थ्रेट इमेज की पहचान करने हेतु प्रतिक्रिया दी जाती है, तो विश्लेषण के लिए उसे पूर्व-नियत यूजर प्रोग्राम किए जाने वाले समय तक स्क्रीन पर बने रहना चाहिए। पहचान की जाने पर छवि को रेखांकित (हाईलाइट) किया जाना चाहिए और स्क्रीनर को एक प्रतिक्रिया संदेश दृश्यमान होना चाहिए।	

7.	थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन सुविधा में उपयोगकर्ता डेटाबेस का विवरण शामिल होना चाहिए, जैसे कि कार्यालय का नाम, स्क्रीनर का नाम, पदनाम, उपयोगकर्ता आईडी संख्या, तथा पहुंच का स्तर (यथा स्क्रीनर, प्रशासक, अनुरक्षण और पासवर्ड आदि)।	
8.	प्रारंभिक मेनू तक पहुंच केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए। प्रत्येक कमेंट तक सीमित पहुंच 'पासवर्ड' अथवा 'सेक्यूरिटी की' के माध्यम से लॉग-इन प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। लॉग-इन प्रक्रिया में 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। प्रणाली में ऐसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि यदि प्रणाली प्रशासक द्वारा इस प्रकार प्रोग्राम किया गया हो, तो टीआईपी सुविधा को बायपास किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि टीआईपी सॉफ़्टवेयर एक्स-रे मशीनों के सामान्य संचालन में बाधक न बने।	
9.	जब संचालक लॉग-इन अथवा लॉग-आउट करता है, तो यह पुष्टि करने हेतु कि वह सही ढंग से लॉग-इन अथवा लॉग-आउट हो गया है, एक्सबीआईएस वीडीयू स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होना चाहिए।	
10.	थ्रेट इमेज प्रक्षेपण सुविधा "हिट, मिस अथवा असत्य अलार्म" संदेश के रूप में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होनी चाहिए। यदि कोई स्क्रीनर किसी स्पष्ट बैग को सही ढंग से पास करता है, तो कोई संदेश प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।	
11.	"हिट" संदेश तब प्रदर्शित किया जाना चाहिए जब स्क्रीनर द्वारा थ्रेट इमेज प्रक्षेपण इमेज की सही पहचान की गई हो। "मिस" संदेश तब प्रदर्शित किया जाना चाहिए जब स्क्रीनर थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन इमेज की पहचान करने में विफल रहता है। "असत्य अलार्म" संदेश तब दिया जाना चाहिए जब स्क्रीनर गलत तरीके से यह इंगित करता है कि थ्रेट इमेज प्रॉजेक्शन इमेज मौजूद है, जबकि वास्तव में कोई थ्रेट इमेज प्रोजेक्सन मौजूद नहीं है। प्रतिक्रिया में स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि एक टीआईपी वस्तु की सही पहचान की गई है / एक टीआईपी वस्तु छूट गई है / अथवा कोई टीआईपी वस्तु मौजूद नहीं थी। इस सूचना को डेटाबेस में अभिलेखित किया जाना चाहिए।	
12.	स्क्रीनर को दी जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न रंग कोडिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अनुशंसित है कि 'मिस' के लिए 'लाल', 'हिट' के लिए 'हरा' तथा 'असत्य अलार्म' अथवा 'अवरोध' के लिए 'पीला' कलर कोड प्रयुक्त किया जाए, अथवा मूल उपकरण विनिर्माता के अनुरूप कलर कोड अपनाए जाएं।	
13.	विकिरण स्तर स्वीकृत स्वास्थ्य मानकों (बाहरी आवरण से **5 सेमी की दूरी पर 0.1m R/Hr) से अधिक नहीं होना चाहिए।** मूल उपकरण विनिर्मता अथवा परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।	
14.	**विकिरण सुरक्षा: सभी लागू अंतरराष्ट्रीय विकिरण और स्वास्थ्य नियमों का पालन करना चाहिए।**	
15.	मशीन कृंतक संरक्षित होनी चाहिए। सिस्टम उपयोग में न होने पर कवर के लिए डस्ट प्रूफ कवर प्रदान किया जाना चाहिए।	

16.	इस प्रणाली को सीई/यूएल/एईआरबी से प्रमाणन प्राप्त होगा।	
17.	**एईआरबी से प्रमाण पत्र:** एईआरबी से निम्नलिखित वैध प्रमाणन प्रस्तुत करना आवश्यक है:	
	i. प्रस्तावित एक्सबीएस के मॉडल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए **एईआरबी से वैध लाइसेंस** – संलग्न करें	
	ii. प्रस्तावित एक्सबीएस के मॉडल के लिए एईआरबी से जारी **वैध अनुमोदन प्रमाण पत्र -** संलग्न करें	
	iii. प्रस्तावित एक्सबीएस के मॉडल के लिए एईआरबी से जारी **वैध खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र** - संलग्न करें	
	iv. प्रस्तावित एक्सबीएस के मॉडल के लिए एईआरबी से जारी **वैध फिल्म सुरक्षा प्रमाण पत्र** - संलग्न करें	
18.	मशीन को कम से कम पिछली 20 छवियों को याद करने में सक्षम होना चाहिए।	
19.	टनेल के दोनों सिरों पर लीड इमप्रेग्नेटेड सुरक्षा स्क्रीन उपलब्ध होनी चाहिए। सुरंग के दोनों सिरों पर निष्क्रिय रोलर्स प्रदान किए जाने चाहिए ताकि इनपुट और आउटपुट पर सामान रखने की सुविधा मिल सके।	
20.	ऑपरेशनल ट्रेनिंग- ऑपरेटिंग स्टाफ को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।	
21.	प्रत्येक मशीन के साथ एक ऑपरेटिंग और सर्विस मैनुअल प्रदान किया जाएगा।	
22.	अतिरिक्त सुविधाएं a) एज़ और वेरिएबल एज़ एन्हांसमेंट (b) इनवर्स वीडियो c) तेज़ प्रारंभिक वार्म-अप d) स्यूडो रंग e) दिनांक और समय डिस्प्ले f) द्वि-दिशात्मक स्कैनिंग g) श्वेत और श्याम छवि	
23.	दोष दायित्व अवधि संपूर्ण खेप के चालू होने की तारीख से एक वर्ष होगी। दोष दायित्व अवधि के दौरान**,** सभी सेवाएं**,** पुर्जे और खपत सामग्री की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएंगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।	
24.	निविदाकार को एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु दरें उद्धृत करनी होंगी।	

टिप्पणी: यदि उपरोक्त विनिर्देशों में से किसी एक अथवा उपरोक्त अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन नहीं किया जाता है**,** तो निविदा तकनीकी रूप से अस्वीकार करने योग्य होगी।

दिनांक:

मुहर सहित हस्ताक्षर:

खंड-VII

<u>जांच सूची</u>

कार्य का नाम: मुख्य कार्यालय परिसर, पटना के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।

<u>वाणिज्यिक शर्तें</u>

क्र.सं.	**विवरण**	**बैंक के नियम और शर्तें**	**बैंक के नियम और शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)**
1.	वैधता	ई-निविदा भाग-। के खुलने से 90 दिन	
2.	ईएमडी	**रुपये 29,160/-** और इसे पीबीजी की प्रस्तुति के बाद वापस किया जाएगा। (जैसे ही संविदा प्रदान की जाती है, अस्वीकृत निविदादाताओं की बयाना जमा-राशि वापस कर दी जाएगी और सफल निविदादाता की बयाना जमा-राशि कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद वापस की जाएगी।)	
3.	पीबीजी	संविदा मूल्य का 10% और परियोजना के वास्तविक रूप से पूरा होने तक वैध।	
4.	प्रतिभूति जमा (एसडी)/बीजी	संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत**,** कार्य के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध और सीएएमसी अवधि के अगले 09 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से कम किया जाएगा।	
5.	भुगतान की शर्तें	ई-निविदा के भाग । में लागू खंड के अनुसार	
6.	तकनीकी विनिर्देश	ई-निविदा के भाग । में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार	
7.	गारंटी अवधि	वास्तविक समापन की तारीख से एक वर्ष	
8.	सीएएमएससी के दौरान बिक्री के बाद सेवा	उद्धृत दरों में मरम्मत/रखरखाव की लागत शामिल होगी, जिसमें यदि आवश्यक पाया जाए तो किसी भी सामग्री/असेंबली/उपकरण/स्पेयर पार्ट्स/श्रम का प्रतिस्थापन तथा द्विमासिक या उससे अधिक बार का दौरा शामिल है।	
9.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14 वें दिन से **45 दिन**	
10.	परिनिर्धारित हर्जाना	विलंबित कार्य हेतु प्रति सप्ताह किए गए कार्य के मूल्य का 0.25%, जो संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा।	

क्र.सं.	विवरण		बैंक के नियम और शर्तें	बैंक के नियम और शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)
11.	(a)	सुधार के लिए अनुमत समय	भाग I के खंड 3.15 के अनुसार दोष के प्रकार के आधार पर अधिकतम 24 घंटे/72 घंटे।	
12.	(b)	सेवा प्रदान करने में विलंब के लिए जुर्माना	यदि शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर प्रणाली की त्रुटि का निवारण नहीं किया जाता है तो रुपये 2,500 प्रति दिन और यदि 72 घंटों के भीतर संबंधित उपकरण की त्रुटि का निवारण नहीं किया जाता है तो रुपये 500 प्रति दिन।	
13.	सर्विस सुविधा		पटना या नजदीकी मेट्रो/शहर में उपलब्ध होगा जहां से नियमित बिक्री के बाद की सर्विस प्रदान की जा सकती हैं।	
14.	प्रणाली रखरखाव और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए प्रतिबद्धता अवधि		काम के वास्तविक समापन और बैंक को सौंपने की तारीख से कम से कम 10 वर्ष	

भाग-2 में कोई भी नियम और शर्तें नहीं होनी चाहिए, केवल मात्राओं की अनुसूची के लिए कीमतें ही अंकित की जानी चाहिए।
यदि भाग-2 में कोई नियम और शर्तें शामिल की जाती हैं, तो वे मान्य नहीं होंगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>टिप्पणी:-</u>

(i) यदि निविदाकार बैंक की सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता है, तो उसे अपनी ओर से कोई नियम और शर्तें संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
(ii) यदि निविदाकार कोई विचलन प्रस्तावित करते हैं, तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे केवल प्रासंगिक निविदा खंड का उल्लेख करते हुए विचलन को इंगित करें।

स्थान
तारीख   मुहर सहित ठेकेदार के हस्ताक्षर

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

क्र. सं.	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन
1	**2**	**3**	**4**

निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर

नामः

पदनाम :

तारीख :

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी तकनीकी नियम और शर्तें और विनिर्देश हमें स्वीकार्य हैं।

क्र. सं.	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन
1	**2**	**3**	**4**

निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम :

तारीख :

<u>अनुलग्नक-"I"</u>

ठेकेदार के कार्यनिष्पादन संबंधी ग्राहक का प्रमाण पत्र

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मैसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
2	करार सं. और तारीख	
3	करार की राशि	
4	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो	
8	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया है	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की मात्रा, यदि कोई हो।	
12	i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	iii) प्रदान की गई कुल राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	
	a) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) पर्याप्त टी एंड पी का मुख्य कार्यालय परिसरीकरण	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) जनशक्ति का मुख्य कार्यालय परिसरीकरण	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाएँ और 'प्रतिहस्ताक्षरित' किया जाए।

<u>अनुलग्नक-"II"</u>

<u>बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

1. फर्म की संरचना (क्या साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड है)
2. फर्म के प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशकों के नाम
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्षवार) के लिए फर्म का टर्नओवर।
   2023-24:
   2024-25:
   2025-26:
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा
5. कारोबार (Dealings)
6. वह अवधि, जबसे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
7. कोई अन्य टिप्पणी
   आप कृपया अपनी राय भी भेजें कि क्या उपर्युक्त फर्म को रुपये _____________ की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपने हेतु वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है ।

(हस्ताक्षर)
बैंक के लिए
टिप्पणी:

बैंकरों के प्रमाण पत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होने चाहिए, जो आरबीआई को संबोधित कवर में सीलबंद होना चाहिए।

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

<u>अनुलग्नक-"III"</u>

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन कागजातों के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करते हुए, हम .... (निविदाकार का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती .... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को अपना अटॉर्नी नियुक्त और अधिकृत करते हैं, जो वर्तमान में हमारे यहाँ कार्यरत हैं और .... का पद धारण करते हैं, ताकि वे हमारे नाम से और हमारी ओर से, पटना में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) हेतु हमारी निविदा से संबंधित या आनुषंगिक सभी आवश्यक कार्य कर सकें और इससे संबंधित बातें कर सकें, जिसमें सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर और प्रस्तुति शामिल है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और उक्त परियोजना से संबंधित हमारे प्रस्ताव के सिलसिले में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सभी मामलों में सामान्य रूप से व्यवहार करना शामिल है।
हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों और बातों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य और बातेँ हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और सदैव मानी जाती रहेंगी।

टिप्पणी:
पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत मुहर लगाई जाए और इसे नोटरीकृत किया जाए।
प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)
नाम
बोलीदाता की मुहर/सील

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक-"IV"

बयाना जमा-राशि के बदले बैंक गारंटी हेतु प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

गारंटी का यह विलेख दिनांक .... माह ..... वर्ष .... को ....(बैंकर का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय .... (स्थान) और इसके स्थानीय कार्यालयों में से एक ....में स्थित है (जिसे इसके बाद 'ज़मानतदार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई -400 001 भारत (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में स्थित है, के बीच संपादित किया गया है।

जबकि, ... (ई-निविदाकार का नाम जो इसके बाद 'निविदाकार' के रूप में संदर्भित), ... के तहत पंजीकृत और ...... (स्थान) में अपना पंजीकृत कार्यालय होने के कारण **आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)** संबंधी कार्य के लिए तथा इसके साथ संलग्न विनिर्देशों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार बयाना जमा-राशि रूपये ..... (रूपये .... मात्र) बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

जबकि, ई-निविदाकारों को जारी अनुदेशों और विशेष शर्तों के खंड संख्या ...... सेक्शन II के अनुसार ई-निविदाकार नकद रूप में बयाना राशि जमा करने के बजाय .... तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु सहमत हैं।

अब यह दस्तावेज़ इस बात का साक्षी है कि :

1. ई-निविदाकार द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई उपर्युक्त ई-निविदा पर विचार करते हुए जमानत गारंटी के इस विलेख की प्रस्तुति पर बैंक से मांग की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बिना किसी आपत्ति के ज़मानतदार बैंक को रुपये .... (रुपये .....) की उक्त राशि के भुगतान की गारंटी देता है, जिसे ई-निविदाकार अपने ई-निविदा के संबंध में बयाना जमा-राशि के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

2. यह गारंटी निविदाकार की ओर से किसी भी कमी या अनियमितता से या बैंक, निविदाकार या ज़मानतदार के मामले में किसी विघटन या किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

3. यदि निविदादाता अपनी ई-निविदा जमा करने के बाद अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है, अथवा नियम और शर्तें में ऐसा संशोधन करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं है, अथवा यदि बैंक द्वारा **पटना में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)** का आदेश देने का निर्णय लिए जाने के पश्चात निविदाकार आदेश स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो बैंक इस कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी के तहत कोई भी दावा करने के लिए पात्र होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
4. जमानतदार लिखित रूप में बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी की वैधता के दौरान इसे रद्द

नहीं कर सकता और न ही वह ऐसा करेगा।

5. इसके पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत ज़मानत की देयता रूपये ...... (रुपये .... केवल) तक सीमित है।

6. यह गारंटी दिनांक .... तक लागू और प्रभावी रहेगा और यह बैंक द्वारा जमानतदार को दी जाने की तत्संबंधी सूचना पर समाप्त और अप्रभावी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में यह गारंटी निर्वहन कर ली गई मानी जाएगी।

7. जमानतदार किसी भी विवाद के बावजूद, जो ई-निविदाकार और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद हो सकता है या उत्पन्न हो सकता है, बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा।

8. उक्त ई-निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता, ई-निविदा की शर्तों के से किसी को लागू करने में बैंक की ओर से को छूट दिया जाना या बैंक द्वारा ई-निविदाकार को कोई भी अनुग्रह दिखाने पर किसी भी तरह से ज़मानतदार का अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा ज़मानतदार को दी गई तत्संबंधी सूचना के उपरांत ही पूरा माना जाएगा।

9. उक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा दिनांक .... को या उससे पहले लिखित रूप में ज़मानतदार पर नहीं किए जाने की स्थिति में ज़मानतदार को उसके बाद इस गारंटी के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

10. ज़मानतदार के पास अपने संगम ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के तहत इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है, और जो व्यक्ति इस विलेख को निष्पादित कर रहा है उसके पास ज़मानतदार द्वारा उसे दिए गए मुखतारनाम (पावर ऑफ अटॉर्नी) के तहत ऐसा करने की आवश्यक शक्तियां हैं।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द के लिए और की ओर से

नामित बैंक के लिए और उनकी ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

<u>अनुलग्नक-"V"</u>
प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

सं. ___________ दिनांक _________

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
_________________.

महोदय

आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) नामक कार्य हेतु दिनांक .... को प्रकाशित आपकी ई-निविदा के अनुसार आपके साथ हुए अनुबंध के अनुसरण में मैसर्स .... (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) द्वारा आपको प्रदान की जाने वाली रुपये .... (रुपये ...... मात्र) की प्रतिभूति जमा-राशि को स्वीकार करने के लिए मिली आपकी सहमति तथा इस संबंध में अनुबंध एवं अन्य ई-निविदा दस्तावेजों में दी गई आपकी विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ उल्लिखित तरीके से दिनांक ..... के आपकी संविदा में दिये गए और संदर्भित शर्तों एवं परिवर्तनों सहित, जिनके संबंध में सहमति बनी है, के अधीन गारंटी के रूप में हम .... (बैंक का नाम) एतदद्वारा निम्नानुसार प्रसंविदा करते हैं और सहमत हैं:

1. हम आपको क्षतिपूर्ति करने और आपको समय-समय पर रुपये ...... (रुपये .... मात्र) की सीमा तक क्षतिपूरित रखने का वचन देते हैं, जो उक्त संविदा में निहित किसी भी नियम और शर्तों का ठेकेद्वार द्वारा किए गए उल्लंघन या उल्लंघनों के कारण आपको किसी भी नुकसान या क्षति के लिए होगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्त संविदा के तहत किसी भी कार्य को करने में या उससे जुड़े किसी भी नियम और शर्तों को उनके असली इरादे और अर्थ के अनुसार अनुपालन और कार्यनिष्पादन में कोई चूक करता है, तो हम तुरंत, मांग किए जाने पर, आपको मांग की गई राशि का भुगतान करेंगे जो कुल मिलाकर रूपये ...... (रूपये .... मात्र) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप ठेकेदार द्वारा ऐसी गलती किए जाने की वजह से अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, प्रभार या खर्च के तौर पर दावा कर सकते हैं।

2. इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, ठेकेदार ने ऐसी कोई चूक की है या नहीं, और इस वजह से आप कितनी रकम के हकदार हैं, इस बारे में आपका निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा और हम आपसे

इस गारंटी के तहत अपने दावे या दावों को साबित करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक जारी और मान्य रहेगी जब तक कि उपर्युक्त संविदा की गारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात ठेकेदार द्वारा आवेदन देने पर आपके द्वारा इस गारंटी को मुक्त नहीं किया जाता है और इस संविदा के तहत ठेकेदार द्वारा अपने सभी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर दिया जाता है और इस संविदा के तहत कार्य को विधिवत पूरा करने संबंधी प्रमापत्र और 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी परिस्थिति में .... (तारीख) के बाद लागू नहीं रहेगी, परंतु आपके उन दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो उक्त तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले हमसे उत्पन्न हुए हैं और हमसे मांगे गए हैं या हमें लिखित रूप में सूचित किए गए हैं, जो हमारे विरुद्ध लागू होंगे, भले ही उन्हें उक्त तारीख के बाद लागू किया गया।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को उस समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपके द्वारा अपेक्षित हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।

5. आपको इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को समय-समय पर बदलने या ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के समय को बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय के लिए या समय-समय पर स्थगित करने और या तो उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत हमारी देयता से पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए जाने वाले किसी भी समय या किसी अन्य सहनशीलता, आपकी ओर से किसी कार्य या चूक या ठेकेदार को आपके द्वारा किसी भी किए गए अनुग्रह या उक्त अनुबंध या किसी अन्य कार्य के किसी भी परिवर्तन या संशोधन, जैसा भी मामला हो, के कारण मुक्त नहीं किया जाएगा, जो ज़मानतदारों से संबंधित कानून के तहत होंगे, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत हमारे दायित्व से मुक्त करने जैसा प्रभावी होगा, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी उपरोक्त रुपये .... (रुपये .... मात्र) की सीमा से परे हमारी देयता को नहीं बढ़ाएगा।

6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी की ओर से या ठेकेदार की ओर से समापन, विघटन, दिवाला या मृत्यु द्वारा किसी भी प्रतिभूति(यों) को लेने या बदलने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी।

7. यहां निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जैसा कि हमारे द्वारा पूर्वगामी रूप से गारंटी दी गई है और हम एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से ज़मानतदार संबंधी अधिकार और अन्य सभी अधिकारों, यदि कोई हो, को माफ करते हैं जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।

8. उपरोक्त के अनुसार हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी उक्त अनुबंध से या उसके संबंध में समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावे या दावों को कवर करेगी,

जिसमें इस गारंटी के समापन की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले लिखित रूप में आपके द्वारा दर्ज किया गया दावा भी शामिल होगा।

9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब ही दे दिये गए के रूप में माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया है।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटी की सीमा या प्रतिस्थापन के अतिरिक्त हैं (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले), और इससे मौजूदा गारंटी रद्द नहीं होंगी और यह गारंटी ऐसी किसी/किन्हीं गारंटी को रद्द या सीमित नहीं करेगी।

11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी बदलाव या उसके किसी समामेलन या आमेलन से प्रभावित होगी, लेकिन समामेलित या आमेलित कंपनी या प्रतिष्ठान इसका लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेगी और इसके लिए उपलब्ध होगी।

12. उक्त ई-निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने या ई-निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा कोई रियायत दिखाने संबंधी बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक किसी भी तरह से ज़मानतदार को अपने दायित्व के निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी। इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा ज़मानतदार को दी जा रही सूचना पर किया जाएगा।

13. यह गारंटी अपनी वैधता की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और लिखित रूप में आपकी पिछली सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।

14. हम आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर या विवाद या विवाद के बावजूद आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हैं और इसके लिए वचन देते हैं।

15. ऊपर निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रूपये .... (रूपये ...... मात्र) तक ही सीमित है। जब तक इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर हम पर एक लिखित रूप में दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें इस गारंटी का विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है, तो इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे, और हमें इससे मुक्त माना जाएगा और इसके अंतर्गत हमारी सभी देनदारियों से हमें छूट दे दी जाएगी, भले ही मूल गारंटी हमें वापस कर दी गई हो या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

के लिए और की ओर से
(बैंकर का नाम और मुहर)

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उपर्युक्त नामित बैंक के लिए और उसकी ओर से)

शाखा प्रबंधक
(बैंकर्स सील)

पता ---------------

अनुलग्नक-"VI"

ग्राहकों के विवरण

कार्य का नाम:) ________________________ के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

क्र.सं.	फर्म का नाम और संपर्क व्यक्ति का नाम जिसमें नंबर / फैक्स / ई-मेल आदि शामिल हैं।	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य	समापन की तारीख	कार्य आबंटन की तारीख	स्थिति

स्थान:
दिनांक: **निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर**

अनुलग्नक-VII
सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन
(निविदाकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

कार्य का नाम: आरबीआई पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

1. मैं/हम __________________ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/हैं कि,

a) मैं / हम अथवा हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को भारत अथवा किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / निकाय द्वारा _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक निषिद्ध / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है / नहीं की गई है।

b) मैं / हम अथवा हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* ने भारत अथवा किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / निकाय के साथ पिछले तीन वर्षों में _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक नियम और शर्तें (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) में दी गई अखंडता संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है / नहीं की है।

c) यदि मैं / हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत अथवा किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / निकाय द्वारा उक्त कार्य के लिए कार्य के अनुमोदन से पूर्व अथवा उस तिथि तक निषिद्ध / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड की जाती है / जाते हैं, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं / हम __________________ (वेंडर का नाम) घोषणा करते हैं कि, मैं / हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* __________________ (संबद्ध फर्म/फर्मों का नाम) * को ________________ (भारत अथवा किसी अन्य देश की सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा निषिद्ध / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड किया गया है / की गई है और यह _____ (तिथि) तक प्रभावी है। सूचना और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न की गई है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)
दिनांक:
स्थान:
(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं है उसे काट दें)

* संबद्ध फर्म: किसी फर्म को 'संबद्ध फर्म' तब कहा जाएगा यदि प्रबंधन कॉमन हो, या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म द्वारा इसके पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर स्वामित्व में हों और इसी आधार पर इसका नियंत्रणात्मक अधिकार हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

अनुलग्नक-VIII
भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता द्वारा दिए जाने वाले वचनबंध/घोषणा/प्रमाण पत्र का प्रारूप

(इसे बोलीदाताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है, जिसपर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो और मुहर लगाया गया हो)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना

महोदया/महोदय,

कार्य का नाम: - आरबीआई**,** पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।

मैं/हम ___________________ (बोलीदाता का नाम और पता, जिसमें संबन्धित पता वाले देश का नाम भी शामिल है) ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (OM) सं. 6/18/2019-PPD और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में हैं।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि _________________ (बोलीदाता का नाम)
   i. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश का नहीं है, या
   ii. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश का है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्नक के रूप में दिया गया है, या
   iii. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले उस देश का है जहाँ भारत सरकार ने ऋण सुविधाएँ (lines of credit) प्रदान की हैं, या
   iv. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले उस देश का है जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में शामिल है।
   (उपर्युक्त में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)
3. मैं/ हम आगे प्रमाणित करते हैं कि _________________ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है और उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि वैसे मामलों में भी जहाँ हमें बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उप-संविदा (sub-contract) देने की अनुमति दी गई है, मैं/हम ____________________ (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश(देशों) के किसी भी ठेकेदार को कोई भी कार्य उप-संविदा पर नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनबंध/घोषणा/प्रमाणीकरण/प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा-राशि / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमाराशि को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें वंचित करना शामिल है।

बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मुहर सहित हस्ताक्षर
दिनांक:
स्थान:

अनुलग्नक-IX

ई-भुगतान को कार्यान्वित करने के लिए एनईएफटी विवरण

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, ___________________

पता (संपूर्ण): भारतीय रिज़र्व बैंक, ___________________

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दर्ज है)	भारतीय रिज़र्व बैंक, _________
2	**खाता संख्या**	
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	चालू
4	**पैन नंबर**	
5	बैंक का नाम	आरबीआई, __________
6	शाखा का नाम	आरबीआई, __________
7	बैंक का पता	आरबीआई, __________
8	**एनईएफटी/आईएफएस कोड**	
9	खाते का नाम	**आरबीआई, एनईएफटी, आवक प्राप्त**
10	जीएसटी नंबर	

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India

संपदा विभाग / Estate Department

पटना / Patna

आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

हेतु ई-निविदा

भाग II (कीमत बोली)

बोलीदाता का नाम: ______________________________

पता: ______________________________

डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध ई-निविदा की तिथि और समय	**28 जुलाई 2026; 16:00 बजे से**
बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	**03 अगस्त 2026; 15:00 बजे (ऑफलाइन)** स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना
बोलियां जमा करने के लिए निविदा की उपलब्धता (भाग I और भाग II)	**28 जुलाई, 2026 16:00 बजे से**
ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**27 अगस्त 2026; 14:00 बजे**
ई-निविदा खोलने की तिथि और समय (भाग I)	**28 अगस्त 2026; 14:00 बजे से**
भाग II के खुलने की तिथि और समय	**इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।**

मात्रा का कीमत रहित बिल

कार्य का नाम: - आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय परिसर, के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)					
क्र.सं.	**मदों का विवरण**	**मात्रा**	**यूनिट**	**दर**	**राशि, रुपये में**
	प्रणाली की पूंजीगत लागत				
1	एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, सभी आवश्यक सहायक उपकरणों जैसे इनपुट और आउटपुट रोलर, सर्वो स्टेबलाइजर, न्यूनतम 30 मिनट के बैटरी बैकअप वाला यूपीएस (यूपीएस), लॉक करने योग्य कंसोल वाला रिमोट वर्कस्टेशन जिसमें कीबोर्ड और दो रंगीन एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले यूनिट वाले कंप्यूटर सेट शामिल हैं, एक कंबाइंड टेस्ट पीस (सीटीपी)/परीक्षण बैग, प्रणाली में संगत रंगीन प्रिंटर आदि की व्यवस्था, सभी पूर्ण और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए। [दर में सभी वैधानिक कर तथा जीएसटी, लेवी, बीमा, परिवहन आदि शामिल हैं। (ए)]	01	सेट	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए
2	निम्नलिखित पुरानी एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली (एक्सबीबीएस) को 'यथास्थिति' के आधार पर हटाने हेतु बाई-बैक। दर में सभी कर शामिल होंगे। विनिर्माता: एस्ट्रोफिजिक्स इंक/	01	नग	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए
	कुल (रुपये) = (ए-बी)				
	व्यापक अनुरक्षण				
2.	दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के पश्चात **सभी करों सहित** वार्षिक समग्र अनुरक्षण करार संबंधी वार्षिक शुल्क (रुपये में), जैसा कि निविदा भाग-1 में उल्लिखित है। अनुरक्षण करार की दर दोष दायित्व अवधि के पश्चात एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाएगी और संतोषजनक सेवाओं पर भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।	01	प्रति वर्ष	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए	केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाए
	कुल व्यापक अनुरक्षण शुल्क (सी)				

<u>टिप्पणी:</u>

1. <u>कुल देय लागत</u> = प्रणाली की पूंजीगत लागत (ए- बी) + (व्यापक एएमसी - सी X एम.एफ) जहां एम.एफ का मूल्य = 7.5603

2. व्यापक एएमसी हेतु न्यूनतम आधार दर कुल पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) होगी। यदि निविदादाता व्यापक एएमसी हेतु उद्धृत पूंजीगत लागत के 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) से कम दर उद्धृत करता है, तो स्वामित्व की कुल लागत की गणना हेतु उद्धृत पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) एएमसी के रूप में माना जाएगा।

3. उपर्युक्त के बावजूद, बैंक समर्पित संविदा अवधि की वैधता के दौरान केवल उद्धृत एएमसी दर का ही भुगतान करेगा, जो निविदा में दर्शाए गए नवीकरण सूत्रों के अधीन होगा।